खण्ड-280, अंक-3
सोमवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(2 मार्च, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 280 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरंभ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८२

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इस्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उचित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमावत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० फ्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री

केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेई, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकी चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर,
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री

प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर , श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया).
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशी लाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजित राम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री

श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदा न्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

सोमवार, २ मार्च, १९७०

हिन्दी आन्दोलन संबंधी मुकदमों की वापसी का आदेश तथा बोर्ड परीक्षा आन्दोलन विषयक मुकदमे

****१—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) तथा श्री चिरंजीलाल (जिला एटा)—**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिंदी आन्दोलन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों पर चल रहे फौजदारी मुकदमों को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

सरकार द्वारा समस्त जिलाधीशों को आदेश दिनांक ५ दिसम्बर, १९६९ को जारी कर दिये गये हैं कि वे हिंदी आन्दोलन के संबंध में विद्यार्थियों के विरुद्ध चल रहे सभी मुकदमों की वापसी के लिये आवश्यक कार्यवाही करें। उक्त आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२९ पर)

**२---श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री चिरंजी लाल---

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि १९७० के उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में ५ विषय रखे जाने से संबंधित विद्यार्थियों के आन्दोलन के सिलसिले में विद्यार्थियों पर चलाये जाने वाले फौजदारी के मुकदमें वापस लेने का भी आदेश जारी करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक यह आदेश जारी हो जायेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जी नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि उक्त आदेश ५ दिसम्बर को हो जाने के बाद अब तक उन पर कार्यान्वयन नहीं हुआ और क्या वे आश्वासन देंगे कि ३ दिन के अन्दर उन पर कार्यान्वयन हो जाय?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसके कार्यान्वयन के लिये हमने जिलाधीशों को लिख दिया है। इसमें प्रोसीजर यह है कि जिलाधीश संबंधित कोर्ट के पब्लिक प्रासीक्यूटर्स से कोर्ट में एप्लीकेशन दिलवायेंगे और अगर कोर्ट उचित समझेगी तो वापस करेगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि केवल विद्यार्थियों के ही नहीं वरन् हिंदी आन्दोलन के संबंध में जितने भी लोगों पर, चाहे वे विद्यार्थी हैं या नहीं, मुकदमे चल रहे हैं, वे सब वापस लिये जायेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

विद्यार्थी और गैर विद्यार्थी सभी के संबंध में आदेश प्रसारित कर चुके हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जब एक दफा विदड्राल की अर्जी सरकार की तरफ से दी जायेगी तो फिर कोर्ट को यह आप्शन नहीं है कि मुकदमे को वापस न करे। तो फिर यह कैसे फरमाया कि कोर्ट विचार करेगी तब वापस होंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

निर्णय तो कोर्ट ही लेगी। हम तो सिर्फ प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

प्रश्न नं० २ के विषय में है। क्या सरकार जिस प्रकार पहले में आदेश हुए हैं उसी प्रकार के आदेश दूसरे में भी देने पर विचार करेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

प्रश्न नं० २ के विषय में अभी विचार नहीं किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं अपने प्रश्न को फिर दोहरा रहा हूं। क्या मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि तीन दिन के अन्दर मुकदमे वापस कर लिये जायेंगे? मेरी जानकारी में सब मुकदमे ऐसे हैं जो कंपाउन्डेबिल हैं, जिनमें फैसला हो सकता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैंने जैसा निवेदन किया, सारे मुकदमे वापस करने के लिये जिलाधीशों को आदेश जारी किये जा चुके हैं।

रेण्ट कण्ट्रोल विधेयक लाने पर विचार

**३---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट में संशोधन कर के सन् १९६९ तक बने भवनों को लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

खाद्य उप मंत्री (श्री राम किंकर)---

सन् १९५० के बाद बने भवनों को रेंट कंट्रोल ऐक्ट के प्राविधान में लेने का प्रश्न सरकार के विधाराधीन है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार का विचार वर्षाकालीन सत्र में एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करने का है।

श्री रामचन्द्र विकल---

यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

इस प्रश्न पर कैबिनेट सब-कमेटी ने दो बार विचार कर लिया है और अब पुनः इस कैबिनेट के समक्ष यह प्रश्न आने वाला है।

श्री रामचन्द्र विकल---

अन्तिम निर्णय लेने में सरकार को क्या-क्या कठिनाइयां हैं?

श्री शिवराज सिंह---

कठिनाई कोई नहीं है। इस प्रश्न के समस्त पहलू पर विचार करना है।

नगर अभियन्ता, कानपुर नगरमहापालिका के सेवाकाल में वृद्धि पर आपत्ति

**४---श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर महापालिका के नगर अभियन्ता (चीफ इंजीनियर) के सेवाकाल में ६० वर्ष की आयु पूरा करने के बाद तथा उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासन की कार्यवाही होते हुए भी एक वर्ष की और वृद्धि कर दी गई? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी की सिफारिश पर? क्या यह सही है कि नगर प्रमुख के परामर्श से मुख्य नगर अधिकारी, कानपुर ने भी ऐसा न करने की सलाह दी थी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)---

जी हां। नगर महापालिका, कानपुर के नगर अभियन्ता को सेवा में वृद्धि देने के आदेश पिछली सरकार द्वारा ३० जनवरी, १९७० को दिये गये थे। मैं इसे ठीक नहीं समझता और शीघ्र जांच करा के सेवा वृद्धि समाप्त करने के बारे में विचार करूंगा।

श्री सजीवन लाल---

अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के क्या आरोप थे तथा शासन की तरफ से क्या कार्यवाही हुई तथा सी० आई० डी० ने क्या रिपोर्ट दी और उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री अनवार अहमद---

इनके विरुद्ध इस प्रकार के आरोप थे कि लखनऊ में जिस समय वह थे तो जिन निक्षों पर पहले उन्होंने एतराजात किये थे बाद में स्वयं उन एतराजात के होते हुए भी उन्हें मंजूर कर दिया। सी० आई० डी० की रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है और जांच अधिकारी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है लेकिन जो भी कार्यवाही उचित होगी जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद की जायेगी।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

इस प्रकार के गंभीर आरोप होते हुए भी अभियन्ता के कार्यकाल में शासन ने क्यों वृद्धि दे दी ?

श्री अनवार अहमद---

मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह बात उचित नहीं थी। उनको वृद्धि नहीं मिलनी चाहिये थी। जो कुछ किया गया वह सही नहीं किया गया। इसलिये मैंने कहा है कि पूरी जांच होने के बाद जो भी उचित कार्यवाही होगी और जो सख्त से सख्त कदम हो सकता है वह उठाया जायगा और उसमें जरा भी कोई कमी नहीं होगी।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)---

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर को देखते हुये इस भ्रष्ट कर्मचारी को कार्य करने की आज्ञा देंगे ?

श्री अनवार अहमद---

इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं।

उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ का मांग-पत्र

**५---श्री कृष्णानन्द राय---

क्या वित्त मंत्री को विदित है कि राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का कोई मांग-पत्र हाल में प्राप्त हुआ है और वे १० मार्च, ७० को मुख्यालयों पर इस बात के लिये प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि उन्हें जीने लायक न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में उनकी मांगों को स्वीकार करने की शीघ्र घोषणा करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)---

उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की ओर से दिनांक १३ जनवरी, १९७० का मांग-पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है जिस में जीने लायक वेतन संबंधी मांग की गई है। इस मांग-पत्र में दिनांक १० मार्च, १९७० को मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। शासन उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर के निर्णय लेगा।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुझसे यह सूचना लेने के बाद कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग १० मार्च को प्रदेश के सारे मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रहा है उसको रोकने के लिये और शासन के कार्य में कठिनाई न हो, क्या वह उनको डेपुटेशन में बुला कर उनसे बात करेंगे ताकि उनकी मांगों पर विचार कर के उनको कोई आश्वासन दिया जा सके ?

श्री बलबीर सिंह---

अगर लिखित रूप में हमारे पास भेज देंगे तो अवश्य बात करने की कोशिश करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को उनकी मांगों के सम्बन्ध में जानकारी है और उनकी मांगों को मानने में उनके सामने क्या दिक्कतें हैं जिससे यह प्रदर्शन की नौबत आ रही है ?

श्री बलबीर सिंह--

दिक्कत कोई नहीं है, बाकी चूंकि इस कार्य के लिये एक आयोग मुकर्रर हो चुका है और उसकी रिपोर्ट आने पर ही पूरे तौर पर विचार हो सकता है, इससे पहले नहीं।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)--

जीने लायक वेतन का सरकार के सामने क्या आधार है, क्या मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री बलबीर सिंह--

जीने लायक वेतन की मांग तो उन्होंने स्वयं की है, जो मांगें उनकी आई हैं उन्होंने उनको जीने लायक वेतन की मांग है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या वेतन आयोग की रिपोर्ट आने तक सरकार इस बात पर विचार करेगी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग के अल्प वेतन को ध्यान में रख कर कोई अन्तरिम सहायता दी जाय ?

श्री बलबीर सिंह--

इस विषय में सरकार अभी कोई विचार नहीं रखती।

श्री कृष्णानन्द राय--

मंत्री जी ने कहा कि जो कमीशन वेतन के संबंध में बनाया गया है उसके द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रश्न पर भी विचार होगा लेकिन १० तारीख को जो उनका प्रदर्शन होने जा रहा है और यह देखते हुये कि यह सब से कम वेतन पाने वाले लोग हैं, क्या सरकार पे-कमीशन से सिफारिश करेगी कि वह उनके बारे में शीघ्र ही एक अन्तरिम रिपोर्ट भेजे ?

श्री बलबीर सिंह--

मैंने निवेदन किया कि अगर उन की कोई उचित मांग होगी और वह मुझसे मिलेंगे तो उन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जायगा कि क्या करना चाहिये।

श्री हर नरायन--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो वेतन आयोग मुकर्रर किया गया है उस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि रखा गया है या नहीं, ताकि वह उनकी समस्या को समझ कर वहां रख सके ?

श्री बलबीर सिंह--

जो कमीशन मुकर्रर किया गया है उसके नाम मैं पढ़कर सुना सकता हूं और उससे खुद माननीय सदस्य अन्दाजा लगा सकते हैं कि उन का प्रतिनिधित्व है या नहीं। बाकी उनकी जो मांगें हैं उनमें यह भी है कि खासतौर से उनका प्रतिनिधित्व उसमें हो। इसी बात को ध्यान में रख कर यह प्रतिनिधि छांटे गये हैं, यह १२ माननीय सदस्य कमीशन के हैं और १ उसके चेयरमैन हैं। उनके नाम यह हैं-- श्री एम० सी० देसाई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के

[श्री बलबीर सिंह]

अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश उसके सभापति होंगे। सदस्य हैं श्री टी० एन० सिंह, संसद सदस्य, श्री गनेशी लाल चौधरी, सदस्य, राज्यसभा, श्री गौरी शंकर राय, सदस्य, विधान परिषद्, डा० हरि प्रसाद साही, सदस्य, विधान सभा.....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरा यह प्रश्न नहीं था श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाय। मेरा प्रश्न यह था कि क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमीशन का जो टर्म्स आफ रिफ़रेन्स है क्या उसके अन्तर्गत उनको अन्तरिम सहायता दिलाने का कोई प्राविधान नहीं है? उनमें ऐसी कोई चीज है या या नहीं?

श्री बलबीर सिंह--

अंतरिम सहायता का प्राविधान नहीं है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मांगें, उनसे आयी हैं, उन पर कब विचार करेंगे और निर्णय दे देंगे?

श्री बलबीर सिंह--

सरकार कोशिश कर रही है कि शीघ्रातिशीघ्र इस पर विचार हो सके और निर्णय हो सके।

आई० जी० पुलिस की नियुक्ति पर आपत्ति

**६--श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्तमान आई० जी० पुलिस, उत्तर प्रदेश की नियुक्ति सीनियारिटी के क्रम को तोड़ कर की गई है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जी हां। आई० जी० पुलिस का पद एक सेलेक्शन पद है और इस पर ज्येष्ठतम अधिकारी का ही चुना जाना आवश्यक नहीं है। जनहित में एक ऐसे सुयोग्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो इस नियुक्ति के पात्र थे।

**७--श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री शिव कैलाश--

क्या गृह मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि क्या उपर्युक्त नियुक्ति से प्रदेश की पुलिस फोर्स में व्यापक असन्तोष है और उसके कारण एडीशनल आई० जी० पुलिस, उत्तर प्रदेश, ने छुट्टी भी ले ली है? यदि हां, तो क्या शासन इस असन्तोष को दूर करने पर विचार करेगी?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

यह सही है कि एडीशनल आई० जी० पुलिस छुट्टी पर चले गये हैं। किन्तु इस कथन का कोई आधार नहीं है कि वर्तमान आई० जी० पुलिस की नियुक्ति से प्रदेश की पुलिस फोर्स में व्यापक असन्तोष है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी डी० आई० जी० को आई० जी० के पद पर नियुक्त करने के लिए यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति ईमानदार, योग्य और उसमें कार्यक्षमता है और वह ज्येष्ठ है, और इन सभी गुणों पर विचार किया जाता है?

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)--

जी हां, आमतौर पर लेकिन जो सेलेक्शन पोस्ट्स हैं, उनमें सीनियारिटी कोई खास मायनें नहीं रखती।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन, मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी आदमी को आई० जी० के पद पर नियुक्त किया जाता है तो क्या उसकी योग्यता, कार्यक्षमता, ईमानदारी और उस की ज्येष्ठता, इन सब योग्यताओं पर विचार किया जाता है, अथवा नहीं ?

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों पर विचार किया जाता है, जो बातें माननीय सदस्य १, २ या ३ गिना रहे हैं इनके अतिरिक्त और भी बातें हो सकती हैं, जिन पर विचार किया जाता है, जो मैं इस समय नहीं बतला सकता हूं। यह सरकार के डिस्क्रिशन पर है, यह उनके जजमेंट की एनैलिसिस पर है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जो बातें माननीय मुख्य मन्त्री ने कहीं कि और चीजों पर भी विचार किया जाता है तो वे और चीजें क्या हैं ? जो गुण मैंने बताये यदि ये सब चीजें एक आदमी में विद्यमान हों तो उसकी नियुक्ति की जायगी, अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न के दूसरे भाग की मैं इजाजत नहीं देता। पहली बात कि वे कौन से कन्सिडरेशंस हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है पूछ सकते हैं। इस पर बहस भी नहीं हो सकती। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चरण सिंह--

मैंने अपने उत्तर में अर्ज कर दिया है कि जो बातें माननीय सदस्य ने गिनी हैं, १, २ और ३, मैंने कहा है कि इनके अतिरिक्त और भी कन्सीडरेशंस हो सकते हैं, जिन पर विचार होता है और जिनको मैं फिलहाल नहीं बता सकता क्योंकि टोटेलिटी देखनी होती है। ईमानदारी और योग्यता के अतिरिक्त हमें यह एसेसमेंट करना होता है कि दोनों अच्छे आदमी होते हुए उनमें कौन सा बेहतर है।

श्री कृष्णानन्द राय--

यह तो सर्वविदित है कि एक आई० जी० को उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण करने वाले दिन ही हटा दिया और जूनियर डी०आई०जी० को आई०जी० बना दिया जिसकी सारी पुलिस फोर्स में चर्चा है और विधान सभा के सदस्यों के दिमाग में यह प्रश्न है कि यह किन विशेष परिस्थितियों में किया गया है। अतः माननीय मुख्य मन्त्री जी कान्फिडेंस में लेकर सदन को बतलायेंगे कि आई० जी० को हटाने और डी० आई० जी० को आई० जी० बनाने के क्या कारण हैं ?

श्री चरण सिंह--

कान्फिडेन्स या नो कांफिडेन्स का सवाल नहीं है। सरकार के जजमेंट में, वह आदमी जिसको हमने आई० जी० अब बनाया है, ला ऐंड आर्डर कायम रखने में, पुलिस का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने में, ज्यादा बेहतर साबित होंगे। दैट इज़ आल।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से ऐसे विशेष कारण या परिस्थितियां थीं जिनके कारण यह किया गया ? दूसरी बात यह कि क्या ऐसे मामलों में उनका डिस्क्रीशन आर्बीट्रेरी हो सकता है ?

श्री चरण सिंह--

माननीय मित्र को यह मालूम नहीं है कि ५-५, ६-६ आफिसर्स को सुपरसीड करके आई० जी० बनाये जा चुके हैं। यहां तो एक ही सुपरसीड हुआ है (व्यवधान) में डिटेल्स में कोई जवाब देना पब्लिक इन्टरेस्ट में उचित नहीं समझता।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने आफिसर्स ऐसे हैं जो वर्तमान आई० जी० से सीनियर हैं और वे कौन-कौन हैं जिनको सुपरसीड किया गया है ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, जियाराम जी को मैंने ही सन् १९६७ में एक डी० आई० जी० को सुपरसीड करके आई० जी० बनाया था। तो एक तो यही हुये। इनको एक आई० जी० के समकक्ष ही दूसरी पोस्ट दी गयी। ५ महीने इनके रिटायरमेंट के थे। इस समय के लिये इन्होंने वहां जाना स्वीकार नहीं किया। एक एडीशनल आई० जी० छुट्टी पर चले गये।

श्री राजकुमार शास्त्री--

मैंने प्रश्न किया था कि वर्तमान आई० जी० से कितने आफिसर्स इस समय सीनियर थे जिनको सुपरसीड किया गया है और वे कौन-कौन हैं ?

श्री चरणसिंह--

तीन हैं, श्री जियाराम, श्री इस्लाम अहमद तथा श्री आनन्दस्वरूप गुप्ता।

श्री जगन्नाथ खन्ना--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीनियारिटी के हिसाब से किस डी० आई० जी० का नम्बर आई० जी० बनने के लिए आता था और उसमें क्या कमी थी कि उसको नहीं बनाया गया ?

श्री चरण सिंह--

मैंने कहा, यह सेलेक्सन पोस्ट्स हैं। सेलेक्सन पोस्ट्स में यह बराबर होता रहता है कि जूनियर आदमी को हेड बना दिया जाय, और जो सीनियर हो लेन्थ आफ सर्विस में, उसे न लिया जाए। सीनियारिटी-लेन्थ आफ सर्विस एक कांसिड्रेसन अवश्य है तमाम कांसिडरेशन में, किन्तु यह एक कम्पेलिंग कांसिडरेशन नहीं है। यदि अफसर के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं इस डिटेल में जाने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री जगन्नाथ खन्ना--

लेकिन मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जिसको नहीं लिया गया उसमें क्या कमी थी, यह तो आप बता दें ? (श्री जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, सीनियारिटी को वह मानते नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या यह सही है कि वर्तमान एडिशनल आई० जी० और श्री सक्सेना जो यह आई० जी० बनाए गए हैं, से उनकी जहां तक ईमानदारी, योग्यता और कार्यक्षमता का सम्बन्ध है, वह इन दोनों में कोई चीज नहीं है जिसका लिहाज किया जा सके, फिर उनको क्यों अवसर नहीं दिया गया ? इसके अतिरिक्त ....

श्री अध्यक्ष--

बस इतना ही पूछ लीजिए।

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया यह अपने-अपने जजमेंट का प्रश्न है और मैं इसके डिटेल में जाने के लिए तयार नहीं हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, १ पूरक प्रश्न के लिए ५ अनुपूरक प्रश्नों की व्यवस्था इस सदन में की गई है और इस पर १५ प्रश्न हो चुके हैं ५ की जगह पर। इसलिए इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, क्या ऐडीशनल आई० जी० साहब सलेकचन्द मर्डर केस के बाद जिसमें उद्योग मन्त्री जी के सगे भाई मुल्जिम हैं, मौके पर गये थे या नहीं गये थे ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह मुझ को नहीं मालूम है कि वह खुद गये थे या नहीं गये थे। मुमकिन है कि गये हों।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सलेकचन्द मर्डर केस की पत्रावली उन्होंने अब तक देखी है या नहीं ?

श्री चरणसिंह---

देखी है।

श्री धर्मवीर---

मैं आपकी आज्ञा से नियम ४६ के अन्तर्गत निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सदन को आध घंटे की चर्चा करने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

यह आप लिख कर मेरे पास भेज दें।

तारांकित प्रश्न

*१-२---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

[प्रश्नकर्ता के मन्त्रिमंडल में समावेश के कारण अपास्त]

मिर्जापुर जिले में ब्लाक प्रमुख, मझवा के विरुद्ध जांच

*३---श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर) तथा श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिला के कितने ब्लाक प्रमुखों के ऊपर गबन के आरोप की शिकायतें सरकार को गत ३ वर्षों में मिली हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

मिर्जापुर जिले के किसी ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध गबन के आरोप की कोई शिकायत पिछले ३ वर्षों में सरकार को तो प्राप्त नहीं हुई परन्तु जिलाधिकारी, मिर्जापुर को केवल एक ऐसी शिकायत मिली है।

*४---श्री राम निहोर राय तथा श्री धूम प्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ब्लाक प्रमुखों के ऊपर गबन के आरोप हैं उनमें से किसी के ऊपर पुलिस कार्यवाही करने की संस्तुति जिलाधीश ने की है ? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा संस्तुति किये गये गबन के केस को सरकार न्यायालय में कब तक प्रस्तुत करेगी ?

श्री शिवराज सिंह---

जी हां। ब्लाक प्रमुख, मझवा के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट किये जाने का आदेश जिला अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा दिया गया था। पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई थी और जांच जारी है। जांच के उपरान्त जैसी स्थिति होगी उसके अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

श्री रामनिहोर राय---

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुखों को मुअत्तल करके उनकी जांच की जा रही है या उन के पद पर रहते हुए की जा रही है ?

श्री शिवराज सिंह---

ब्लाक प्रमुख को मुअत्तल नहीं किया गया है। जांच समाप्त हो चुकी है। अब पुलिस की जांच पब्लिक प्रासीक्यूटर की राय के लिये भेजी गई है।

श्री रामनिहोर राय---

इसकी जांच में इतनी देर क्यों हुई है ?

श्री शिवराज सिंह---

इस जांच में अधिक समय लग गया। अब हर सम्भव उपाय किया जायगा कि यह जांच पूरी कर के कायवाही अविलम्ब की जाय।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री शिवराज सिंह---

मैंने निवेदन किया कि जांच पूरी हो चुकी है। अब पब्लिक प्रासीक्यूटर की राय के लिये वह भेजी गई है कि क्या कार्यवाही की जाय।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन ब्लाक प्रमुख के खिलाफ कितने रुपये के गबन का आरोप हैं, यह कौन हैं और किस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

जिला मिर्जापुर के एक ब्लाक के प्रमुख के सम्बन्ध में यह शिकायत आई थी। कितने रुपये का गबन है इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री शिवकुमार---

जब यह जांच से साबित हो चुका है कि उन्होंने गबन किया तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई और उन को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री शिवराज सिंह---

कानूनी राय मांगी जा रही है। पुलिस रिपोर्ट से गबन सिद्ध हो चुका है। अब पब्लिक प्रासीक्यूटर की राय आ जाय तो उसके पश्चात् कार्यवाही की जायगी।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

ब्लाक प्रमुख को निलम्बित करने का अधिकार कमिश्नर को है तो, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कमिश्नर महोदय ने भी यह रिपोर्ट की कि फलां प्रमुख ने गबन किया है तथा उनको निलम्बित किया जाय ?

श्री शिवराज सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

कमिश्नर महोदय ने उनको सस्पैन्ड क्यों नहीं किया?

श्री शिवराज सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी कि क्या कारण थे कि कमिश्नर महोदय ने उनको अभी तक ससपैन्ड नहीं किया। मैंने सदन की भावना जान ली है और उसके अनुसार कार्यवाही करने में कोई विलम्ब नहीं किया जायगा।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह कौन सी रिपोर्ट में है कि गबन साबित हो गया है?

श्री शिवराज सिंह---

पुलिस रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों द्वारा लिखा गया है १७ जनवरी, १९६९ को और उसके बाद पुलिस ने जांच की। फिर पुलिस अधिकारी ने ११ अप्रैल, १९६९ को अपनी रिपोर्ट दे दी।

*५-६---श्री आशाराम इन्दु---

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

चीनी मिलों पर श्रमिकों का बकाया

*७---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कतिपय चीनी मिलों पर उनके मजदूरों व कर्मचारियों का वेतन, बोनस और रिटेनिंग एलाउन्स का रुपया बकाया है? यदि हां, तो किस मिल पर तथा कितना?

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)---

३१ दिसम्बर, १९६९ तक के बकाये की वस्तुस्थिति :---

वेतन---(१) मेसर्स रामलक्ष्मण शुगर मिल्स, मोहीउद्दीनपुर, मेरठ में (अगस्त, १९६९ का) ४७,५९३ रु०।

बोनस---(१) मेसर्स बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बस्ती---१,६९,६५९.६९ रु०।

(२) सकसेरिया शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बभनान, गोंडा---१,५८,९३०.३५ रु०।

इसके अतिरिक्त ३४ मिलों में कुछ धनराशि का भुगतान कुछ सीजनल कर्मचारियों के उपलब्ध न होने के कारण भी रह गया है।

*८---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या श्रम मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उपर्युक्त बकाया का भुगतान कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं की, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

बकाया वेतन के भुगतान हेतु पेमेण्ट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत डायरेक्शन केस चलाया गया है ।

बोनसः---मेसर्स बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बस्ती ने शासकीय आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर दी है । अतः अभी इस मिल के विरुद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं है ।

सकसेरिया शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बभनान के विरुद्ध शासकीय आदेश के उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाने की कार्यवाही की जा रही है ।

उन ३४ मिलों के विरुद्ध जिनके यहां केवल कुछ श्रमिकों का भुगतान श्रमिकों के उपलब्ध न होने के कारण शेष रह गया है, किसी कानूनी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह लाखों रुपये की रकम जो बाकी रह गयी है यह कितने पीरियड की है ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

यह जून, ६९ की है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

ये ३४ मिलों के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सके तो ये कहां गायब हो गये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

ये सीजनल स्टाफ के कर्मचारी हैं जो आ नहीं सके । इन ३४ शुगर फैक्टरीज में लगभग १ लाख सीजनल ऐसे कर्मचारी हैं जो समय पर आकर रुपया ले नहीं सके ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

इन ३४ मिलों में देवरिया जिले की कौन-कौन मिलें हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, अनन्तराम जी को जो पहले प्रश्न ७ का उत्तर दिया गया था उसमें थोड़ा-सा करेक्शन करना चाहता हूं । वेजेज जून की नहीं, अगस्त की हैं । जहां तक बोनस का प्रश्न है वह सन् ६७-६८ का शेष है ।

अब जहां तक रामधारी जी के प्रश्न का सवाल है देवरिया जिले में तीन शुगर मिलें हैं---कमलापति मोतीलाल, माहेश्वरी खेतान तथा प्रतापपुर शुगर कम्पनी ।

श्री रामधारी शास्त्री---

अभी उत्तर दिया गया कि कर्मचारियों का पता नहीं चला तो उनका पता तो मिल में लिखा रहता है, लिहाजा उनका वेतन मनीआर्डर से क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

वह क्लेम करने ही नहीं आया । अगर वह प्रार्थना-पत्र भेज दें कि मनीआर्डर से भेज दिया जाये तो भेज दिया जायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कई चीनी मिलों में श्रमिकों को उचित वेतन तथा बोनस नहीं मिलता है, ऐसी व्यवस्था करेंगे श्रमिक कमिश्नर के माध्यम से कि उनको ये दोनों चीजें मिल जायं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस सिलसिले में गवर्नमेंट तो हमेशा प्रयत्नशील रहती ही है और केवल दो फैक्टरियां ऐसी हैं जिन्होंने १९६७–६८ का बोनस नहीं दिया। वह इसलिये रुका हुआ है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है और दूसरा रिट लेकर के हाईकोर्ट से स्टे ले आया है।

उच्च न्यायालय के विचाराधीन मुकदमें

*९—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं), श्री मोहनलाल कपूर तथा श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में आज तक (२५–७–६९) कुल कितने मुकदमें विचाराधीन है तथा इनके शीघ्र निस्तारण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बलबीर सिंह—

	संख्या
सिविल वाद	४८,११५
फौजदारी वाद जिनमें प्रकीर्ण वाद भी शामिल हैं ..	११,६१९

राज्य सरकार ने हाल ही में एक विधि आयोग का गठन भी किया जिसके अध्यक्ष भूतपूर्व जज, श्री जे० के० टण्डन होंगे। इस आयोग की सिफारिशें आने पर विस्तृत कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९६८ राष्ट्रपति शासन काल में अधिनियमित किया गया था जिस के द्वारा बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ में इस प्रकार का संशोधन कर दिया गया था कि जिला न्यायाधीशों की सिविल अपीलों के सम्बन्ध में (अर्थात् सिविल जज के मूल निर्णयों के विरुद्ध) धन सम्बन्धी अधिकारिता १० हजार रुपये से बढ़ कर २० हजार रुपये हो जाय जिससे उच्च न्यायालय में बकाया कार्य घट जाय।

दस हजार से बीस हजार रुपये मूल्य की लम्बित (Pending) अपीलों की बाबत भी उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया था कि उन अपीलों को यदि वे चाहें तो जिला जज को स्थानान्तरित कर दें।

राष्ट्रपति अधिनियम को अब विधान मण्डल अधिनियम में बदला जा रहा है और एक विधेयक वर्तमान सत्र में पेश किया जा रहा है। उस विधेयक में इस बात का प्राविधान भी किया जा रहा है कि उच्च न्यायालय पर निर्णय छोड़ने के बजाय विधि द्वारा ही यह उपबन्ध कर दिया जाय कि ऐसी सब लम्बित अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित जिला जज को स्थानान्तरित कर दी जायं।

इसी विधेयक में यह उपबन्ध भी किया जा रहा है कि सिविल निगरानियों की सुनवाई व निस्तारण की शक्ति भी जिला जज को हो जाय।

न्यायाधीशों की संख्या भी अब तक बढ़ा कर ४३ हो चुकी है और आवश्यकतानुसार इस संस्था को और बढ़ाने का भी विचार किया जायेगा।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक व्यवस्था चाहता हूं आप मंत्री जी को जरा सिखायें क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि दर्जा दो का लड़का सबक पढ़ रहा है। इस तरह से सदन का समय लेना ठीक नहीं है। आप जरा उनको बता दीजिये।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए प्रदेश के पश्चिमी भाग में हाई कोर्ट की बेंच खोलने की व्यवस्था करेंगे?

श्री बलवीर सिंह—

यह मसला विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जजों की संख्या भी बढ़ चुकी है लेकिन उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमें बहुत ज्यादा हैं तो क्या मंत्री जी नीचे के न्यायालयों को और अधिकार प्रदान करने पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि इसके लिये आयोग स्थापित कर दिया गया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो विधि आयोग बिठाया था, उसकी सिफारिशों पर इस सरकार की ओर से क्या काम किया जा रहा है?

श्री बलवीर सिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के ला कमीशन की सिफारिशों को इस कमीशन को रिफर कर दिया गया है?

श्री बलवीर सिंह—

वह तो इस कमीशन के सामने रहेंगी ही।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रस्तावित कमीशन के टर्म्स आफ रेफेरेन्स क्या हैं?

श्री बलवीर सिंह—

टर्म्स आफ रेफेरेन्स तैयार किये जा रहे हैं। उनमें से कुछ मैं बता देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो हो सकते हैं, ऐसे न बताइये। अगर कुछ तय हो चुके हैं तो बता दीजिए।

श्री बलवीर सिंह—

कुछ हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। कमीशन जो सिफारिश करेगा वह खासतौर से इस बात को ध्यान में रख कर करेगा कि लोगों को सस्ता न्याय मिले और कठिनाई न हो।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या इसके लिये न्यायालयों में कुछ नयी नियुक्तियां की जायेंगी?

श्री बलवीर सिंह—

नियुक्तियां बराबर की जा रही हैं, आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो की जायेंगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या माननीय मंत्री जी लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्टों के ज्युरिसडिक्शन्स को अलहेदा करने का विचार कर रहे हैं?

श्री बलवीर सिंह—

अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उच्च न्यायालय में मुकदमों की तादाद बहुत ज्यादा है और मेरठ में हाई कोर्ट की शाखा खोलने जा रहे हैं, तो क्या आप इसमें शीघ्रता करेंगे ताकि दोनों काम पूरे हो जायं?

श्री बलवीर सिंह—

विचाराधीन है। कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जायं।

श्री रामगोपाल संड—

अध्यक्ष महोदय, क्या न्याय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस कार्य के लिये कितने न्यायाधीशों की मांग सरकार से की है।

श्री बलवीर सिंह—

नोटिस की आवश्यकता होगी।

नैनीताल जिले में गांव सभा, आनन्दपुर, के प्रधान के विरुद्ध गबन की जांच

*१०—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील हलद्वानी में ग्राम सभा आनन्दपुर के सभापति के विरुद्ध सरकारी धन के गबन होने की शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी को कब प्राप्त हुई और इसमें आज तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री शिवराज सिंह—

जिला नैनीताल, तहसील हलद्वानी की गांव सभा आनन्दपुर क प्रधान के विरुद्ध सरकारी धन गबन होने की रिपोर्ट जिला पंचायतराज अधिकारी को क्षेत्र विकास अधिकारी हलद्वानी से दिनांक २५-१०-६७ को प्राप्त हुई थी। प्रधान द्वारा फर्जी बाउचर प्रस्तुत किये जाने के आरोपों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने वर्षों में यह कार्यवाही पूरी हो जायेगी?

श्री शिवराज सिंह—

मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी। जो अब तक कार्यवाही की गई है वह करीब-करीब पूरी हो चुकी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो रिपोर्ट आई है उस पर क्या कार्यवाही पूरी हुई है?

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, यह शिकायत १८-७-६७ को सरकारी धन गबन करने के बारे में मालूम हुई थी। बी० डी० ओ० गये और जांच की। उसके बाद पंचायत राज अधिकारी ने जांच की। उसके पश्चात् अध्यक्ष, जिला परिषद् ने जांच की। जिला परिषद् के अध्यक्ष ने यह पाया कि उस प्रधान

ने ५०० रुपये जो अनुदान के रूप में मिले थे, को खर्च नहीं किया हैं और फर्जी वाउचर दिये हैं। इस पर तीन फैसले लिये गये :

(१) अनुदान रद्द कर दिया जाय।

(२) जो अनुदान पास बुक में दिया गया हैं, वापस कर दिया जाय।

(३) एस० डी० एम० उसके विरुद्ध कार्यवाही करें।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

वह प्रधान निलम्बित हो गया है या नहीं ?

श्री शिवराज सिंह—

निलम्बित नहीं हुआ है। निलम्बित करना एस० डी० ओ० के अधिकार क्षेत्र की बात है। अध्यक्ष, जिला परिषद्, ने कहा कि वह भी कार्यवाही को करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे मालूम होता है कि यह मामला पुलिस दस्तनदाजी का है, तो क्या इसको उसके सुपुर्द किया जावेगा ?

श्री शिवराज सिंह—

यह मामला एक बड़े अधिकारी को दे दिया गया है और जिस कार्यवाही की भी आवश्यकता होगी वह की जायेगी।

*११-१२—श्री गोविन्द सिंह—

[२रे शुक्रवार के लिये प्र० स० १२-१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विक्री कर की वसूली

*१३—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में कितने सेल्स टैक्स के बकाये की वसूली की गई तथा जिनसे वसूली नहीं हो सकी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलवीर सिंह—

वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में २.७१ करोड़ रुपये सेल्स टैक्स के बकाये की वसूली की गई। जिनसे वसूली नहीं हो सकी उनके खिलाफ वसूली के प्रमाण-पत्र संबंधित जिला अधिकारियों को इस आशय से भेजे गये कि बकाया दारों से बिक्री कर के बकाया की वसूली मालगुजारी के बकाया की भांति की जाय।

पंचायत निरीक्षकों की पदोन्नति

*१४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे पंचायत निरीक्षकों की संख्या कितनी है जो कि गत ८ वर्षों अथवा उससे अधिक काल से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं तथा इतने काफी समय तक स्थानापन्न रूप में कार्य करने पर भी उन्हें सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया गया है तथा क्यों ?

---

*नोटः—तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री शिवराज सिंह—

वांछित संख्या ५६ है। स्थायी न किये जाने का कारण यह है कि इनमें से ५३ व्यक्ति तो लोक सेवा आयोग से केवल दीर्घकालीन रिक्तियों में अस्थायी स्थानापन्न रूप से ही नियुक्त किये जाने के हेतु अनुमोदित हैं तथा शेष के अनुमोदन का प्रश्न अभी आयोग के विचाराधीन ही है। साथ ही इन सभी पदों पर अन्य ५६ व्यक्ति स्थायी रूप से नियुक्त हैं जो कि इस समय अस्थायी पदोन्नति या प्रतिनिधायन पर अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा अपना स्वत्व (Lien) उपरोक्त ५६ पदों पर रखते हैं।

जी० आई० टी० आई० विद्यालय

१५—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितने जी० टी० आई० विद्यालय हैं तथा कहां-कहां हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उत्तर प्रदेश में इस समय १४ जी० आई० टी० आई० विद्यालय हैं। यह इलाहाबाद, अल्मोड़ा, देहरादून, फतेहपुर, बरेली, रामपुर, चरखारी (हमीरपुर), गोरखपुर, लखनऊ, मऊ (आजमगढ़), मेरठ, श्रीनगर (गढ़वाल), टेहरी-गढ़वाल तथा वाराणसी में हैं।

*१६—मोहम्मद असरार अहमद—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६७–६८, १९६८–६९ तथा १९६९–७० में इन जी० टी० आई० संस्थाओं में विभिन्न ट्रेडों में कितनी सीटें थीं तथा कितनी भर्ती हुयीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३०–३३४ पर।)

*१७–१८—श्री हरिवंश सहाय—

[३ रे बुधवार के लिये प्र० सं० १४–१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आई० टी० आई० देहरादून के प्रधानाचार्य के विरुद्ध आरोप

*१९—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई०, देहरादून के प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच जुलाई, १९६७ अथवा उसके आस-पास कराई गई ? यदि हां, तो आरोप क्या थे, जांच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। अगस्त, १९६७ में प्रारम्भिक जांच कराई गई थी।

श्री प्रताप नारायण तिवारी ने अपने पत्र में प्रधानाचार्य के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये थे :—

(१) प्रशिक्षण हेतु खरीदे गये आइरन ब्लाक के क्रय में अनियमितता।

(२) प्रशिक्षण हेतु क्रय किये गये कापर प्लेट के बिल के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितता।

(३) कोयला के क्रय करने में असावधानी।
(४) प्रशिक्षण संस्थान के दवाखाने के लिये क्रय की गई दवाइयों का दुरुपयोग।
(५) आई० टी० आई० भवनो का किराया गलत रूप से अधिक दिया जाना।
(६) सामान के उतारने व चढ़ाने का ठेका ऊंची दर पर देना।
(७) नये इस्पात के स्थान पर पुराना इस्पात ऊंची दर पर खरीदना।
(८) कम सामान के उतारने व चढ़ाने पर भी केन द्वारा उतराई का पैसा देना।
(९) सरकारी भवन के ही एक कमरे में बिना किराया दिये रहना।
(१०) अनियमितताओं का साथ न देने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना।
(११) प्रधानाचार्य द्वारा तृतीय श्रेणी में सफर करना तथा प्रथम श्रेणी का भत्ता लेना।

उपरोक्त आरोपों में से संख्या (९) तथा (११) के आरोप जांच में पूर्णतः सही पाये गये। आरोप सं० (२) तथा (४) अंशतः सही पाये गये। श्री जायसवाल को दिनांक जुलाई, १९६८ को देहरादून से कानपुर स्थानान्तरित कर दिया गया तथा उन्हें आरोप-पत्र दिया जा रहा है, जिसके बाद उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

व्यावसायिक कर

*२०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मन्त्री ने नई देहली में फाइनेन्स कारपोरेशन की बैठक में इसी वर्ष जून-जुलाई, १९६९ में व्यावसायिक कर को अनुचित कर बताया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के इस कर को समाप्त करने पर विचार कर रही है?

श्री बलवीर सिंह—

यह सही नहीं है कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने वित्त आयोग के समक्ष व्यावसायिक कर को अनुचित बताया था। जिस संदर्भ में वृत्ति कर का जिक्र किया गया था वह इससे संबंधित था कि आयोग भूमि भवन कर से होने वाली आय को प्रदेशीय शासन द्वारा छोड़ दिये जाने पर गैर राजस्वी गेप के लिए सम्मिलित नहीं करती है तो उस हालत में उसे जो आय वृत्ति कर से होती है उसे भी शामिल नहीं करना चाहिये, क्योंकि कुछ अर्थ शास्त्री वृत्ति कर का भी विरोध करते हैं।

भूतपूर्व शासन ने वृत्ति कर के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिये थे परन्तु यह सरकार इस समय इस कर को समाप्त करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

*२१—श्री कृष्ण स्वरूप—

[२रे शुक्रवार में प्र० सं० २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२२—श्री मंजूर अहमद, *२३—श्री मंजूर अहमद तथा श्री राम गोपाल सड—

[२रे गुरुवार के ता० प्र० सं० १०८-१०९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य कर्मचारियों की पेन्शन में बढ़ोत्तरी न होना

२४—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार की भांति राज्य सरकार अपने अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की पेंशन में एडहाक बढ़ोत्तरी करने जा रही है? यदि हां, तो कब से और कितनी?

श्री बलवीर सिंह--

जी नहीं। प्रश्न का शेष अंश नहीं उठता।

*२५-२६--श्री डूंगरसिंह विष्ट--

[माननीय सदस्य के मंत्रि मंडल में सम्मिलित हो जाने के कारण हटा दिये गये]

बरेली स्थित सेन्थिटिक्स तथा केमिकल में विस्फोट तथा सेफ्टी-इंजीनियर व प्लान्ट चालकों की योग्यता

*२७--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली स्थित सेन्थिटिक्स तथा केमिकल्स में कार्य करने वाले वर्तमान सेफ्टी इंजीनियर तथा प्लान्ट चालक की योग्यतायें क्या हैं तथा श्रम विभाग के नियमानुसार इनकी न्यूनतम योग्यतायें क्या हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

१--इस प्रतिष्ठान में वर्तमान सेफ्टी इन्जीनियर श्री डी० के० सरकार की शैक्षिक योग्यता है--मैट्रिक (द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण)।

२--उक्त प्रतिष्ठान में २०७ प्लान्ट आपरेटर्स (चालक) है। इनके चार वर्ग हैं (ए), (बी), (सी) तथा (डी), विस्तृत सूचना निम्न प्रकार से है :--

श्रेणी	हाई स्कूल से कम	हाई स्कूल	इण्टर साइन्स	बी०-एस-सी	योग
आपरेटर 'ए' ..	६	१६	४१	९	७२
आपरेटर 'बी' ..	१५	२४	३४	३३	१०६
आपरेटर 'सी'	१०	२	६	..	१८
आपरेटर 'डी' ..	१०	१	..	..	११
			योग ..		२०७

उपरोक्त में से २५ प्लान्ट चालक, जो ब्वायलरों पर काम करते हैं, ब्वायलर्स अटेन्डेन्ट्स की परीक्षा भी पास हैं।

३--श्रम अधिनियम (फैक्ट्री अधिनियम) के अन्तर्गत सेफ्टी इन्जीनियर्स तथा प्लान्ट चालक के पद के लिये न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है क्योंकि सेफ्टी इन्जीनियर/आफिसर का पद भी निर्धारित नहीं है। प्लान्ट चालक के लिये भी कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है

*२८--श्री हिम्मत सिंह--

क्या श्रम मन्त्री को इसकी जानकारी है कि बरेली स्थित सिन्थेटिक्स तथा केमिकल्स में किसी प्लान्ट के बिगड़ने से १९ दिसम्बर, १९६५ को ३ श्रमिकों की मृत्यु हो गई तथा लगभग ५० घायल हुये ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा श्रमिकों को क्या हरजाना दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह सही है कि उक्त कारखाने के बुटाडीन प्लान्ट के विस्फोट से १९ दिसम्बर, १९६५ को ३ श्रमिकों की मृत्यु हुई और ३४ श्रमिक घायल हुये थे। इसकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की नहीं ठहराई जा सकी। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। मृतक श्रमिकों के आश्रितों को हरजाना दे दिया गया।

बुन्देलखंड के लिये विकास निगम

*२९--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये सरकार इसके विकास पर विशेष ध्यान देने के दृष्टिकोण से पर्वतीय विकास परिषद् के समान बुन्देलखंड विकास परिषद् भी गठित करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी पूर्ण रूप-रेखा क्या है?

श्री चरणसिंह--

बुन्देलखंड में विकास परिषद् गठित करने का विचार नहीं है। वहां के विकास पर विशेष ध्यान देने के दृष्टिकोण से एक विकास निगम गठित करने का विचार है जिसकी रूप रेखा पर गौर हो रहा है।

*३०--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ११० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३१--श्री मोती लाल देहलवी--

[२रे बुधवार के प्र० सं० ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषद् शाहजहांपुर, के वित्त परामर्शदाता की कथित शिकायतें

*३२--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को पता है कि जिला परिषद् शाहजहांपुर, के वित्त परामर्शदाता ने घोर अनियमितताओं की शिकायत १ जनवरी, १९६९ से ३१ अगस्त, १९६९ तक कई बार राज्य सरकार से की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री शिवराज सिंह--

१ जनवरी, १९६९ से ३१ अगस्त, १९६९ तक या बाद में कोई शिकायत, जिला परिषद् शाहजहांपुर, के वित्त परामर्शदाता से प्राप्त नहीं हुई है। अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

पशुरोधालय में बन्द किये जाने वाले पशुओं पर दण्ड की दर

*३३--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पशुरोधालयों में बन्द किये जाने वाले पशुओं का महसूल पांच रुपया की दर को बढ़ा कर २५ रुपया कर दी गई है जिससे देहात की जनता को पैसे के अभाव में पशु बेचने पड़ जाते हैं? क्या बढ़ी हुई दर को शीघ्र कम करने का आदेश जारी करने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री शिवराज सिंह--

शासकीय विज्ञप्ति दिनांक १० मई, १९६८ द्वारा जिला परिषदों के पशुरोधालयों म बन्द किय जान वाले पशुओ के संबंध में जिन्हें संलग्न तालिका में विखाया गया है जुर्माने को दरें

५ रुपये के स्थान पर २५ रुपया कर दी गयी थीं। इन दरों को अभी हाल ही के निर्णय के अनुसार २५ रुपये के स्थान पर १५ रुपये प्रति पशु कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३५ पर)

एम्पलायमेंट कार्यालय, फर्रुखाबाद, में पंजीकृत प्रार्थी

*३४—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के इम्प्लायमेंट कार्यालय में ऐसे कितने नाम दर्ज हैं जिनको तीन वर्ष हो गये हैं किसी इन्टरव्यू में नहीं बुलाया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस कार्यालय में पंजीकृत ऐसे सभी प्रार्थी जिन्हें तीन वर्ष हो गये हैं साक्षात्कार हेतु बुलाया जा चुका है।

सगीर अहमद, सहसवान, जिला बदायूं का रिट खारिज होना

*३५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या पंचायत राज मन्त्री को यह मालूम है कि दिनांक १६ सितम्बर, १९६९ को सगीर अहमद, सहसवान, जिला बदायूं का रिट (writ) श्री सैय्यद सगीर अहमद नकवी के जिला परिषद्, बदायूं के सदस्य मनोनीत किये जाने के विरुद्ध खारिज हो चुका है ? यदि हां, तो मन्त्री उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने दिनांक ५ जुलाई, १९६९ को फर्जी सगीर अहमद को शिनाख्त करके और जबरदस्ती से शपथ जिला परिषद् को सदस्यता की दिलायी, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां। उच्च न्यायालय ने श्री सगीर अहमद की रिट खारिज कर दी है। राज्य सरकार को यह राय दी गई है इस मामले से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कानून कार्यवाही सम्भव नहीं है।

*३६—श्री रामगोपाल सण्ड—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० १११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अरोरा अल्मूनियम ऐण्ड एलाइड वर्क्स, लि० कसिया रोड, देवरिया में मजदूरों की स्थिति

*३७—श्री शिव कैलाश तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत चलने वाली मेसर्स अरोड़ा एल्यूमिनियम एलाइड्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, कसिया रोड, देवरिया में कार्य करने वाले मजदूरों का नाम पी० फार्म पर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नहीं, क्योंकि 'पी' फार्म पर नाम रखने का प्राविधान नहीं है बल्कि फार्म १२ पर रखने का प्राविधान है। फार्म 'पी' कारखाना अधिनियम १९३४ के अन्तर्गत श्रमिकों की हाजरी रखने के लिये कारखानों द्वारा रखा जाता था। अब कारखाना अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, १९५०, के अन्तर्गत उपस्थिति पंजिका (फार्म 'पी' के स्थान पर) फार्म १२ में रखी जाती है। दिनांक ८ अक्तूबर, १९६९ को कारखाना के निरीक्षण से पता लगा कि उस दिन हाजिर ३५ कर्मकारों में से १६ कर्मकारों के नाम उपस्थिति पंजिका में दर्ज नहीं थे।

*३८—श्री शिव कैलास तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या श्रम मन्त्री फैक्टरी अधिकारियों से जांच करायेंगे कि उक्त कम्पनी में मजदूरों की सही स्थिति क्या है तथा जांच की रपट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कारखाना निरीक्षक के माध्यम से ८ अक्तूबर, १९६९ तथा २८-१-७० को फैक्ट्री की जांच कराई गई। जांच की रिपोर्टें (हिन्दी में) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३६-३३७ पर)

सर्वश्री अरोरा ऐण्ड कम्पनी, देवरिया द्वारा लगाये गये भट्ठे एवं बिक्री-कर की अदायगी

*३९—श्रीमती मसाली देवी तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिलान्तर्गत अरोरा फर्म ने वर्ष १९६७-६८ व दिनांक १५ सितम्बर, १९६९ तक जिले के किन-किन स्थानों पर किन-किन नामों से कितने ईंट चिमनी भट्ठे लगवाये ?

श्री बलवीर सिंह—

देवरिया जिले में अरोरा लोगों की भट्ठे के कारोबार की निम्नलिखित २ फर्म हैं—

१—सर्वश्री अरोरा ऐण्ड कं०, देवरिया,
२—सर्वश्री अरोरा ब्रिक फील्ड एण्ड कान्सट्रक्शन कं०, देवरिया।

इन दोनों फर्मों द्वारा वर्ष १९६७-६८, १९६८-६९ तथा १९६९-७० (३० सितम्बर, १९६९ तक) में कितने ईंट भट्ठे विभिन्न स्थानों पर जिन-जिन नामों से लगवाये गये उनका विवरण तालिका १ में संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३३८ पर)

*४०—श्रीमती मसाली देवी तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त फर्म ने कितना रुपया उक्त वर्षों में सेल्स टैक्स की अदायगी प्रत्येक वर्ष में की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

उक्त दोनों फर्मों द्वारा सेक्स टैक्स की अदायगी की धनराशि वर्षवार तालिका २ में प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३३८ पर)

*४१-४२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[२रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ११२-११३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कानपुर में फर्मों पर बिक्री-कर बकाया

*४३—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९६९ तक कानपुर नगर में ऐसी कितनी फर्म्स थीं जिन पर १० हजार रुपया से अधिक बिक्री-कर बकाया था ?

श्री बलवीर सिंह—

कानपुर नगर में १ जुलाई, १९६९ को २९३ ऐसी फर्म्स थी जिन पर १० हजार रु० से अधिक बिक्री-कर का बकाया था।

अध्यक्ष, जिला परिषद्, बिजनौर के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*४४—कुंवर शिवमहेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या नियोजन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान अध्यक्ष, जिला परिषद्, बिजनौर के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं की कोई जांच २–३ वर्ष पूर्व सी० आई० डी० द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां । सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है ।

*४५—कुंवर शिवमहेन्द्र सिंह—

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य (Physically incapaciated) हैं और परिषद् के कार्य करने में असमर्थ हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार अध्यक्ष, जिला परिषद्, बिजनौर के शरीर का दाहिना अंग पक्षाघात से पीड़ित है । वे साफ तरीके से बोल नहीं पाते । जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट विचाराधीन है ।

*४६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

सहायक विकास अधिकारी, पंचायत के पद पर स्थानापन्न नियुक्तियां

*४७—श्री शिव सम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में विकास खण्डों के विघटन के फलस्वरूप सहायक विकास अधिकारी पंचायत के प्रत्यावर्तन के बाद सीमावर्ती जिलों में संगठनात्मक कार्य हेतु जाने तथा पेंशन पर जाने के फलस्वरूप दीर्घकालीन रिक्त पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु विभाग ने प्रदेश स्तर पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत का चयन किया ?

श्री शिवराज सिंह—

जी नहीं । विकास खण्डों के विघटन के बाद प्रदेश स्तर पर इस प्रकार का कोई चयन नहीं किया गया है ।

*४८—श्री शिव सम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद पर स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु चयन प्रति वर्ष किया जाता है ? इस प्रकार का चयन कब से नहीं किया गया है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी नहीं । प्रदेश स्तर पर चयन प्रति वर्ष नहीं किया जाता है, बल्कि आवश्यकतानुसार किया जाता है । प्रदेश स्तर पर पिछली बार चयन वर्ष १९५८ में हुआ था तब से उक्त स्तर पर कोई चयन नहीं किया गया है ।

मेरठ में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सर्किट बेंच खोलने का विचार

*४९—श्री बेनी सिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कानपुर व मेरठ में हाई कोर्ट की बांच खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

केवल मेरठ में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सर्किट बेंच खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*५०—श्री बेनी सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जज हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने इस प्रकार की बेंच खोलने की आवश्यकता पर कोई राय दी है ? यदि हां, तो उसे कितनी शीघ्र कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री बलबीर सिंह—

एडमिनिस्ट्रटिव जज, हाई कोर्ट, इलाहाबाद से इस प्रकार की बेन्च खोलने की आवश्यकता पर कोई राय सरकार में प्राप्त नहीं हुई ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं बोर्ड आफ मैनेजमेंट

*५१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि क्या बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद बोर्ड आफ मैनेजमेंट के संबंध में भारत सरकार ने कोई सुझाव प्रदेश सरकार से मांगा है ? यदि हां, तो क्या और क्या उत्तर गया ?

श्री बलवीर सिंह—

इस प्रकार का सुझाव नहीं मांगा गया । प्रश्न के अंतिम भाग का उत्तर देने का सवाल नहीं उत्पन्न होता ।

ब्लाक प्रमुख, कल्यानपुर के विरुद्ध जांच

*५२—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख,कल्याणपुर, जिला कानपुर के विरुद्ध कोई गंभीर आरोपों की वित्तीय वर्ष १९६६ में अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) कानपुर के द्वारा करके प्रतिवेदन शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई, तथा ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध क्या आरोप प्रमाणित हुए थे ? क्या विकास मंत्री उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

ब्लाक प्रमुख कल्यानपुर के विरुद्ध कुछ आरोपों पर १९६६ में अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन), कानपुर द्वारा जांच की गई परन्तु जांच संबंधी कोई प्रतिवेदन शासन को नहीं भेजा गया था । अतएव इस प्रतिवेदन पर शासन द्वारा किसी कार्यवाही या उसको सदन के सामने रखने के प्रश्न नहीं उठते ।

देवरिया जिले में पंचायत मंत्रियों की मांगें

*५३—श्री हरिवंश सहाय——

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन कारणों से देवरिया जिला के पंचायत मंत्री दिनांक २ अक्तूबर, १९६९ से सविनय अवज्ञा आन्दोलन कर रहे हैं तथा इस संबंध में सरकार कौन-सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

देवरिया जिले के पंचायत मंत्रियों द्वारा कथित आन्दोलन दिनांक २ अक्तूबर, १९६९ से जनवरी, १९७० के मध्य तक अपनी मांगों को पूरा किये जाने के संबंध में चलाया गया

था। उनकी मांगें थीं कि उन्हें १२०–२२० रु० का वेतन-क्रम दिया जाय, उन्हें स्थायी एवं राज्य कर्मचारी घोषित किया जाय तथा सरकारी कर्मचारियों की भांति सभी सुविधाएं उपलब्ध की जायं, उन्हें योग्यता एवं ज्येष्ठता के आधार पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर पदोन्नति दी जाय तथा पंचायत राज विभाग के सामुदायिक विकास विभाग से अलग एवं सर्वोपरि किया जाय। पंचायत मंत्रियों की संख्या के २० प्रतिशत को प्रति वर्ष बढ़ा हुआ वेतन-क्रम ७५–११५ रुपये दिये जाने का प्राविधान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है। हाल ही में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया जा चुका है कि १ मार्च, १९७० से प्रदेश के सभी पंचायत मंत्रियों को उपरोक्त बढ़ा हुआ वेतनक्रम दिया जाय।

उनकी अन्य मांगों पर शासन द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है तथा अने क वित्तीय एवं प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण शासन उन्हें स्वीकार नहीं कर सका था।

जिला परिषद्, रामपुर की मांग

*५४—श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या पंचायत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् रामपुर ने शासन से सेस की धनराशि जिसके अंकन कई लाख रुपया होते हैं मांग की है? यदि हां, तो उक्त जिला परिषद् रामपुर के लिये स्वीकृत न करने का क्या कारण है?

श्री शिवराज सिंह—

संभवतः माननीय सदस्य का आशय लोकल रेट के बदले में जिला परिषदों को दिये जाने वाले अनुदान से है। इस प्रकार की मांग जिला परिषद्, रामपुर से प्राप्त हुई है। रामपुर जिले में "लोकल रेट ऐक्ट" लागू नहीं था। अतः अन्य जिला परिषदों की भांति इस जिला परिषद् को यह अनुदान अब तक नहीं दिया जा सका। फिर भी एक लाख रुपये के विशेष वार्षिक अनुदान को जो इस जिला परिषद् को दिया जा रहा है बढ़ाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

हटाये गये सरकारी वकीलों की पुनर्नियुक्ति

*५५—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संविद शासन काल में कितने सरकारी वकील (दीवानी) अपने पद से हटाये गये और उनके हटाये जाने का क्या कारण था, एवं अब कांग्रेस सरकार ने उनमें से कितने सरकारी वकील (दीवानी) की पुनर्नियुक्ति की है?

श्री बलबीर सिंह—

संविद शासन काल में श्री फखरे आलम, जिला सरकारी वकील (दीवानी) बदायूं व श्री त्रिलोकी नाथ मिश्र, जिला सरकारी वकील (दीवानी) जौनपुर का कार्यकाल क्रमशः १२ नवम्बर व १६ नवम्बर, १९६७ के बाद नहीं बढ़ाया गया। श्री फखरे आलम को विधायकों के एक शिकायती-पत्र के आधार पर हटाया गया था यद्यपि जिला अधिकारी व जिला जज की रिपोर्ट उनके बारे में अच्छी थी।

श्री त्रिलोकीनाथ मिश्र को इस आधार पर हटाया गया था क्योंकि सन् १९६३ व १९६४ में उनकी सत्यनिष्ठा के विरुद्ध स्व० श्री हरगोविन्द सिंह गृह मंत्री ने शिकायत की थी। इनमें से श्री फखरे आलाम की, उनके प्रत्यावेदन पर विचार करने के बाद और उनके पिछले १० वर्षों के रिकार्ड को देखते हुये, पिछली सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति कर दी गयी है। श्री त्रिलोकी नाथ मिश्र की पुनर्नियुक्ति राष्ट्रपति शासन में चयन समिति की संस्तुति पर हो गई।

इलाहाबाद के ब्लाक प्रमुखों के विरुद्ध गबन की कथित शिकायत

*५६—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद के कितने ब्लाक प्रमुखों के विरुद्ध गबनों के आरोप की शिकायत सरकार को दिनांक १ जनवरी, १९६७ से ३१ अक्तूबर, १९६९ तक मिली है ?

श्री शिवराज सिंह—

इलाहाबाद के किसी भी ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध गबन के आरोप की कोई शिकायत सरकार को १ जनवरी, १९६७ से ३१ अक्तूबर, १९६९ तक प्राप्त नहीं हुई।

जिला बलिया की प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति का गठन

*५७—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया में जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समिति का गठन निर्देश संख्या १३४७-ई-३६-बी-२३० ई०-१९५८, दिनांक ७ अक्तूबर, १९६३ के अनुसार विधिवत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला बलिया प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समिति सदस्यों का नाम पद, योग्यता तथा किन-किन संस्थाओं से उन्हें नामांकन किया गया है उसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धीरेन्द्र वर्मा—

बलिया जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समिति का गठन तद्विषयक शासनादेश सं० १३४७ (ई)/३६-बी-२३०(ई)/१९५८, दिनांक ७ अक्तूबर १९६३ [यथा शासनादेश सं० ९११(ई)/३६-बी-२५(ई), दिनांक ८ मई, १९६९ से संशोधित] द्वारा किया गया है। समिति के सदस्यों की सूची सदन के पटल पर सूचनार्थ रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३३९ पर)

पटेल समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*५८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के पूर्वी जिलों के विकास के लिय पटेल आयोग की सिफारिशों को कब तक लाग् करेगी ?

श्री चरण सिंह—

पटेल समिति की संस्तुतियों के आधार पर देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर एवं गाजीपुर जिलों में वर्ष १९६४-६५ से कार्य किया जा रहा है। वर्ष १९६६-६७ से बलिया एवं बस्ती जिले भी उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

*५९—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बलिया जिला में इस आयोग के सुझाव के अन्तर्गत अब तक कौन-कौन कार्य सम्पन्न हुये हैं ?

श्री चरण सिंह—

पटेल समिति की संस्तुतियां मूलतः देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर एवं गाजीपुर जिलों के लिये ही की गई थीं। बलिया जिले के लिये पटेल समिति ने कोई सुझाव अपनी संस्तुतियों में नहीं दिया था फिर भी १९६६-६७ से बलिया एवं बस्ती जिलों में भी तीव्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया।

बलिया जिले के विकास पर १९६६-६७ में १४१.५६ लाख रुपया तथा १९६७-६८ में १७२.३७ लाख रुपये व्यय हुआ और १९६८-६९ में ९१.९८ लाख रुपया का अनुमानित व्यय हुआ। १९६६-६८ काल में प्राप्त भौतिक उपलब्धियां संलग्नक में दिखाई गई है ।*

*६०—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रिमंडल में समावेश हो जाने के कारण अपास्त]

*६१—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त किया गया]

कानपुर चप्पल गृह उद्योग संघ का पत्र

*६२—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या कानपुर चप्पल गृह उद्योग संघ के पदाधिकारियों द्वारा सितम्बर, अक्तूबर, १९६९ में शासन को यह जानकारी कराई गई है कि प्लास्टिक एवं नायलोन का ढली चप्पलों के बाजार में आ जाने के कारण कानपुर के चप्पल बनाने वाले लगभग १ लाख कारीगर बेकार होकर भुखमरी की स्थिति को प्राप्त हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां ।

*६३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या कानपुर चप्पल गृह उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने उपर्युक्त कारीगरों के उद्धार के लिये कुछ सुझाव भी दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सुझावों पर अमल किया ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कुछ सुझाव दिये गये थे । उन पर आवश्यक कार्यवाही की गई ।

इण्डस्ट्रियल स्टेट देवरिया के अन्तर्गत श्रमिक

*६४—चौधरी रामपालसिंह तथा यादव, श्री हरिवंश सहाय—

क्या श्रम मन्त्री बतायेंगे कि इण्डस्ट्रियल स्टेट, देवरिया के अन्तर्गत चलने वाले उद्योग की इकाइयों में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इण्डस्ट्रियल स्टेट देवरिया के अन्तर्गत कुल ६ इकाइयां हैं जिनमें से २ इकाइयां क्रमशः इण्डिया बूट पालिश निर्माता तथा पी-बी-इन्जीनियरिंग एण्ड एलाइड वर्क्स बन्द है शेष ४ इकाइयां और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

प्रतिष्ठान	श्रमिकों की संख्या
१—मेसर्स नवल प्रिंटिंग प्रेस	१३
२— ,, जनता इण्डस्ट्रीज	२७
३— ,, बी० लक्स	७
४— ,, पटेल ट्रेडिंग कम्पनी	५
	५२

*देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ ३४ , पर ।

*६५—चौधरी रामपाल सिंह यादव तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि उक्त मजदूरों को वेजबोर्ड की अथवा श्रम कानून की जो सुविधायें होना चाहिये वे सभी मिल रही हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उपरोक्त इकाइयों पर वेज बोर्ड की कोई सिफारिश लागू नहीं होती। जहां तक श्रम कानूनों का प्रश्न है, उक्त सभी इकाइयों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। उपरोक्त में से दो कारखाने मेसर्स जनता इण्डस्ट्रिज तथा नवल प्रिंटिंग प्रेस कारखाना कानून के अन्तर्गत आते हैं और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं।

डाक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु पर चीनी मिलों में छुट्टी न होना

*६६—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा) तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के चीनी उद्योगपतियों ने स्वर्गीय भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु के समय सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय शोक में तीन दिन की छुट्टी सवेतन करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मिल मालिकों ने मजदूरों को दिनांक २५ जून, १९६९ तक तीन दिन का वेतन नहीं दिया है, यदि हां ? तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

शासकीय विज्ञप्ति जिसके द्वारा तीन दिन की सवेतन छुट्टी घोषित की गई थी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर कानूनन लागू नहीं थी। १६ मिलों ने इसका पूर्णरूप से तथा ३८ मिलों ने आंशिक रूप से पालन किया है। शेष १७ मिलों ने उसका पालन नहीं किया ? जिन पर कानूनी दबाव डालना सम्भव नहीं।

*६७—श्री गेंदा सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटा दिया गया]

बस्ती जिला परिषद् में गोलमाल की जांच

*६८—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला परिषद् में भारी गोल-माल की जांच के सम्बन्ध में संयुक्त विधायक दल की सरकार ने परिषद् के गोदाम में ताला बन्द कराया था ? यदि हां, तो दिनांक ३० अक्तूबर, १९६९ तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिवराज सिंह—

सन् १९६७ में जिला परिषद्, बस्ती के शिक्षा विभाग के लेखाओं में गड़बड़ी होने की शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधिकारी बस्ती, ने परिषद् के शिक्षा विभाग से संबंधित १९६३-६४ से १९६६-६७ के चार वर्षों का भान्डार पंजियों (स्टाक बुक्स) तथा परिषद् के दो कमरों, जिसमें परिषद् का शिक्षा संबंधी सामान रखा हुआ था, को मुहरबन्द (सील्ड) करा दिया था। जुलाई, १९६८ में शासन ने जिलाधिकारी, बस्ती को सील किये हुये सामानों एवं अभिलेखों की जांच कराने तथा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा को शिक्षा विभाग से संबंधित वर्ष १९६३-६४ से १९६६-६७ तक के, विशेषतया सामानों को क्रय करने तथा उनके वितरण से संबंधित लेखा सम्परीक्षण कराने के आदेश दिये थे। सील किये हुये सारे सामान की चेकिंग करके सूची बना ली गयी है और सारा सामान अध्यक्ष को वापस कर दिया गया है। जांच सम्परीक्षा की कार्यवाही जारी है।

जिला परिषद् कर्मचारियों का वेतन एवं महंगाई भत्ता

*६९—श्री राम लखन (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन तथा महंगाई भत्ता सन् १९४९ के बाद किन-किन वर्षों में किस दर से बढ़ाया गया तथा इस समय परिषद् के कार्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को अलग-अलग कितना वेतन तथा महंगाई भत्ता दिया जाता है ?

श्री शिवराज सिंह—

६ जिला परिषद् के कर्मचारियों (अध्यापकों को छोड़कर) के वेतन क्रम सामान्य रूप से अप्रैल, १९६८ से वृद्धि कर पुनरीक्षित किये गये हैं। वेतन क्रम की दरों के लिये संलग्न राजाज्ञा संख्या २०८८ क/३३-१-२२४।१९६५, दिनांक १२ जून, १९६८ की संलग्न अनुसूची देख ली जाए।

महंगाई भत्ते में सामान्य रूप से ८ बार वृद्धि की गई है। संलग्न अनुसूची २ में उसका विवरण है।

इसके अतिरिक्त ऐसा ही एक भत्ता विवेक भत्ते के नाम से राजाज्ञा संख्या ४९ए/३३-८४ बी-६२, दिनांक ९ अप्रैल, १९६५, द्वारा स्वीकृत किया गया है।

इन्हीं दरों से जिला परिषदों के समस्त कर्मचारी इस समय वेतन व महंगाई भत्ते पा रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३४१-३४६ पर)

*७०—श्री राम लखन—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् के अध्यापकों की भांति कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन देने की व्यवस्था करेगी ? साथ ही क्या सरकार जिला परिषद कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ता के संशोधन के लिये कोई कमीशन बैठाने का विचार करती है ?

श्री शिवराज सिंह—

जिला परिषद् के कर्मचारियों (अध्यापको को छोड़कर) के पेंशन के विषय में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत पेंशन विनियम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

शासकीय कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करने हेतु वेतन आयोग को संगठित किया जा चुका है वही आयोग जिला परिषदों के कर्मचारियों के भी वेतन आदि के पुनरीक्षण पर विचार करेगा।

वित्त विभाग द्वारा अंग्रेजी में जारी किये गये पत्र

*७१—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक वित्त विभाग द्वारा शासकीय अथवा अर्ध शासकीय कुल कितने पत्र, परिपत्र, शासनादेश, विज्ञप्ति आदि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों तथा नागरिकों को जारी किये गये तथा उनमें से कितनों की भाषा अंग्रेजी थी ?

श्री बलबीर सिंह—

दिनांक १ मार्च, १९६९से ३० सितम्बर, १९६९ तक वित्त विभाग द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, शासनादेश, विज्ञप्ति आदि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा नागरिकों को कुल १७९३४ जारी किये गये थे तथा उनमें से ६४३ की भाषा अंग्रेजी थी।

श्रम विभाग, कानपुर में अनुसूचित जातियों का संरक्षण

*७२--श्री कृष्ण दत्त (जिला फतेहपुर)--

क्या श्रम मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर के अधीनस्थ श्रम सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों में कितने-कितने स्थाई एवं अस्थाई पद हैं और उन पर कितने-कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं और क्या संरक्षण का प्रतिशत पूरा है ? यदि नहीं, तो उसकी पूर्ति हेतु शासन ने जो निर्देश दिये हैं उनका पालन किया गया है ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३४७-३४८ पर)

*७३--श्री कृष्ण दत्त--

क्या श्रम मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त पदों के कुछ स्थाई पद पड़े हैं जिन पर कर्मचारियों का स्थाईकरण किया जाना है ? यदि हां, तो वह पद कितने-कितने हैं और कब से स्थाई घोषित हैं अथवा रिक्त हैं और उन पर अभी तक कर्मचारी स्थाई घोषित क्यों नहीं किये गये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३४७-३४८ पर)

वीविंग ऐण्ड स्पिनिंग मिल्स, मुरादाबाद में हड़ताल

*७४--श्री मही लाल--

क्या श्रम मन्त्री को ज्ञात है कि वीविंग एण्ड स्पिनिंग मिल्स, मुरादाबाद के कतिपय मजदूरों की हड़ताल पिछले तीन मास से चल रही है ? यदि हां, तो शासन ने उक्त मिल को चलवाने हेतु अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी नहीं। वेतन वितरण में देरी के प्रश्न को लेकर श्रमिकों ने दिनांक ९-९-६९ से हड़ताल कर दी थी, जो स्वतः दिनांक ९-१०-६९ को समाप्त हो गई।

*७५--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[प्रश्नकर्ता के मन्त्रि-मण्डल के समावेश के कारण अपास्त]

श्रम विभाग, कानपुर के अन्तर्गत श्रम सेवायें

*७६--श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर)--

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर के अधीनस्थ श्रम सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों की ज्येष्ठता सूची राजकीय आदेश के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये मेरिट के आधार पर बनाई गई है और पदोन्नति व स्थायीकरण उसी के आधार पर किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी हां।

प्रधान गांव सभा, किशुनपुर जिला इलाहाबाद पर गबन का मुकदमा

*७७--श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या नियोजन मन्त्री को पता है कि ग्राम प्रधान ग्राम किशुनपुर अम्बारी थाना सराय अफिल, जिला इलाहाबाद ने गांव सभा की सम्पत्ति और २० हजार रुपय का गबन पिछले४ वर्षों के अन्दर किया है ? यदि हां, तो प्रधान के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही धन वसूलयाबी और दन्ड दिलाने की किया ?

श्री शिवराज सिंह---

फरवरी, १९६८ में गांव सभा किशुनपुर अम्बारी के लोगों ने परगनाधीकारी, चायल, जिला इलाहाबाद से इस बात की शिकायत की थी कि गांव सभा के प्रधान ने करीब ५,००० रुपये का गबन किया तथा गांव समाज की सम्पत्ति के सम्बन्ध में अनियमिततायें कीं ।

प्रधान को ८-१०-६८ से निलम्बित कर दिया गया है । जांच के फलस्वरूप प्रधान को एक नोटिस दी जा रही है कि वह वजह बतायें कि उन्हें प्रधान के पद से क्यों न हटा दिया जाय। प्रधान के विरुद्ध गबन के आरोपों के संबंध में भारतीय दण्ड विधान की धारा ४०९/४२० के अन्तर्गत पुलिस द्वारा न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर किया गया है जो न्यायालय के विचाराधीन है । विभागीय तथा न्यायालय की कार्यवाही पूरी हो जाने पर धन की वसूली के लिये उचित कार्यवाही की जायगी ।

मुरादाबाद जिला परिषद् में विकास क्षेत्र सदस्यों के रिक्त स्थान

*७८---श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिला परिषद् से विकास क्षेत्रों से निर्वाचित कितने सदस्यों के स्थान रिक्त हैं और यह कितने दिन से हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

दो स्थान रिक्त हैं । एक स्थान छेजलेट क्षेत्र विकास समिति के प्रतिनिधि का १८-३-१९६६ से तथा दूसरा स्थान बिलारी क्षेत्र विकास समिति का दिनांक ८-८-१९६८ से रिक्त है ।

*७९---श्री नौनिहाल सिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्थानों पर अब तक जिला परिषद् के सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति निर्वाचन द्वारा क्यों नहीं कराई गई ?

श्री शिवराज सिंह---

जिलाधिकारी मुरादाबाद को उपर्युक्त रिक्त स्थानों के संबध में पूर्ण विवरण जिला परिषद् ने १३-१०-६९ को दिया जिस पर उनके द्वारा निर्वाचिन की कार्यवाही अब कराई जा रही है।

अध्यक्ष जिला परिषद् , बाराबंकी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*८०---श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार को जानकारी हैं कि एस० बी० डी० सरकार के जमाने में बाराबंकी जिला परिषद् के मामले में एक स्पेशल इन्क्वायरी का हुक्म हुआ था और आडिट पार्टियों ने इस दफ्तर के कुछ कागजात पर भी कब्जा कर लिया था ? क्या यह इन्क्वायरी अब तक जारी है अगर नहीं, तो क्यों रोक दी गई और अगर सरकार को इन्क्वायरी रिपोर्ट मिल चुकी है तो क्या वह इन्क्वायरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां, १९६७ में संविद सरकार के समय में अध्यक्ष जिला परिषद् बाराबंकी के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच सी० आई० डी० से कराने तथा जिला परिषद् के लेखाओं की विशेष लेखा समरीक्षा कराने के आदेश दिये गये थे। सी० आई० डी० ने जांच के लिए परिषद् के कुछ पत्रावलियां, कागजात और अभिलेख प्राप्त किये थे तथा आडिट पार्टी ने कुछ कागजात अध्यक्ष, जिला परिषद्, बाराबंकी की परिरक्षा में रखा दिये थे। सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट तथा कुछ आरोपों पर आयुक्त फैजाबाद मंडल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं और शासन के विचाराधीन है। उक्त रिपोर्ट की प्रातियां सदन की मेज पर इस समय रखना जनहित में न होगा।

बस्ती जिले में सिकन्दरपुर प्राइमरी पाठशाला का भवन निर्माण

*८१—श्री राम करन (गोरखपुर)—

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, सिकन्दरपुर विकास क्षेत्र परसरामपुर, जिला बस्ती में पाठशाला भवन निर्माण हेतु एस्टीमेट कितने-कितने रुपये की थी और उस पर गांव सभा प्रधान द्वारा कितना खर्च दिखाया गया है?

श्री शिवराज सिंह—

पाठशाला भवन के निर्माण का अनुमान (एस्टीमेट) ३,००० रुपये का था और उस पर गांव सभा प्रधान द्वारा १२,११८ रुपये २० पै० का व्यय किया गया है।

*८२—श्री रामकरन (गोरखपुर)—

क्या पंचायत मंत्री जांच करके यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एस्टीमेट से अधिक धन व्यय दिखा कर गांव सभा धन का अपहरण किया गया है? यदि हां, तो सरकार उसको वसूलने की कार्यवाही करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री शिवराज सिंह—

जी नहीं। जांव के परिणामस्वरूप गांव सभा के धन का अपहरण नहीं पाया गया। प्रधान द्वारा एक बृहत पाठशाला भवन का निर्माण करा दिया गया, जिसमें अनुमान से अधिक धन व्यय हुआ है। अतः प्रधान से धन वसूलने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद्, फैजाबाद में अनियमितताये

*८३—श्री रामचन्द्र आजाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् फैजाबाद के स्पेशल आडिट रिपोर्ट सन् १९६५-६६ व १९६६-६७ में क्या-क्या अनियमितताये पाई गई तथा उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शिव राज सिंह—

जिला परिषद् फैजाबाद के लेखाओं का कोई स्पेशल आडिट सन् १९६५-६६ में नहीं कराया गया था। स्पेशल आडिट रिपोर्ट सन् १९६६-६७ में उल्लिखित अनियमितताओं पर सरकार विचार कर रही है। अनियमितताओं की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३४९-३५१ पर)

जिला परिषद् देवरिया का सड़क निर्माण अनुदान

*८४—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से १९६७-६८ तक जिला परिषद्, देवरिया को सड़क निर्माण के लिये सरकार द्वारा कुल कितना रुपया दिया गया

श्री शिवराज सिंह—

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से १९६७-६८ तक जिला परिषद् देवरिया को सड़क निर्माण के लिए कुल २१,२५,५६५—८२ रुपया दिया गया ।

इलाहाबाद जिले में फूलपुर प्रोजेक्ट से ऋण वितरण

*८५—श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इलाहाबाद में स्थित प्रोजेक्ट फूलपुर आफिस से पिछले ५ वर्षों में किन-किन व्यक्तियों ने ५,००० तथा उससे अधिक रुपया कर्ज लिये हैं और उनमें से किन-किन व्यक्तियों ने जिस कार्य हेतु कर्ज लिये थे उन्हें पूरा नहीं किया है ?

श्री चरण सिंह—

फूलपुर प्रोजेक्ट में वित्तीय वर्ष १९६४-६५ से १९६८-६९ तक कुल १२२ व्यक्तियों ने ५,०००.०० रुपया या उससे अधिक का कर्ज लिया जिनका ब्यौरा परिशिष्ट (क) तथा (ख) में दिया हुआ है । परिशिष्ट (क) में कर्जा लेने वाले १२२ व्यक्तियों में से ६८ ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा है जो कर्ज का उपयोग कर रहे हैं और जिनसे नियमानुसार वसूली की जा रही है। परिशिष्ट (ख) में ५४ ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा है जिन्होंने जिस कार्य के हेतु कर्ज लिया था उसे पूरा नहीं किया ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३५२—३५४ पर)

*८६—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या सरकार बतायेगी कि जिन व्यक्तियों ने कार्य पूरा नहीं किया उनसे कर्ज की वसूली की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या प्रगति है?

श्री चरण सिंह—

सभी मामलों में वसूली की कार्यवाही की गयी है । की गयी कार्यवाही तथा प्रगति का विवरण परिशिष्ट (ख) में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३५५—३५६ पर)

ब्लाक प्रमुखों का चुनाव

*८७—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनाक ४ अगस्त, १९६९ ई० को अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के क्रम में क्या न्याय मन्त्री कृपया बतावेंगे कि इन नामों के रह जाने का उत्तरदायित्व किस पर है और इसके लिए शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलबीर सिंह—

इस संबन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शाहजहांपुर जिले में गांव सभाओं के निलम्बित प्रधान

*८८—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर के समस्त ब्लाकों में कितने प्रधान एक वर्ष से अधिक से निलम्बित हैं और जिन ग्राम सभाओं के प्रधान निलम्बित हैं उनके क्या-क्या नाम हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

जिला शाहजहांपुर में १० गांव सभाओं के प्रधान एक वर्ष से अधिक समय से निलम्बित हैं। इन प्रधानों के नाम निम्न हैं।

गांव सभा	नाम प्रधान
१—फीरोजपुर डूंडा	श्री वीर सहाय
२—पसिगवां	श्री पुत्तूलाल
३—रावतपुर	श्री नन्दा
४—लघौली	श्री मुलायम सिंह
५—मूढा	श्री रामेश्वर दयाल
६—रुजवारी	श्री बेचे लाल
७—सलेमाबाद पट्टी गुलचम्पा	श्री जोधा लाल
८—सिकन्दरपुर अफगानान	श्री मंगा राम
९—मुरलीखेड़ा	श्री राम भरीसे लाल
१०—हम्जापुर	श्री छोटे लाल

*८९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र जैतीपुर जिला शाहजहांपुर की ग्राम सभा वंडिया कलां के प्रधान कब से निलम्बित हैं आज तक उनके विरुद्ध कार्यवाही न होने का क्या कारण है और उनके खिलाफ क्या-क्या शिकायतें हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

विकास क्षेत्र जैतीपुर की गांव सभा वन्डिया कलां के प्रधान इस समय निलम्बित नहीं हैं। उन्हें दिनांक ११-५-६४ को निलम्बित किया गया था और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर दिनांक १५-५-६९ को प्रधान पद से हटा दिया गया है। उनके विरुद्ध गांव सभा का धन अनियमित रूप से अपने पास रखने, स्कूलभवन निर्माण में उदासीनता एवं कर्तव्य पालन में शिथिलता सम्बन्धी आरोप थे।

अतारांकित प्रश्न

१-२-श्री तेजबहादुर—

[पहले शुक्रवार के प्रश्न संख्या १२-१३-के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परगनाधीश, हंडिया के विचारधीन मुकदमे

३—श्री राजितराम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इलाहाबाद में हाकिम परगना हंडिया के इजलास में ३१ अगस्त, १९६९ तक दफा १०७/११७ व १०९ व ११० जा० फौ० के ६ महीने से पुराने कुल कितने मुकदमें पेंडिंग थे ?

श्री बलबीर सिंह—

कोई नहीं।

४-५-श्री ज्वाला प्रसाद कुरील—

[पहले बुधवार के प्र० सं० २४-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

२७ फरवरी, १९७० को सदन में जूता फेंकने की घटना के सम्बन्ध में खेद प्रकाश

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, २७ तारीख को इस सदन के सामने ऐसी घटना घटित हुई जो अशोभनीय थी । इस सदन की गरिमा और महिमा को देखते हुए हृदय में वेदना हुई जिसको आपके सामने कैसे प्रकट करूं । मैं अपने दल की ओर से तथा अपनी ओर से क्षमा चाहता हूं, मैं समझता हू कि हर एक सदस्य का कर्तव्य है कि सदन की गरिमा का ध्यान रखे और उसकी मर्यादा को बढ़ाने के लिए उसको आधार मिलना चाहिये । ऐसा होने पर ही यह प्रणाली चल सकती है । हम और हमारा दल इसमें विश्वास करते हैं । जिन परिस्थितियों में यह सब कुछ हुआ उससे हम सब बड़े दुखी हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य आज अवश्य ही इसके लिये क्षमा प्रार्थी होंगे और खेद प्रकट करेंगे और इस चेप्टर को बन्द किया जाय । ऐसी हमारी प्रार्थना सभी माननीय सदस्यों तथा मख्य मंत्री जी से है ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना का प्रश्न है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं अपने दल के नेता होने के कारण इसके लिए खेद प्रकट करता हूं । मैं उस दिन नहीं था ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, २७ फरवरी को सायंकाल आदरणीय सदन के समक्ष जो घटना घटित हुई उससे मुझको काफी क्लेष पहुंचा है और मुझे हार्दिक दुख है । मैं उसके लिए खेद प्रकाश करता हूं ।

***मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)**—

माननीय माधोप्रसाद जी त्रिपाठी, नेता जन संघ और श्री शंकर प्रसाद जी जायसवाल ने अभी उस रोज की घटना के संबंध में खेद प्रकट किया है । मैं उसको देखकर प्रसन्न हुआ हूं । वह घटना वास्तव में खेदजनक थी, इसको हम सब तस्लीम करते हैं । आमतौर से ऐसा होता है कि जिन व्यक्तियों से ऐसी घटनायें घटित हो जाती हैं वे उसको स्वीकार नहीं करते इसलिये मैं श्री शंकर प्रसाद जी को दुबारा बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हममें से किसी भी सदस्य से इस प्रकार की घटना नहीं घटित होगी । मैं उम्मीद करता हूं कि श्री कन्हैयालाल जी सोनकर उन सब बातों को भूल जायेंगे और श्री शंकर प्रसाद जी के साथ वे यथापूर्व अपना व्यवहार रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने मुझको यह कहा था कि उनसे ऐसा हो गया जिससे वे दुखी हैं जिस बात को उन्होंने स्वयं कबूल किया है । माननीय श्री कन्हैयालाल जी सोनकर, अब आप कहें ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

२७ फरवरी को सायंकाल जो व्यवहार मेरे साथ किया गया उसको मैं अपने साथ ही केवल नहीं समझता हूं वरन् वह पूरे सदन के ऊपर हुआ है।

(इस अवसर पर तालियों की आवाज)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कन्हैयालाल सोनकर]

मैंने आपके सम्मुख व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास किया था । जब सबको आप व्यवस्था देते हैं जिसको यह सदन अच्छी तरह से जानता है । इसी बीच मेरे साथ यह दुर्व्यवहार किया गया जब कि मैंने कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया था । यह मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं था और भगवान् की कृपा से आप सब माननीय सदस्यों को विदित है कि मैं अपने को हर स्थान पर मजबूत समझता हूं और जो मुझको अपमानित करने की चेष्टा करेगा उसका मैं भी प्रति-उत्तर दे सकता हूं । आज यह नई बात नहीं है और न भारतवर्ष के इतिहास में यह कोई नई बात है। मध्य प्रदेश में भी जनसंघ के द्वारा यह किया गया और मैं आप सभी माननीय सदस्यों से और इस सदन से यह निवेदन करता हूं कि आगे भविष्य में ऐसी घटना के ऊपर क्या कदम उठाया जाय इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये । ऐसी घटनायें घटित होने के बाद खेद प्रकट कर दिया जाय और माननीय सदस्य जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनके सिर पर जूता फेंका जाय यह निन्दनीय है। इस पर आपको विचार करना चाहिये । जो सदन निर्णय लेगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा ।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं अपने मित्र श्री सोनकर जी से इस बात से सहमत हूं कि जो व्यवहार उनके साथ में हुआ वह केवल उनके ही साथ में नहीं हुआ था, बल्कि समस्त सदन के साथ में वह व्यवहार हुआ ।

मैं संयोग से उस दिन उपस्थित नहीं था । जब मैंने उस दिन की घटना का विवरण सुना तो उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ । श्रीमन्, मैं एक बात अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे जनतंत्र के इतिहास में ऐसी घटनायें पहले भी हुयी हैं और इस प्रकार की घटनायें कई बार हो जाती हैं । भावावेश में लोग न जाने क्या-क्या कर बैठते हैं । पहले भी ऐसा हुआ है। इस सदन में भी हुआ है और दूसरे स्थानों पर भी ऐसी घटनायें हुई हैं । कितनी उदारतापूर्वक और एक महानता को लेकर हमारे मित्र जनसंघ पार्टी के नेता श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने अपने विचारों को व्यक्त किया और हमारे दूसरे साथी ने भी अपने भावों को यहां पर व्यक्त किया । इस सबसे मैं यह समझता हूं कि समस्त सदन उनका कृतज्ञ होगा, क्योंकि इन भावनाओं से वह कालिमा दूर हो गयी है जो कि उस दुर्घटना से संबंधित थी और इस सदन पर छायी हुयी थी । मुझे खुशी है कि वह कालिमा साफ हुयी ।

अब मैं अपने मित्र श्री सोनकर जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया वे इस घटना को भूल जायें । अगर इस प्रकार की घटनायें भविष्य में कभी न हों तो यह सारा सदन उनका और सभी सदस्यों का अत्यन्त अनुगृहीत होगा ।

श्री अध्यक्ष—

श्री कृष्ण चन्द्र ।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सचमुच अत्यन्त खेद का विषय था जबकि नरसों यह सदन एडजर्न होने जा रहा था उस वक्त यह घटना यहां पर घटित हुयी । माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने खेद व्यक्त किया है और संबंधित सदस्य ने भी खेद व्यक्त किया है। हमारे नेता सदन ने बहुत उदारतापूर्वक जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे सब सहमत हैं । किन्तु श्रीमन्, जो हमारे सोनकर जी ने बात कही है मैं सचमुच उससे सहमत हूं । मैं यह चाहता हूं कि जब कि यह घटना यहां पर घटित की गयी है और श्री सोनकर जी यह समझते हैं कि इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विषय पर विचार होना चाहिये, तो इस घटना के संबंध में यहां सदन में विचार होना चाहिये और सदन इसका कागनीजेंस (Cognizance) लेकर यह फैसला करे कि आगे इस प्रकार की घटनाएं न घटें। चूंकि इस पर विचार करना चाहिये और इसी लिए, श्रीमन्, मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रस्ताव भी रखा था तथा आपके सम्मुख इसकी सूचना भी दी थी। मैं फिर विनम्र शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि उस घटना पर पूर्ण विचार होना चाहिये।

यह घटना प्रजातन्त्र के लिए एक चुनौती के रूप में है। यह केवल चप्पल और जूते फेंकने का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि सदन में ऐसे सदस्य हैं, ऐसे दल हैं, जिनका प्रजातन्त्र में कतई विश्वास और आस्था नहीं है। यहां पर ऐसे लोग हैं, जो यह समझते हैं कि भारतवर्ष की महत्वपूर्ण समस्याओं का निर्णय प्रजातान्त्रिक प्रणाली के आधार पर नहीं होगा। उनका विश्वास है कि इन समस्याओं का निदान प्रजातान्त्रिक तरीके से नहीं होगा, बल्कि हिंसा और जोर जबर्दस्ती से होगा। वे समझते हैं कि वे इन प्रश्नों को इस सदन के अन्दर ही नहीं, बल्कि इस सदन के बाहर भी हिंसात्मक तरीकों के द्वारा हल कर सकेंगे और उसी आधार पर भारतवर्ष के प्रश्नों को हल किया जायेगा।

तो, श्रीमन्, यह एक महत्वपुर्ण बात है। यह प्रतीक है, यह चिन्ह है उन भावनाओं का, उन इच्छाओं का और उन डिजाइन्स (designs) का जो कि एक दल के सदस्यों के अन्दर हैं। श्रीमन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन भावनाओं को हम लोगों ने समझा था, जबकि हमारे दल में—कांग्रेस के दल में उस तरह इन दलों से सांठ-गांठ करने की कोशिश की तो हम लोगों ने.....

श्री अध्यक्ष—

आप और कुछ ऐसा न कहें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आप मुझे आज्ञा देंगे बोलने की। कृपया इनके बोलने के बाद आप मुझे आज्ञा देंगे।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

(व्यवधान)। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि वे जनसंघ में चले गये हैं। जब माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि वे जनसंघ से सम्बन्धित हैं तब मुझे यह कहने के लिये मजबूर होना पड़ा। मैं चाहता हूं, जैसा कि सोनकर जी ने कहा—इस प्रश्न पर विचार होना चाहिये और विस्तार से विचार होना चाहिये और यह सदन काग्नीजेंस ले इस विषय का और निर्णय करे कि इस कांड के लिये क्या ऐक्शन लेना चाहिये। (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं समझता था कि इस प्रकार की दुखद घटना के ऊपर जब अनक्वालिफाइड आपोलाजी हो गयी और दोनों ओर से इसके लिये खेद प्रकट किया गया तो आगे इस बात को नहीं उठाना चाहिये। (व्यवधान) फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि या तो आप इस चीज पर कंट्रोल करें ताकि भविष्य में आपस में इस तरह की बात न उठायी जाय अन्यथा जो सारी बातें वे कह रहे हैं, उनका उत्तर देने का अवसर हमलोगों को भी आप देंगे।

श्री अध्यक्ष—

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा बोल रहे हैं। लेकिन आपको मैं इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप विस्तृत रूप में पार्टी के हिसाब से यहां बोलें। एक व्यक्ति ने कोई हरकत की और उन्होंने

[श्री अध्यक्ष]

माफी मांग ली और तमाम लोगों ने भाषण दिये । इस बात को दृष्टि में रखते हुए आप पार्टी के विचार से यहां बातचीत न करें ।

श्री कृष्णचन्द्र—

मैं कह रहा था कि श्री सोनकर जी ने.....।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

माफी नहीं मांगी गयी है, यह तो एक तरह से बेवकूफ बनाया गया है ।

श्री कृष्णचन्द्र—

श्री सोनकर जी ने इच्छा व्यक्त की है और वे सदन में इस प्रस्ताव को नहीं रखना चाहते और उन्होंने सम्बन्धित सदस्य को क्षमा कर दिया है तो जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है, उनकी इच्छा के अनुसार मैं इस विषय को क्लोज करता हूं और जब सोनकर जी इस बात के लिये तैयार हूं तो मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे आफसोस है कि उस दिन दोनों तरफ से यहां पर ऐसी दुर्घटना हुई जो कम से कम हमारे इस प्रदेश और हमारी डेमोक्रेसी की शान के खिलाफ थी । मैं बड़ा अहसान-मन्द हूं माननीय नेता सदन और तमाम अन्य नेताओं का जिन्होंने उन तमाम बातों के लिये खेद प्रकट किया । हमारा जो यह सदन है इसकी ऊंची गरिमा है, इसकी ऊंची प्रतिभा है जिसे हमेशा के लिये कायम रखना चाहिये । मुझे दुख है कि हमारे बहुत से भाइयों को उन बातों से ठेस लगी और मैं समझता हूं कि उनकी ठेस मुनासिब है लेकिन फिर भी इस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिये मैं श्री कृष्णचन्द्र जी व अपने उन तमाम भाइयों से जो उन जजबात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, निवेदन करता हूं कि वे इस सदन और सूबे की शान के खिलाफ जो बातें हैं उनका त्याग करें और इस प्रश्न को यहीं पर बन्द कर दें ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

(व्यवधान) यहां सभी दलों के नेताओं ने खेद प्रकट किया है । लेकिन यह इतिहास का प्रमाण है कि हम पर सदियों से अत्याचार होता आया है । यहां सदन में भी यही हुआ । आप अध्यक्ष हैं । ...व्यवधान .. यही पर जो कुछ होना था होता । हम वह कौम हैं जो कि बदला लेते हैं । मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे दल के नेता नहीं बोले हैं, उन्हें मौका दिया जाय । इस घटना पर विचार किया जाय और जो भी नियमानुसार दंड की व्यवस्था हो वह दिया जाय ।

*श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक २७ तारीख का सम्बन्ध है तो जनसंघ के नेता, विरोधी दल, ने अपने भाव व्यक्त किये और सम्बद्ध माननीय सदस्य थे उन्होंने भी खेद प्रकाशित किया है । हमारे नेता सदन ने उदारतापूर्वक यह चाहा है कि हम इस सम्बन्ध में अधिक कुछ न कहें । मैं समझता हूं कि नेता सदन के बाद चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी और मामले को समाप्त कर देना चाहिये था । लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कभी-कभी हम किसी चीज को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो शब्दों के जाल में फंस जाते हैं । माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने जो कुछ कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं । इससे तो सहमत हूं कि जो घटना हुई उसके विषय में खेद प्रकट करने के बाद उसको समाप्त कर दिया जाय । लेकिन इसमें, जसा कि उन्होंने कहा, कृतज्ञ होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, इससे मैं सहमत नहीं हूं और यह बात हमारे लिए कोई ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उपयोगी नहीं थी। मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ हुआ है उसे खत्म करें और जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि आगे के लिये ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाय तो सदन मौजूद है, जो कार्यवाही सदन आज कर सकता है वही आगे भी कर सकता है। इसलिए जन संघ नेता ने जो चाहा है और क्षमा याचना की गई है तो उससे संतुष्ट होकर इसको यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, इस प्रजातंत्र के मन्दिर में प्रत्येक सदस्य के मूल अधिकारों की रक्षा हो यह इस सदन का और सदन के अध्यक्ष होने के नाते आपका परम कर्तव्य है। इस सम्बन्ध में जब हम प्रक्रिया को देखते हैं तो विशेषाधिकार का प्रश्न किसी पार्टी का प्रश्न नहीं होता, यह बात हम सभी जानते हैं। इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो यह प्रश्न न किसी दल का है और न यह प्रश्न किसी एक पार्टी के नियम या आचरण का है।

जहां तक जन संघ दल के नेता श्री त्रिपाठी जी ने अपने विचार व्यक्त किये एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते उनका हम सभी स्वागत करते हैं। वैसे मुझे यह खेद हुआ कि उन्होंने दल के नाम से किया क्योंकि दल तो कभी पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की अवहेलना करते नहीं हैं, सदस्य ही करते हैं। वैसे तो उनका पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुकूल ही वक्तव्य हुआ लेकिन फिर भी इसके सम्बन्ध में यह मान कर चलना कि कोई दल उसके लिये जिम्मेदार है इस प्रस्तावना को हमें प्रिविलेज प्रश्न पर विचार करते समय जरा दूर रखना चाहिये। यह माननीय इलाहाबाद के सदस्य का प्रश्न नहीं है, यह सारे सदन की अवहेलना का प्रश्न है।

जहां तक मैंने देखा हाउस आफ कामन्स के सैड़कों वर्षों के इतिहास में केवल दो बार आपस में मारपीट हुई है। तो अब अगर हमें प्रजातंत्र चलाना है चाहे हम कितनी ही पार्लियामेंटरी भाषा प्रयोग करें लेकिन कभी शारीरिक अभिव्यक्ति उसकी नहीं होगी, यह हमें अवश्य खयाल करना होगा। नेता सदन ने कहा, सोनकरजी ने भी अपनी भावनायें व्यक्त कीं। तो रोष अवश्य है लेकिन मेरा यह आग्रह होगा कि इस प्रश्न पर भविष्य के लिये निर्णय करें कि इस घटना पर क्षमादान देते हुये माननीय सदस्य वाराणसी को क्योंकि वह घटना आपके सम्मुख हुई, उचित तो यह होता कि उसी समय सदन स्थगित होने के पहले इस सम्बन्ध में कार्यवाही आपके द्वारा हो जाती, क्योंकि आपके सामने हुई लेकिन शायद आपने अधिक अव्यवस्था हो जायगी इस कारण उस दिन निर्णय नहीं लिया। तो मैं तो आपसे ही यह आग्रह करूंगा कि जो विभिन्न दलों के नेताओं ने भावनायें व्यक्त की हैं उनके आधार पर कुछ ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से हो जाय कि यह सदन जो माननीय सदस्य वाराणसी ने क्षमा याचना की है उसको स्वीकार करता है किन्तु भविष्य के लिये इस प्रकार के कांड के लिये यह सदन चेतावनी देता है कि उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस तरह की कठिनाइयों को सामने रखते हुए पिछले दिनों आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी और उस कमेटी ने कुछ निर्णय लिये थे। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार कोशिश करें कि उन निर्णयों की जल्दी से जल्दी पूर्ति हो जाय ताकि आइन्दा अगर फिर बदकिस्मती से कोई ऐसी घटना घटे तो उस वक्त कार्यवाही करने में कोई परेशानी न हो।

*श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

वैसे तो मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था क्योंकि नेता सदन, नेता विरोधी दल और सभी पार्टियों के माननीय नेता कह चुके हैं लेकिन जब कुछ लोग हमको उपदेश देने के लिये खड़े होते हैं और फिर उसी विषय पर ५-५, १०-१० मिनट बोलने लग जाते हैं तो एक तरफ तो कहते हैं कि लोग न बोले और दूसरी तरफ स्वयं लम्बें चौड़े भाषण करने लग जाते हैं। जहां तक इस घटना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रमणी]

की बात है यह कोई नयी घटना नहीं हुई । आज से पहले भी इसी हाउस में हो चुकी है और आपके साथ हो चुकी है । उसके बाद जब फिर सदन बैठा तो यह दूसरी घटना है । समस्या तो यह है कि यह वाकये होते क्यों हैं ? कौन इसका जिम्मेदार है ? किस लिये यह होते हैं ? यह सब जिनको आप नेता कहते हैं, जो आगे बैठते हैं यह सब वही करवाते हैं । [×××] (व्यवधान) आप मुझे बिठा सकते हैं लेकिन सच्चाई का गला नहीं घोट सकते हैं । प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और आप कहते हैं कि हो रही है क्योंकि आपके सामने तो एक विधान है, हाउस आफ कामन्स का पढ़ दिया और एक किताब यहां बना रखी है उसको पढ़ दिया । अगर यह विधान आपने सत्यता को छिपाने के लिये बनाया है । तो यह विधान इस तरह से यहां नहीं चलना चाहिये और विधानों से क्या लाभ होगा, जब रूल्स को देखते हैं और बनाते हैं और कहते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं लेकिन इन्हीं लोगों ने इस देश को खत्म किया है और इसी का यह नतीजा है कि आप के सामने यह तमाशा हो रहा है और आप यह सब अपने सामने देख रहे हैं । हम कहते हैं कि आपने जो प्रस्ताव रखा है उस पर यहां बहस होनी चाहिये और हमें इस चीज के मूल पर जाना चाहिये कि ऐसा होता क्यों है । आज लोग एक दल से चुनकर आ जाते हैं और फिर दूसरे दल में चले जाते हैं, यही बड़े नेता उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं । जब तक इस जड़ पर हम नहीं सोचेंगे इस देश में प्रजातन्त्र नहीं चल सकेगा । कुर्सी तो किसी को भी मिल सकती है, मुख्य मंत्री भी बन सकते हैं और मंत्री भी बन सकते हैं लेकिन इस तरह से नारायण दत्त जी प्रजा-तन्त्र को नहीं बचा सकते । इसलिये इस देश को बचाईये, यहां के प्रजातन्त्र को बचाईये और वह तभी हो सकता है जब आप श्रीमन् यहां जरा सख्त हो जांय, अगर कोई भी इस तरह का कार्य यहां करता है तो आप फौरन उसको निकाल बाहर कर दीजिए । जब तक इस तरह की सख्ती नहीं होगी यह मुल्क नहीं चलेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरी व्यवस्था यह है कि अभी माननीय सदस्य ने इशारा करके यह कहा कि यह नेता जो यहां बैठे हैं वह रुपया देकर यह काम कराते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन का ऐसा कहना उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं यह उचित नहीं है, अगर ऐसा कहा है तो मैं इस को काट दूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

कृपया मुझे एक मिनट का समय दे दें वर्ना बड़ा अन्याय होगा । मेरी प्रार्थना...

श्री अध्यक्ष—

अब तो इस विषय में काफी चर्चा हो चुकी है अब यह विषय समाप्त होना चाहिये । यह बात सही है कि यह जो जूता फेंकने की घटना हुई वह मैं समझता हूं कि बहुत ही दिल को दुखाने वाली है और उससे इस सदन का और सब का अपमान हुआ, केवल सोनकर जी का ही नहीं बल्कि इस को मैं अपना और पूरे सदन का अपमान समझता हूं । यह तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि वह किसने फेंका था वह उधर (बायें) से आया था और उसके बाद लोग एकदम बीच में आ गये थे और सब ताव में दिखाई दिये और मैंने समझा कि अब लड़ाई होती है और मैंने सोचा कि इस वक्त कुछ न कुछ ऐसा काम करना चाहिये जिससे झगड़ा न होने पाये और मैंने तुरन्त सदन को स्थगित कर दिया जिससे लोग यहां से चले जांय । उसके बाद मैंने सदन में मार्शल को भी भेजा कि जाकर लोगों से कह दो कि सदन से चलें जांय । हमारे राजा साहब जौनपुर ने शायद उस वक्त अगुआ होकर उन सज्जन को यहां से हटा दिया जिन्होंने वह काम किया था और जिस क[illegible] क्षमा उन्होंने

[×××] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

मांगी है । मैं समझता था कि लोग क्षमा नहीं मांगते हैं झगड़ा करते हैं और भड़भड़ाते हैं लेकिन मेरे कमरे में जनसंघ के नेता श्री माधव प्रसाद व राजा साहब जौनपुर आये थे उन्होंने कहा था कि हम इसके लिये क्षमा मांगते हैं लेकिन मैंने कहा कि वह व्यक्ति जिसने ऐसा किया उसको भी इस पर पश्चाताप है या नहीं, अगर उस को पश्चाताप होता है और वह सब के सामने सदन में माफी मांग लेता है तो बहुत अच्छी और बड़ी बात है, उससे एक अच्छा उदाहरण भी उपस्थित होता है और बात खत्म हो जाती है. . . (व्यवधान) ।

एक आवाज,—

"क्षमा" शब्द नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष—

. . . जब उन्होंने कहा कि मुझे खेद है तो उसका मतलब ही यह है कि वे क्षमा चाहते हैं । उन्होंने कहा था कि मुझ से गल्ती हुयी । आप यह प्रश्न उठाते ही क्यों हैं । (व्यवधान)

जब क्रोध आता है तो हाथापाई करने को तैयार हो जाते हैं । जब यह हो जाता है तो मेरे ऊपर छोड़ते हैं कि कुछ कार्यवाही करो । यह तो स्पष्ट है कि सदन की अवमानना है । अगर यह कार्यवाही चलती तो मैं सदन से राय ले लेता लेकिन जब उन्होंने इस बारे में खेद प्रकट कर लिया है, और नेता विरोधी दल और उनके दल के नेता ने स्वीकार कर लिया है तो मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इस समय समाप्त हो जाता है । लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में यदि इसकी पुनरावृत्ति होती है तो संबन्धित माननीय सदस्य को क्षमा नहीं किया जायगा । बल्कि दंड दिया जायगा और मामला विशेषाधिकार समिति को उनकी राय के लिए भेज दिया जायगा लेकिन मैं यह पसन्द करता हूं कि जैसा कि राज्यसभा में ऐसा हुआ था तो सम्बन्धित सदस्यों में शेक हैंड कराया गया था जिन लोगों ने वहां पर जूता दिखाया था । बाद में अगर यह चीज कर ली जाय और माननीय सोनकर और जायसवाल जी मेरे कमरे में आ जायं और वहां बैठ कर चायपान करें और भविष्य में भाई भाई की तरह मिलें तो मैं समझता हूं यह सबसे अच्छी चीज होगी । मित्रता कायम करना सबसे बड़ी बात होगी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, और लोग भी आजायें ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे खुशी होगी । यह अध्याय अब यहां पर समाप्त हो जाना चाहिए ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरा निवेदन है कि कृपया समस्त सबस्यों को इस कार्य के लिए बुला लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

हां पूरे सदन को मेरा निमंत्रण है क्योंकि यह एक ऐसा वाक्या हुआ है कि मुझे भी दंड मिलना चाहिए कि मेरे सामने यह सब हुआ । मैं भी तो कुछ सहन करूं । इसलिए मैं सब को बुलाऊंगा (व्यवधान)

(डाक्टर राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी के पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इससे पहले कि डाक्टर राजेन्द्र कुमारी जी वाजपेयी बोलें, श्रीमान् जी ने कहा था कि अब यह विषय समाप्त हो गया है और अब मैं दूसरा अवहेलना का प्रश्न ले रहा हूं । अब आप दूसरा प्रश्न ले चुकें हैं तो पहले उसको ही ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जी चायपान के बारे में ही कुछ कहना चाहती है । (व्यवधान) ।

एक सदस्य—

आपको इसके लिए कोई प्रतिबन्ध लगाना होगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी को बुलाया है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि यह प्रीविलेज का मोशन सदन के सामने आया है और उस पर क्षमा मांगने की बात यहां कही गयी है। इससे एक शांत वातावरण यहां बना है परन्तु आपने यह स्वीकार किया है कि यह घटना सदन के सामने घटी है और सदन का अवमान हुआ है । मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य को स्पष्ट शब्दों में सदन के समक्ष क्षमा मांगनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब आपने इस विषय को समाप्त कर दूसरा विषय ले लिया तो क्या उस पर चर्चा हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता था. . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पहले मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दे दीजिये. . . .

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अपने इधर बैठने वाले मित्रों और उधर के बैठने वाले मित्रों से यह दरख्वास्त करूंगा कि अब इस अध्याय को बन्द करना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मेरी बात को माननीय सोनकर जी भी मानेंगे, उन्हें भी अब कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है ।

बरेली के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब यह दूसरा विशेषाधिकार की अवहेलना का है जो माननीय चेतराम जी ने भेजा है । उनकी शिकायत है कि उनका अवमान किसी एस० एस० पी० ने किया । प्रागदर्शन में मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समझता हूं और इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को भेजता हूं तथ्य जानने के लिए तथा उस पर उनके सुझाव जानने के लिए । उस समिति के जब सुझाव यहां सदन में आयेंगे तब उस पर यह सदन विचार करेगा ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७०

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अनवार अहमद--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी "ड" आगे पृष्ठ ३६०-३६३ पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दी गयी सरकारी नीति में परिवर्तन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---

अब राज्यपाल के अभिभाषण पर वादविवाद होगा ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन , मुझे आशा है कि मैं जो व्यवस्था का प्रश्न उठाने जा रहा हूं, उस पर श्रीमन् जी प्योर टेक्निकल वे मैं न देखकर, चूंकि संसदीय प्रणाली से उसका गहरा संबंध है, कुछ गम्भीरता पूर्वक विचार करके अपनी व्यवस्था देंगे । श्रीमन, एजेंडा में है और आपने भी कहा कि अब उस पर चर्चा आरम्भ की जाय । श्रीमन यह नियम १९ में धन्यवाद का प्रस्ताव जो है, राज्यपाल के भाषण में जो कि निर्दिष्ट विषय है, उसी के संबंध में धन्यवाद दिया जाता है। चर्चा भी जो ३-४ दिन का समय नियत है, वह राज्यपाल के अभिभाषण के नियत विषय पर ही होती है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्यपाल ने अपने भाषण में एकआध प्रमुख विषयों पर जो निदश दिया है, सरकार उससे हट गई है और ऐसी दशा में राज्यपाल के भाषण का वह अंश जिनसे सरकार हट गई है नहीं हटाया गया है । उस पर भी वादविवाद होता रहे, तो वह बड़ा ही हास्यास्पद सिद्ध होगा । मैं अभिभाषण के पृष्ठ-३ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें अन्त में यह दिया हुआ है "उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की अन्य बातों के अलावा इस प्रकार संशोधित करने का निश्चय किया गया है कि एक परिवार जिसमें खातेदार उसकी पत्नी अथवा उसका पति वा उसके नाबालिक बच्चे शामिल होंगे, कुल मिलाकर तीस एकड़ से अधिक भूमि न रख सकेंगे और बागों व सहकारी समितियों को जो अधिकतम जोत सीमा से छूट मिली है वह समाप्त हो जायेगी ।" राज्यपाल के अभिभाषण में यह स्पष्ट (मुख्य मंत्री के सदन से बाहर जाने पर) मुख्य मंत्री जी चले जा रहे हैं । उनके संबंध में मैं कह रहा हूं । उन्हें यहां रहना चाहिये । श्रीमन्, यह जा रहे हैं इनको आप आदेश दें कि यह सदन का अपमान होगा । श्रीमन्, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि जब मुख्यमंत्री जी से यह सदन इस बात की आशा रखता था कि . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी व्यवस्था का क्या प्रश्न है। वह आप बताइये।

श्री कृष्णानन्द राय—

मुख्य मंत्री जी भाग गये, इसलिए बात हट गई। मैं व्यवस्था का प्रश्न निवेदन कर रहा था।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

"भाग गये" शब्द क्या संसदीय है?

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

(श्री कृष्णानन्द राय से) चलिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से इस सदन के सम्मुख यह नीति रखी थी कि जोत की अधिकतम सीमा ३० एकड़ होगी। इस पर माननीय गेंदा सिंह ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा जिस पर यह सदन चर्चा करने जा रहा है। मैं आज के समाचारपत्रों की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं चूंकि सदन की भाषा हिन्दी है इस लिये हिन्दी का अखबार लाया हूं। यह दूसरी मार्च का स्वतंत्र भारत है। इसमें लिखा है ३० एकड़ की सीमाबन्दी पर पुनर्विचार मुख्य मंत्री श्री चरणसिंह की घोषणा– कांग्रेस के विधायकों में उग्र विरोध का परिणाम। उसके नीचे आप जायें तो साफ देखेंगे कि मुख्य मंत्री चौधरी चरणसिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण में ३० एकड़ की अधिकतम जोत की सीमा की नीति की जो घोषणा की है, उससे वह हट गये, भाग गये। उनकी अब यह नीति है कि इस प्रश्न पर वह विचार करेंगे। किस तरह से विचार करेंगे? पंडित कमलापति त्रिपाठी की जो कांग्रेस है और जो भारतीय क्रांति दल है उसकी एक समन्वय समिति बनेगी, उसके अध्यक्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी होंगे। अधिकतम जोत सीमा का प्रश्न उस समिति के सम्मुख जायगा। उसके बाद फिर वह भारतीय क्रांति दल और पंडित कमलापति त्रिपाठी की कांग्रेस दोनों की मिलीजुली पार्टी के सम्मुख वह रखा जायगा। उसमें विचार करने के बाद इस सदन के सम्मुख पुनः आयेगा कि तीस एकड़ की सीमा होगी, ४० एकड़ की सीमा होगी या २० एकड़ की सीमा होगी। मुख्य मंत्री को पूर्ण अधिकार है कि जिस प्रकार की नीति वह चाहें इस प्रदेश में रखें, २० एकड़ रखें या ४० एकड़ रखें, उस पर मुझे ऐतराज नहीं है।

आपके सम्मुख व्यवस्था का प्रश्न यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्य मंत्री की घोषित नीति है कि तीस एकड़ तक अधिकतम सीमा जोत की होगी। उसके ऊपर माननीय गेंदा सिंह ने धन्यवाद का प्रस्ताव दिया है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज चौधरी चरण सिंह ने नीति की जो घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण में की है वह उससे हट रहे हैं। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि वह बतायें कि क्या अब उनकी यह नीति नहीं रही है? श्रीमन्, यह बहुत आवश्यक चीज है। सारे सदन को अंधकार में रख कर, सारे प्रदेश को अंधकार में रख कर राज्यपाल के अभिभाषण में घोषित नीति के संबंध में धन्यबाद के प्रस्ताव पास हो यह संसदीय प्रणाली और डेमोक्रेसी का मजाक नहीं होना चाहिये। आप चौधरी चरण सिंह से पूछ लें कि राज्यपाल के अभिभाषण में जिस नीति की घोषणा है वह क्या उससे हट गये हैं। अगर वह हट गये हैं तो उनको अधिकार है। राज्यपाल के अभिभाषण से वह अंश निकाल दिया जाय। ऐसे अभिभाषण पर जिसमें घोषित नीति से मुख्य मंत्री हट गये हों उस पर विचार करने के लिए विधान सभा का समय बरबाद नहीं करना चाहिये, उस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है। इसलिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि राज्यपाल

के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि वह बदल गये हैं। अगर चौधरी चरण सिंह नहीं बदले हैं तो स्टेटमेंट दे दें। अन्यथा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो सकती।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

यह तो एक दृष्टिकोण आया। लेकिन एक दूसरे रुख को और मैं रखना चाहता हूं। उस दिन सदन के सम्मुख यह प्रश्न आया था कि नीति संबंधी बात सदन के बाहर नहीं की जानी चाहिये। मान्यवर, श्रीमन् यह भी कहा था कि इस प्रकार का कार्य डिस्कर्टेसी होगा। मैंने उस समय भी यह कहा था कि यदि इस डिसकर्टेसी को बार-बार रिपीट किया जाय तो क्या होगा ?

मान्यवर, मैं इस सदन का और श्रीमन् का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक ओर तो हम माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर यहां सदन में चर्चा करते हैं जिसमें यह लिखा है कि जिसकी अभी चर्चा कृष्णानन्द राय जी ने किया और जिसके संबंध में दो राय नहीं है। मैं इसकी केवल एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके दूसरे दिन अखबारों में जो रिपोर्ट छपी वह यह थी कि यह सीलिंग वाली बात आज से ही लागू हो जायगी। मैं उसको जल्दी समझ सकता था कि वह सीलिंग आज से ही लागू हो। आज के पहले जो हुआ सो हुआ लेकिन उस दिन के बाद कोई ३० एकड़ भूमि को बांटकर कम करना चाहे तो वह न कर सके। मैं इस चीज को समझता था और मुझे इसकी खुशी थी। मैं इस बात को समझता था कि यह कदाचित् उचित ही है लेकिन उसके बाद कल मुख्य मंत्री जी की दूसरी घोषणा आ गई और वह भी उस दशा में जब कि सदन यहां पर बैठा हुआ है तब नीति के संबंध में घोषणा हो गई। मैं केवल इतना निवेदन चाहता हूं कि बराबर सदन के बैठे रहने पर क्या नीति के संबंध में कोई घोषणा करना मुख्य मंत्री जी के लिये उचित होगा और यदि अनुचित है तो बराबर इस प्रकार से करना कहां तक सदन के लिये ग्राह्य होगा ?

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से जो घोषणा हुयी है उससे प्रदेश के रजिस्ट्री के सारे कागजात सीज कर लिये गये हैं। उसके बाद बीच में जब यह स्थिति उत्पन्न हो गई है तो इसका नतीजा क्या होगा इस पर भी ध्यान दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात है कि लक्ष्मीरमण जी आचार्य को जो बयान मेरा कल अखबारों में निकला उस पर आपत्ति है। मैंने अपने बयान में यह कहा था कि इसके मुताल्लिक तो तरह-तरह की गलतफहमियां हैं वह सब निराधार हैं। जब कोई विधेयक उस संबंध में तैयार होगा तो जिन लोगों के कन्धे पर इस शासन को चलाने की जिम्मेदारी है उसकी मीटिंग के सामने यह मामला जायगा। इसलिये जो लोग किन्हीं कारणों से जनता या विधायकों को घुमाना चाहते हैं वह इस भ्रम में घूम न सकें। इस वजह से उसको साफ किया था।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय नेता सदन ने स्पष्टीकरण दिया है और जो समाचार पत्रों में निकला है उससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वह ३० एकड़ की सीलिंग को करना चाहते हैं या नहीं। जो अभी मीटिंग की बात कही कि उसको कुछ लोगों के सामने लाना है। जब आप इस बात को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लाये तो उन लोगों से आपको पूछना था। कोई भी कदम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम चन्द्र विकल]

प्रदेश में मुख्य मंत्री जी उठायें उसको बहुत सोच समझकर उठाना चाहिये । अगर मुख्य मंत्री जी रोज इस तरह से अपनी बात को बदलेंगे तो इसका प्रदेश के व्यापक हितों पर असर पड़ेगा जो न शासन के हित में होगा और न जनतंत्र के हित में होगा । मैं उनसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सीलिंग के संबंध में जो बात कही है उस पर आज भी कायम है या उससे हट रहे हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, पहले जो अध्यादेश हुआ उसमें ६ १ ४ एकड़ का जिक्र था और इस सीलिंग का कोई जिक्र नहीं था और अब जो गवर्नर साहब का संबोधन हुआ है उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह सीलिंग ३० एकड़ तक रहेगी । यह भी हिदायत सब को दे दी है कि यह आज से लागू हो जायगा । तो हकीकत क्या है? यह विभाग किस तरह से काम करेगा । फ्रेगमेंटेशन न हो यह हिदायत तो दे दी गयी है। अर्थात् ३० एकड़ से न आगे बढ़े न पीछे हटे। मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश के आज कर्णधार हैं । उनको अपनी नीति बिलकुल स्पष्ट करना चाहिये, यानी इसमें जरूर कुछ घटाव अथवा बढ़ाव होगा। उन्होंने अगर इस तरह से यों ही वह कह दिया करेंगे तो हकीकत क्या होगी ? गांव का आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। जो नीति हो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। अतः जो संबोधन है वह अब अपने स्थान पर रह ही नहीं गया है। मुहमिल नीति ठीक नहीं ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पत्रों में निकला है उसे मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूं मुख्य मंत्री जी जो सदन के नेता हैं वह इस बात को साफ बतायें कि गवर्नर एड्रेस के अन्दर जो सीलिंग मुकर्रर की गयी है उस पर वह स्थिर हैं या नहीं ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

राय साहब ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है, अध्यक्ष महोदय, वह बहुत स्पष्ट और उचित है। गवर्नर महोदय के अभिभाषण में सारी नीति सरकार की प्रतिपादित होनी चाहिये । शासनारूढ़ दल की ओर से पहले यह कहा गया कि लगान बिलकुल माफ नहीं होगा लेकिन उसमें भी परिवर्तन किया गया । अब सीलिंग ४०, ५० अथवा २० एकड़ हो इससे हमको मतलब नहीं है। तात्पर्य यह है कि अभिभाषण में जिस सीलिंग की घोषणा की गयी थी अगर उस घोषणा में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ जाय तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो दल शासनारूढ़ है उसके अकेले मस्तिष्क की यह घोषणा नहीं होनी चाहिये थी दोनों दलों की होनी चाहिये थी । अब जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक समन्वय समिति होगी । पं० कमलापति त्रिपाठी जी उसके अध्यक्ष होंगे और जो उसका निर्णय होगा वह अंतिम होगा । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है । सरकार दो दलों को मिल कर बनी है और पहले जो घोषणा की गयी थी वह अकेले एक दल की थी, दूसरे दल से परामर्श नहीं लिया गया था । अब दूसरे दल से परामर्श लिया जा रहा है। तो पहले स्पष्ट नीति सरकार की आ जाय, फिर से संबोधन गवर्नर महोदय का हो तब उस पर विचार हो सके ताकि सदन के समय का सदुपयोग हो सके । यह एक सिद्धांत का प्रश्न है इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

जो प्रश्न माननीय सदस्य, गाजीपुर ने उठाया है।

श्री कृष्णानन्द राय---

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय तिवारी जी हाउस आफ कामन्स की पद्धति यहां उत्तर प्रदेश में अपनाना चाहते हैं । वहां की कांस्टीट्युयेंसीज अपने एक एक नाम से प्रसिद्ध हैं और उस कांस्टीट्यूएंसी का एक ही सदस्य हो सकता है लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के ८ सदस्य हैं तो माननीय तिवारी जी किस को संबोधित कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि वे अपना दिमाग इंगलैन्ड से लखनऊ में ले आयें ।

श्री अध्यक्ष---

आप नाम लेकर कह दीजिये ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---

माननीय सदस्य गाजीपुर के कहने से मैं क्या कहने जा रहा हूं इसका उन्होंने पहले से ही अन्दाजा लगा लिया । श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि नियम १९ जिसका हवाला माननीय सदस्य, गाजीपुर ने दिया । उसके वही शब्द हैं जो कांस्टीट्यूशन के आर्टीकिल ७६ में लिखे हुये हैं "राज्यपाल विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मंडल को अह्वान के कारण बतायेंगे" । "इस अभिभाषण में क्या बिजनेस सदन में लिया जायेगा, उसकी घोषणा राज्यपाल करते हैं । इसका अर्थ यह है कि आने वाले सेशन में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे । पालिसी डिसीशन लेने का हर सरकार को अधिकार है चाहे वह किसी भी दल की सरकार हो । उसको अधिकार है, वह नीति बदल सकती है । निरस्त कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यह सरकार का बुनियादी अधिकार है वरना सरकार नहीं है। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। यह पालिसी डिसीशन मौजूद है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक में संशोधन लाये जायेंगे । उसका क्या प्रकार होगा, यह अभिभाषण में नहीं होता, कितने बी० के० डी० के होंगे, कितने कांग्रेस के होंगे, कितने विरोधी दल के होंगे । ब्योरे की बात उसमें नहीं हो सकती है । सदन के बाहर भी प्रजातंत्र है। फ्रीडम आफ प्रेस, लैटर्स दू दि एडीटर्स छपते हैं तथा नाना प्रकार के भाषण दिये जाते हैं तो मुख्य मंत्री जी का दायित्व है कि सदन के बाहर जो बात हो जाय उसका स्पष्टीकरण करें । इसलिये अगर मर्यादा के बाहर कोई वक्तव्य दे देते हैं तो उनका कर्तव्य है कि उसका स्पष्टीकरण सदन के बाहर दें ताकि आम जनता के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाय क्योंकि सदन की कार्यवाही पूर्ण रूप से सदन के बाहर नहीं जाती है । वह पुस्तक के आकार में आ जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि उन शब्दों में प्रकाशित नहीं होती जिनका प्रयोग होता है । इसलिये मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है तो यह चर्चा के विपरीत नहीं है, मर्यादा की सीमा में है । इस प्रकार का स्पष्टीकरण जनहित में समय-समय पर होता है ।

श्री महीलाल---

मान्यवर, माननीय कृष्णानन्दराय जैसे सीनियर सदस्य के द्वारा इस प्रकार से व्यवस्था का प्रश्न रखे जाने पर मुझे बड़ा खेद हुआ । माननीय कृष्णानन्द राय जी ने आपत्ति की है और व्यवस्था चाहती हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पिछले दिनों स्पष्टीकरण दिया है, उससे कुछ भ्रान्ति पैदा हो गई है और वे नियम के विरुद्ध चले गये हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कि समाचारपत्रों में छपा है विरोधी दल के माननीय सदस्यों के द्वारा जो एक भ्रांति पैदा की जा रही थी, केवल उसका स्पष्टीकरण दिया है और वह यह है कि नीति मंत्रि-मंडल लागू करता है और उसके डिटेल्स में जाने का इस सदन को अधिकार है । नीति मंत्रिमंडल निर्धारित करता है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्ष नहीं किया ।

[श्री महीलाल]

और उस पर एक विधेयक तैयार होता है। जब वह सदन के सामने आता है तो सदन कभी उसको प्रवर-समिति को भेजता है कभी संयुक्त प्रवर समिति को भेजता है अथवा सदन स्वयं ही उस पर निर्णय ले लेता है। सदन के निर्णय लेते समय माननीय सदस्यों का यह अधिकार होता है कि वे विधेयक में अपनी ओर से संशोधन पेश करें और सदन का यह अधिकार होता है कि वह मूल रूप में अथवा किसी संशोधन के साथ उसको स्वीकार करें। यह प्रणाली है।

मान्यवर, माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में डिटेल में हदबंदी कानून का जिक्र नहीं किया। मंत्रिमंडल ने एक राय से जो फैसला लिया था उसका जिक्र कर दिया। लेकिन क्या वह अन्तिम या फाइनल हो गया, यह किसी को नहीं सोचना चाहिये। यह तो विचार किया नहीं बल्कि एक व्यवस्था का प्रश्न सदन के समक्ष लाने की चेष्टा की। सदन की उस कार्यवाही के बारे में व्यवस्था की दुहाई देकर एक नया भ्रम पैदा करने का प्रयत्न किया गया, यह सदन के समय का सदुपयोग नहीं है। यह न कोई व्यवस्था का प्रश्न है और न कोई भ्रान्ति माननीय मुख्य मंत्री की ओर से उत्पन्न की जा रही है। जो एक तरीका है उसको माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्ट किया है। मंत्रिमंडल ने जो फैसला किया उसके अनुसार एक विधेयक आयेगा, उस पर माननीय सदस्यों को संशोधन देने का अधिकार होगा और सदन को यह अधिकार होगा कि वह संशोधन के साथ स्वीकार करे अथवा मूल रूप में स्वीकार कर ले। जिन माननीय सदस्यों ने माननीय कृष्णानन्द राय जी की बात का समर्थन किया, वह वास्तविकता से दूर चले गये। यह न कोई भ्रान्ति है और न कोई नयी बात है। माननीय आचार्य जी ने एक नयी बात ही उठा दी कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने निश्चय के ही विरुद्ध चले गये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कौन सी नयी बात कह दी? मेरी राय में कोई नयी बात नहीं कही। कायदे की जो बात थी, वह उन्होंने कही इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, केवल प्रोसीजर की बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष---

पहले व्यवस्था के प्रश्न पर मैं एक फैसला दे दूं। आप सुनना नहीं चाहते हैं?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं तो सुनना चाहता हूं लेकिन आप मेरी बात भी तो सुनें। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया है। मेरे साथ ज्यादती की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह---

मैं इस सम्बन्ध में बतला दूं।

श्री अध्यक्ष---

नियमों के अनुसार इसमें किसी वाद विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी लेकिन यदि अध्यक्ष ठीक समझें तो सदस्यों की बात सुन सकेंगे। मैंने बहुत लोगों की बात सुन ली है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मुझे एक मिनट बोलने के लिये दिया जाय। मुख्य मंत्री जी के स्वतंत्र विचारों से प्रदेश का हनन हुआ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपने जिस नियम का हवाला दिया है उसके अनुसार मुझे इजाजत मिलनी चाहिये।

श्री चेतराम गंगवार---

श्री जायसवाल को आप समय दे दें और उसके बाद दो मिनट का समय मुझे दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह सरकार का जब गठन होता है उस समय होता है और हर साल हमारे विधान मन्डलों के दोनों सदनों में यह भाषण होता है। इसको आप गौर से देखें तो इसमें निश्चित रूप से यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम को अन्य बातों के अलावा इस प्रकार संशोधित करने का निश्चय किया गया है कि एक परिवार जिसमें खातेदार, उसकी पत्नी अथवा उसका पति व उसके नाबालिग बच्चे शामिल होंगे, कुल मिलाकर ३० एकड़ से अधिक भूमि न रख सकेंगे और बागों वह सहकारी समितियों को जो अधिकतम जोत सीमा से छूट मिली है, वह समाप्त हो जायेगी। यह निश्चित घोषणा इस अभिभाषण में है। इसी अभिभाषण पर माननीय गेंदा सिंह जी ने अपना प्रस्ताव रखा है। लेकिन मुख्य मंत्री जी की कल की घोषणा जो कि आज समाचारपत्रों में छपी है उसमें इस अंश को मुख्य मंत्रीजी ने इस हद तक संशोधित कर दिया है। तो उन्होंने इसको खुद संशोधित कर लिया है तो मान्यवर, जो यह प्रस्ताव माननीय श्री गेंदा सिंह जी का है वह इसके लिये नहीं है। जब उन्होंने इसको मूव किया था उस समय ठीक था लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इसको अपने वचनों के अनुसार संशोधित कर दिया है तो यह फाइनल नहीं है और मूल प्रस्ताव अब मान्य नहीं रहेगा इसलिये इसको इस वक्तव्य के अनुसार संशोधित कर दिया जाय। अतएव मैं चाहूंगा कि श्री गेंदा सिंह जी को आप आदेश दे दें, यह व्यवस्था का प्रश्न है, कि वह अपने मूल प्रस्ताव में संशोधन कर लें।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में उसमें संशोधन कर दिया है। जो नीति सरकार की है वही नीति सदन के सामने आनी चाहिये और उसी पर चर्चा होनी चाहिये। आप उसको पढ़ें और अगर सदन की तरफ से या विपक्ष की तरफ से इसमें कोई संशोधन आवें तो उसको स्वीकार कर लिया जाय और ऐसा होने से एक नीति बन जायेगी। इसलिये माननीय गेंदा सिंह जी का धन्यवाद का प्रस्ताव जो है या तो उसको भी आप संशोधित करें या फिर इसको बदल करके फिर से पेश किया जाय तभी इस पर चर्चा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---

श्री घृष्णानन्द राय जी ने यह प्रश्न उठाया है कि मुख्य मंत्री जी ने कल किसी वक्त यह कहा जो कि अखबार में छपा है और कोई नई घोषणा की है और पुरानी से हट गये हैं। जहां तक मैं जानता हूं उसमें किसी नई घोषणा का प्रश्न नहीं है बिल्कुल ही। पत्रकार ने उसको ऐसा ही समझ कर छापा। कैबिनेट में तय किया ३ एकड़ के बारे में और अगर कोई इस बारे में गलतफहमी है तो उसको दूर करते हुये उन्होंने कहा कि यह प्रोसीड्योर हो। यह नहीं है कि उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर बहुमत चाहे या जो अधिकांश सदस्य इस बात को कहें

[श्री अध्यक्ष]

कि परिवर्तन होना चाहिये तो उसके लिये प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है और फिर यह हो सकता है। जो डिटेल्ड बिल आयेगा उसके ऊपर जो फैसला सदन करेगा वह होगा। उन्होंने इस बात के लिये नहीं कहा है कि कैबिनेट में बैठकर हमने इसमें कोई परिवर्तन कर दिया है। मैं आपसे कहूंगा कि उन्होंने प्रोसीजर के लिये व्योरा दिया है।

(इस अवसर पर सदन में जोर से शोर होने लगा)

उन्होंने केवल प्रोसीड्योर के व्योरे को बताया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

प्रोसीड्योर का व्योरा नहीं है बरन् एक निश्चित घोषणा है। यह उसका स्पष्ट संशोधन है।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मन्त्री जी ने कैबिनेट में कोई परिवर्तन करके उसकी कोई घोषणा नहीं की। जो मैंने पहले कहा था जब बिल सदन में आयेगा तब उसके व्योरे की बात आयेगी। अभी व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं हो सकता है। श्री राज्यपाल जी ने स्पष्ट कह दिया है। सदन में उस पर विचार किया जायगा और सदन को परिवर्तन करने का अधिकार है। आप इस पर बहस जारी रख सकते हैं और वह उसमें बाधक नहीं होगा।

श्री मही लाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय के लिये जो पक्षपात करने के शब्दों का प्रयोग किया गया है वह अनुचित है। कोई भी माननीय सदस्य अध्यक्ष पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। जब तक कि माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर हैं तब तक इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना विशेषाधिकार का हनन करना है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जब कोई कुर्सी इस प्रकार का कार्य करेगी तो ऐसे शब्दों के प्रयोग की बात तो दूर उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री मदनमोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह आशा करता था कि मुझ से भी चप्पल जूता कांड पर कुछ पूछा जायेगा, क्योंकि जिस वक्त यह घटना घटित हुयी उस वक्त मैं उपस्थित था। मैं समझता था कि मुझसे आप कुछ पूछेंगे, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह था। खैर, जिसका अन्त भला, वह सब भला है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय ने जो भाषण यहां पर दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं और कुछ चीजों की ओर आपके माध्यम से मुख्य मंत्री का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा अपना यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश उस समय तक सही रूप में उन्नति और विकास नहीं कर सकता है जब तक कि यहां पर बड़े उद्योग नहीं लगाये जायेंगे और इस समय यहां हमारे प्रदेश में हालात भी ऐसे हैं। चौधरी चरण सिंह जब से इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने हैं तब से यहां पर एक उत्साह की लहर आयी है और लोगों में नई आशा जागृत हुयी है। लोगों को यह विश्वास हो गया है कि यहां का विकास होगा और सख्ती के साथ प्रशासन भी यहां का चलेगा।

---

*२७ फरवरी, १९७० की कार्यवाही से।

श्रीमन्, इस समय पश्चिमी बंगाल में बहुत ही अनिश्चितता चल रही है। वहां का उद्योगपति वहां से यानी पश्चिमी बंगाल से भाग रहा है और आज वहां की जो स्थिति है वह बड़ी ही भयावह है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे उन उद्योगपतियों को यू० पी० की ओर, उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करेंगे, उनको सुविधायें देंगे और जिस प्रकार के साधन व सुविधायें वे चाहेंगे, उपलब्ध करायेंगे, ताकि वे लोग उत्तर प्रदेश की ओर झुकें और बड़े-बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में लग जायें।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि ३० एकड़ की सीलिंग की बात गवर्नर साहब के भाषण में आयी है, उसके सम्बन्ध में मेरा यह विश्वास है कि अगर ३० एकड़ की सीलिंग को लागू किया गया तो बड़ा ही अच्छा होगा।

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

इससे एक बड़ा फायदा यह होगा कि जो लोग पोलिटिशियन्स को करप्ट करते हैं उनके कुकृत्यों पर ब्रेक लगेगा। बड़ी-बड़ी जायदाद वाले, बड़े-बड़े जमींदार, और बड़े-बड़े साधन सम्पन्न लोगों का काम यह है कि जो गरीब कार्यकर्ता चौबीसों घंटे राजनीति में अपना समय लगाते हैं और देश को उन्नति की ओर ले जाने में सहायक होते हैं, उनको ये करप्ट करते हैं। ऐसे बड़े-बड़े लोग अपने धन के बल से उन सामान्य स्थिति वाले पालिटिशियन्स को करप्ट करते रहते हैं। सीलिंग से मुझे आशा है कि उन प्रवृत्तियों में ब्रेक लगेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि कड़ाई के साथ ३० एकड़ की सीलिंग का मामला पेश किया जायेगा और उसको लागू किया जायेगा। यह बड़ा ही आवश्यक है। इससे गरीब को राहत मिलेगी। इस समय बहुत से भूमिहीन हैं जो भूखों मर रहें हैं। हमारे प्रदेश में अनेक लोग हैं जो इतने गरीब हैं कि एक वक्त खाना खिला कर अपने बच्चों को सुला देते हैं। ऐसे लोगों को जीविका के साधन मिलेंगे और वे मेहनत करके अपना पेट भर सकेंगे।

यहां पर पूरब और पश्चिम यू० पी० की बात अक्सर आ जाती है इस तरफ से भी और उस तरफ से भी लेकिन मुझे अफसोस है कि जो यह अवध का इलाका है वह हमेशा से उपेक्षित होता रहा है। अंग्रेजी हुकूमत में भी यह इलाका उपेक्षित रहा और आजादी के बाद इस हुकूमत में भी वही स्थिति है। अवध का यह इलाका जिसमें रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव आदि जो बीच के जिले है उनकी हमेशा उपेक्षा की गयी। आज भी अरबों रुपया पूरब और पश्चिम के जिलों पर खर्च किया जाता है। मालूम होता है कि संसार की जितनी समस्यायें हैं, जितनी भूखमरी है, जितनी परेशानी है वह वहीं पर है। चौधरी साहब भी अक्सर पश्चिमी जिलों की ही वकालत करते हैं और उनका विशेष ध्यान पश्चिमी इलाके की तरफ ही रहता है। मैं आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इलाका जो न पूरब में है और न पश्चिम में है (व्यवधान) और जहां के काश्तकारों का खून पहले अंग्रेज चूसा करते थे, फिर जमींदार और ताल्लुकेदार चूसते रहे, वहां के लोगों के लिये कोई रोजगार भी नहीं है। आज ये जमींदार व ताल्लुकेदार राजनीति में भी घुस आये हैं, ३० एकड़ वाली सीलिंग के ऊपर देखिये ये क्या क्या नखरे दिखलाते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मध्य यू० पी० यानी अवध के लिये साधन जुटायें, यहां के लिये कुछ भारी उद्योग दें तथा खेती के लिये किसानों को अच्छे साधन अधिक से अधिक उपलब्ध करावें।

बिजली विभाग की यह हालत है कि काश्तकारों को उनके ट्यूबवेल के लिये बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता है। जब तक वे रिश्वत न दें बिजली वाले कनेक्शन ही नहीं देते। तो आप इन तमाम परेशानियों को दूर कराने की कृपा क रें। इन शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान अवध के इस इलाके की ओर दिलाना चाहता हूं जो हमेशा उपेक्षित रहा है——आजादी के पहले और आजादी के बाद और आज भी। इसलिये मै आपसे निवेदन करता हूं कि अवध के लिये आप उन तमाम चीजों की व्यवस्था क रें जिससे उसका उत्थान, विकास व अन्य उन्नति सम्बन्धी कार्य हो सके।

[श्री मदनमोहन मिश्रा]

ट्रांसपोर्ट की बात भी कल आयी थी । मरने के बाद आदमी की लाश को गंगा जी ले जाने के लिये प्राइवेट गाड़ी का प्रबन्ध करना पड़ता है या कोई अन्य प्रकार का प्रबन्ध करना पड़ता है । तो इसके लिये आप रोडवेज की गाड़ी उपलब्ध कराने की ओर ध्यान देने की कृपा करें जिससे लोगों की यह परेशानी दूर हो जाय ।

१९ दिसम्बर, १९२७ के काकोरी केस का जिक्र कल श्री अनन्तराम जायसवाल जी ने किया था । इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि सर्व श्री राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई लेकिन अफसोस की बात है कि आजादी के बाद इन क्रान्तिकारी वीरों के परिवारों की तरफ किसी नेता तथा सरकार का ध्यान नहीं गया । मेरा विश्वास है कि आज जो आजादी के गीत गाये जाते हैं, यह आजादी केवल अहिंसा के ही जरिये नहीं मिली है बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसमें ८० प्रतिशत उन बलिदानी लोगों का हाथ है जिनकी वजह से यहां आजादी आयी है ।

यह आजादी श्री चन्द्रशेखर आजाद, श्री राम प्रसाद बिस्मिल, श्री अशफाकल्ला खां और श्री सुभाष चन्द्र बोस जैसे अमर शहीदों के जरिये मिली हैं जिसका श्रेय उन जैसे व्यक्तियों को भी जाना चाहियें । महात्मा गांधी हमारे पुरखा थे और शान्त तथा क्रान्ति के समन्वय थे इसलिये इसका श्रेय उनको भी मिलता है महात्मा जी तो क्रान्तिकारियों और शान्तिकारियों सभी के नेता थे और उनसे सभी को प्रेरणा मिलती थी । आप सभी इस बात को जानते हैं कि क्रान्तिकारियों ने आजादी के लिये कितना महान त्याग व बलिदान किया है । हमें तो शर्म आनी चाहिये कि श्री चन्द्रशेखर आजाद की मां मरते-मरते मर गयीं पर उनकी ओर किसी ने ध्यान न दिया । हमें शर्म आनी चाहिए कि उस बेचारी माता को पेंशन नहीं दे पाये और जब काफी जोर पड़ा तो २० रु० दिया गया उस मां को अन्तिम दिनों में, जिसका एक बच्चा था और वह भी देश पर कुर्बान हो गया । उन्हीं का शाप है, कि आज यह गवर्नमेंट बनी और कल वह गवर्नमेंट, रोज का यह तमाशा चल रहा है । मेरा निवेदन है कि सभी क्रान्तिकारियों का तथा अन्य देश की आजादी के लिये लड़ने वालों का पता लगवाया जाय और जो भी ऐसे परिवार हों उनको मदद दी जाय, अनुदान दिया जाय । अगर ऐसा नहीं करते तो आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा नहीं मिलेगी । वे समझेंगे कि जब गर्ज होती है तो इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं । यही युवकों का हाल है । अपने स्वार्थ के लिए युवकों का नारा तो हम दे देते हैं लेकिन उनके उत्थान के लिये, विकास के लिये, स्वास्थ्य के लिये समुचित ध्यान नहीं देते । सन् १९२९ में भगत सिंह को फांसी कैसे मिली ? अगर लार्ड इर्विन से पैक्ट न हुआ होता तो उनको फांसी न मिलती । कैसे राजनीतिज्ञ हैं ? कि उन्होंने सुलह कर ली और उसी कारण भगतसिंह फांसी के तख्ते पर झूल गया ।

२२ वर्ष में आज पहला मौका आया है कि जिस कांग्रेस से लोग घृणा करने लगे थे और जो गिरती जा रही थी उसको इंदिरा गांधी ने नया-नया जोश दिया, लोगों में नये सिरे से उमंग पैदा की और लोग आशा से देख रहे हैं कि शायद हमारा देश ऊपर उठ जाय । मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई देता हूं कि उन्होंने लोगों में नया जोश और नई उमंग भर दी । पहले जो लोग समाजवाद का नारा देते थे आज वे ही उसका विरोध कर रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि वे समाजवाद चाहते हैं या स्वार्थवाद ? अगर वे समाजवाद चाहते हैं तो आज देश में श्रीमती इन्दिरा गांधी से बड़ा समाजवादी कोई नहीं है अतः वे अपने "स्व" को भूल कर इन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत करें ।

(लाल बत्ती होने के बाद)

यह जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्दिरा गांधी ने किया है इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो देश का धन कुछ फीसदी आदमियों की जेबों में था और वे जब चाहते थे बाजारों में वस्तुओं की कीमतें घटा बढ़ा देते थे अब वह रकम उनके हाथ से निकल कर ५५ करोड़ लोगों के हाथों में जायगी। इससे एक नया वातावरण उत्पन्न होगा और हमारा देश खुशहाल होगा। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूं, यहां सदन के माननीय सदस्यों को कि अगर इन्दिरा गांधी की स्कीमें फेल हुई तो देश में खूनी क्रान्ति हो जायेगी और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए हमारे सभी भाई अपने स्व से, स्वार्थ से, मूछों के ताव से ऊपर उठें और इन्दिरा गांधी ने जो समाजवाद की दिशा में पग उठाया है उसे सफल बनावें इसके साथ ही मैं हरिजनों, छात्रों और अध्यापकों के सम्बन्ध में कहूंगा कि उनकी सारी बातों को ठीक से समझ कर उनकी मांगों को पूरा करें।

एक चीज मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं। जब देखिये भ्रष्टाचार कुनबापरस्ती, बदमाशी, मक्कारी, ये सारी चीजें यहां सदन में रोज उठा करती हैं। मेरा एक सुझाव यह है कि जितने भी भूतपूर्व तथा वर्तमान मिनिस्टर तथा एम०एल०ए० हैं इन सब की सी० आई० डी० से पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिये अथवा एक जांच आयोग बैठाया जायगा कि एम० एल० ए० और मिनिस्टर होने के पहले उनकी क्या हैसियत थी और बाद में क्या है? यह मेरा एक सुझाव है और चौधरी चरणसिंह एक ईमानदार मुख्य मंत्री हैं वह यह कर सकते हैं क्योंकि वह लीपा पोती नहीं करेंगे। इससे स्थिति बहुत कुछ साफ हो जायगी और जनता को भी मालूम हो जायगा, कौन कैसा है। चौधरी साहब एक आदमी इस प्रदेश में करक्टर के हैं और दृढ़ निश्चय वाले हैं। जब से चौधरी चरणसिंह चीफ मिनिस्टर हुये हैं एक नया अध्याय इस प्रदेश में खुल गया है। वह कामयाब होते हैं या नहीं यह दूसरी बात है।

अब मैं आपका ध्यान रायबरेली जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरा जिला हमेशा सामन्तशाही का जिला रहा है। इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से यू० पी० सारे देश में उपेक्षित रहा है उसी तरह ये रायबरेली जिला यू० पी० में सब से ज्यादा उपेक्षित रहा है। अब श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां आयी हैं लेकिन उनके भी खिलाफ अगर आप क्षमा करें तो मैं कह दूं, कि राजनारायण सिंह सरीखे नेता जिसकी हम सब इज्जत भी करते हैं वह वहां संसद में बकवास करते रहते हैं और गलत बातें कहते हैं (व्यवधान) उन्होंने रायबरेली में एक पालिस्टर बनाने वाले कारखाने के बारे में कहा जो आज तक वहां खुला ही नहीं है।

१८ तारीख को रायबरेली में जगतपुर–ऊंचाहार के इलाके में पानी पड़ा और ओले गिरे और २७ तारीख को नगर के आसपास ६–७ बजे प्रातः करीब ओले गिरे और थोड़ा पानी पड़ा। इससे हमारे यहां की फसल को काफी नुकसान हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सहायता वहां के गरीबों को देने की कृपा करें।

इसके अलावा स्वच्छ प्रशासन की बात जब कही जाती है तो बहुत कीचड़ उछाला जाता है। यहां पर अध्यक्ष मना करते रहते हैं फिर भी श्री अनन्तराम जायसवाल कहते हैं कि मैं बोलूंगा। क्या इसी तरह से अनुशासन माना जाता है? अगर चौधरी चरण सिंह स्वच्छ प्रशासन नहीं दे सकते तो मैं आपको बतला दूं कि यहां पर कोई और स्वच्छ प्रशासन नहीं दे सकता।

आज हालत यह है कि आप रिक्शे पर चलिये तो वह भी कहता है कि अब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री हो गये हैं, मैं किसी से नहीं डरता। आज वह पुलिस वाले से भी नहीं डरता कि वह उसको जबरदस्ती बन्द कर देंगे क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं कि अगर जबरदस्ती किसी को बन्द कर देंगे और चौधरी साहब के पास खबर पहुंच जायगी तो भला न होगा। रिक्शे वाले, किसान, मजदूर कर्मचारी, चपरासी सभी उनकी तारीफ करते हैं तो क्या चौधरी साहब ने कोई उनको रिश्वत बांटी है? बात केवल इतनी है कि उन से लोगों को विश्वास है कि वह स्वच्छ प्रशासन देंगे, उन की कर्मठता पर लोगों की अगाध श्रद्धा है और उनके नेतृत्व में वास्तविकता यह है कि कोई भी प्रदेश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।

[श्री मदनमोहन मिश्रा]

मैं केवल दो तीन बातें और कहकर ही समाप्त कर दूंगा। अभी तक यहां पर चौधरी गिरधारी लाल जी पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर थे, मैंने उनसे प्रार्थना की कि रायबरेली जिले में बहुत जरूरी सड़के हैं उनको बनवा दिया जाय फिलहाल चाहे केवल एक ही सड़क बनवा दी जाय पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अतः, मैं आप के माध्यम से चौधरी चरण सिंह से प्रार्थना करता हूं कि हमारे यहां की रायबरेली फैजाबाद रोड जो सिधौना होकर जाती है, मलिकमऊ–रुस्तमपुर रोड, रायबरेली–परशदेपुर–लोधवारी रोड, जगतपुर–डलमऊ–सलोन रोड, कुचरिया–उत्तरपारा–बेला गुसीसो व बेला टिकई रोड, बनवाना बहुत ही आवश्यक है और इनका निर्माण वह जल्दी कराने की कृपा करें।

इसके अलावा रायबरेली नगर में सीवर स्कीम पास हुये एक साल हो गया और वहां की सड़कें बहुत खराब हालत में है जिनमें तमाम गढ़े हो गये हैं और यह कहा जाता है कि जब तक सीवर न पड़ जाय तब तक सड़कें बन नहीं सकती और सारा मामला लाल फीताशाही में उलझा हुआ है जिसके कारण अनावश्यक देरी हो रही है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि इस कार्य को जरा ध्यान देकर जल्द एक्सपीडाइट करा दें ताकि जल्द से जल्द सीवर पड़कर सड़कों का निर्माण हो जाय और नागरिकों के कष्ट का निवारण हो जाय।

श्री जायसवाल ने श्री विनोद चन्द्र दुबे को कहा कि जब वहां इन्दिरा जी आई थीं तो उनको श्री दुबे ने काले झंडे दिखाये। उस वक्त चौधरी चरणसिंह भी वहां मौजूद थे। मैं यह कहता हूं कि उक्त श्री विनोद चन्द्र दुबे का काले झंडे दिखाना उतना ही गलत कार्य था जितना कि यहां पर श्री जायसवाल का माननीय अध्यक्ष जी के मना करने पर भी खड़े होकर बोलते रहना। इस तरह की जिद्द व हठधर्मी को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा।

मेरा कहना है कि किसानों की गरीबी सवा ६ एकड़ का लगान माफ करने से दूर नहीं होगी, वह तभी दूर होगी जब किसान को बीज, खाद, पानी समय से मिलेगा। इससे काम नहीं होगा कि आज उसे खाद, बीज या पानी की जरूरत है और वह साल या ६ महीने बाद मिले। आज किसान सवा ६ एकड़ तक लगान की छूट नहीं चाहता, लगान है ही कितना? वह तो उसे दे सकता है। वह चाहता है, कि उसको अपनी जमीन को समय से बोने जोतने के साधन व पानी वक्त से मिले।

अगर आप क्षमा करें तो एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि यह ओवर ऐक्टिंग जो ये एस० एस० पी० वाले करते हैं यह बहुत ही खराब चीज है, जिनका स्वयं का कोई अनुशासन नहीं है, जिसके काले कारनामे सब को मालूम हैं और जो हर वक्त दूसरों पर कीचड़ उछालते रहते हैं, जो केवल चरित्र हत्या या कैरेक्टर एसेसिनेशन ही करते रहते हैं जो ऊपर से सफेद हैं लेकिन अन्दर से जो काले हैं वह किसी का भला नहीं कर सकते और न किसी की कभी सुन ही सकते हैं। मैं आप के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि वो कृपा कर के दूसरों को भी सुने। जो बातें आप की अच्छी हैं हम मानने को तैयार है लेकिन दूसरों की अच्छी बातों को आप भी तो मानें। मैं अपने को हरिजन वर्ग का सेवक शुरू से ही मानता हूं और आज भी हूं। अन्त में मैं चौधरी चरणसिंह तथा सरकार से प्रार्थना करूंगा, कि हमारे जिला रायबरेली की ओर, २२ वर्ष इधर और १५० वर्ष अंग्रेजों के जमाने में, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां के लोग आज उनसे आशा करते हैं कि अब उधर उसके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैंथी गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन करता हूं।

श्री करनसिंह (जिला खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण को राष्ट्रपति महात्मा गांधी और राष्ट्रमाता कस्तूरबा के नामों से आरम्भ किया। अपना अभिभाषण आरम्भ करने से पहले विरोधी दल के नेताओं को अपनी अपनी बातें कहने का अवसर दिया और उसके उपरान्त जब प्रमुख विरोधी दल के नेता अपनी बात कहने खड़े हुए, जो कि महात्मा गांधी के स्वप्नों के अनुसार एक हरिजन हैं, तो उन्हें एक भी शब्द कहने का अवसर न देकर अपना अभिभाषण जारी कर दिया और शायद अपने अभिभाषण की पहली और अन्तिम ही लाइन पढ़ कर समाप्त कर दिया। राष्ट्रपिता माहात्मा गांधी के नाम से जिस श्रद्धा के साथ अपना अभिभाषण आरम्भ किया था उसके ऊपर यह एक कलंक है।

भाषण में उन्होंने जिन नीतियों का वर्णन किया है उनमें ब्योरे में जाने से पता चलता है कि कोई विशेष बात नहीं है और जैसे बाजारों और सभाओं में नारे लगा दिए जाते हैं, वैसे ही उनका जिक्र भाषण में है। यहां पर ३० एकड़ सीलिंग की बात कही गयी है। मैं सरकार से और माननीय चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि पिछली बार जो जमीन की सीलिंग की गयी थी, उसके क्या परिणाम हुए ? गांवों में कितने भूमिहीनों को वह जमीन मिली, क्या इस पर कोई विचार किया गया ? क्या सारा समाजवाद गांव और वहां की सम्पत्ति पर ही आने वाला है, शहरों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा और वे अछूते ही रह जायेंगे ?

पिछली बार जिनकी जमीनें निकाली गयीं, उन्हीं को दूसरा फायदा हुआ, भूमिहीनों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। उन्हीं को जमीनों का मुआविजा मिला और यांत्रिक खेती के नाम पर उनको ही भूमि पर अधिकार मिल गया। उन्होंने उन जमीनों पर गलत नाम से पट्टे भी करवाये, उनको बेचा भी और आज भी उन जमीनों को बेच रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के बहुत बड़े-बड़े लोग भी शरीक हैं और कोई देखने वाला नहीं है। मैं निश्चित तौर पर इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जो पिछली सीलिंग हुयी थी और जिसमें कहा गया था कि भूमिहीनों को भूमि दी जायगी, अपनी जगह पर बिल्कुल नाकामयाब रही है। शायद ही किसी भूमिहीन को जमीन मिली हो। जिन लोगों ने जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है या जो लोग बेच रहे हैं, उनका कब्जा खत्म करने में यह सरकार किसी भी प्रकार सक्षम नहीं है।

एक बार जमीन की हदबन्दी की गई थी, सरकार को पहले देखना चाहिये था कि उसका क्या नतीजा निकला। उसकी खामियों को बिना दूर किये दूसरी सीलिंग करने की क्या आवश्यकता पड़ी। क्या यह विचार किया गया है कि मेरठ, बुलन्दशहर और मुजफ्फरनगर में ३० एकड़ की पैदावार का जो औसत है वह तराई सैलाबी और अन्य जगह के मुकाबले में, जहां की मिट्टी और जलवायु भिन्न है, पैदावार भी औसत उपज के आधार पर ही सीलिंग में भी फर्क होना चाहिये।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि सीलिंग में बाग की जमीन भी शामिल कर ली गई है। गांव की ऐसी परंपरा है कि बाग की फसल को बेचना वहां के लोग पसन्द नहीं करते हैं और बाग अक्सर गांवों के पास में लगाते हैं, अगर सीलिंग में बाग सम्मिलित कर लिये गये तो उसका असर यह होगा कि जितने भी बाग होंगे वे सब के सब कटते चले जायेंगे और उससे बड़ी भारी राष्ट्रीय क्षति होगी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या आप सीलिंग का विरोध कर रहे हैं ?

श्री करन सिंह—

मैं सीलिंग का विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर उसमें जो खामियां हैं पहले उनको दूर करने पर जोर दे रहा हूं। पहले आप उसमें जो खामियां हैं उनको दूर कर दीजिये। दूसरे बागों को इससे मुक्त कीजिये। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि समाजवाद का जो नारा आप लगाते हैं, हम सब समाज वाद चाहते हैं, सभी गरीबों की भलाई चाहते हैं। मगर आप गांव वालों

[श्री करन सिंह]

की संपत्ति की तो सीलिंग करना चाहते हैं शहरी संपत्ति पर आप कोई सीलिंग नहीं लगा रहे हैं। पहले जमींदारी खत्म की गई, उसमें कमियां रहीं। उसमें दोष सभी का रहा है चाहे कमलापति जी रहे हों, या चरण सिंह जी रहे हों। उस वक्त भी शहरी संपत्ति उससे अछूती रखी गई थी। सीलिंग के नाम पर जमीन निकाल कर जब तक आप उसको भूमिहीनों को नहीं देंगे समाजवाद नहीं आयेगा।

आप सीलिंग के नाम पर जमीन निकाल कर भूमि के पुराने मालिकों का ही दोहरा फायदा करते हैं। इसलिए आपको पहले इस ऐक्ट में जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिये। मेरे खीरी जिले में तमाम जमीन सीलिंग करके निकाली गई, मगर जरा सी भी जमीन गरीबों को नहीं मिल पाई, आज भी कब्जा पुराने जमीन मालिकों का ही है। इससे तो अच्छा है कि आप सीलिंग ही न करें। आपने जमींदारी समाप्त करते वक्त शहरी संपत्ति को उससे मुक्त कर दिया। उसके लिये कहा कि हम दोबारा कानून लायेंगे। मगर क्या किया आपने? फिर इस तरह की सीलिंग के क्या मतलब हैं? आपने ३० एकड़ की सीलिंग कर दी। कहीं पर जमीन ५०० रु० प्रति एकड़ है, कहीं पर उसके दाम ढाई हजार हैं। तो यह कैसे आप सीलिंग करेंगे? ज्यादातर फैक्टरीज शहरों के ही नजदीक लगी हुई हैं। केंद्रीय सरकार ने कहा है कि एक करोड़ तक की लागत की फैक्टरीज पर लाइसेंस नहीं होगा।

शहरों में एक परिवार के पास चाहे जितने मकान हों, चाहे जितने बस ट्रक आदि के परमिट हों, वह चाहे जितना भी अनाज आदि का भण्डार बनाये, उसकी पूंजी चाहे जितनी ही बढ़ती चली जाय, कोई सीमा नहीं है, उनकी तरफ आपकी निगाह नहीं जाती, निगाह गांव वाले की ही तरफ जाती है, सारी पाबन्दी उन्हीं पर लगाई जाती है। अगर आपकी यही नीति रही तो गांव के लोग अपने सारे साधन समेट कर शहर की तरफ भागने लगेंगे। अगर आपकी यही नीति रही तो शहर तो आबाद होते चले जायेंगे और गांव उजड़ते चले जायेंगे। खाली कह देने से कभी समाजवाद नहीं आया करता। गांव की सारी संपत्ति आप छीन लें और शहरों में कुछ न करें, इससे समाजवाद आने वाला नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

चौधरी साहब ने कहा है कि गन्ने की कीमत १० रु० होनी चाहिये। मुझे अच्छी तरह से याद है पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के खाद्य मंत्री ने भी यह सुझाव दिया था। मगर वह कीमत दिलाने की क्षमता किसमें है? दिल्ली की सरकार में या प्रदेश की सरकार में? यह किसी ने नहीं कहा। हम चाहते हैं कि हमको हमारी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिये, खाली बयान निकाल देने से समस्या हल नहीं हो जाती। खाली बयान निकाल देने से और ऐसा काम करने से कि बाद को वह चीज निराशा में बदल जाय, उससे हिंसा का जन्म होता है।

श्री महीलाल—

आप इधर आ जाइए तभी तो यह सब आप का चाहा हो सकता है।

श्री करन सिंह—

चौधरी साहब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं चाहे इधर हूं या उधर, मैं किसान की अच्छाई की बात सोचता हूं और उसको आपको मानना पड़ेगा। आप जांच करवा लीजिए सबसे ज्यादा सीलिंग की जमीन जिला खीरी में निकली है, लेकिन वह एक भी छोटे किसान को नहीं मिली है, सब बड़े-बड़े और प्रभावशाली लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। गांव पटिहन, परगना पलिया, तहसील निघासन के बारे में आपको खासकर बताना चाहता हूं वहां पर ढाई हजार एकड़ भूमि सीलिंग की जो थी उस पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी श्री काली के दामाद और महाराजा पटियाला के लड़के ने कब्जा कर रखा है और वह उस भूमि को टुकड़े-टुकड़े करके बेच रहा है। धोखा की भूमि पर छीना झपटी पड़ी है।

श्री महीलाल—

इसके लिये वही लोग दोषी हैं जिनके साथ आप बैठे हैं।

श्री करन सिंह—

यह तो वक्त की बात है। आप इधर हैं या उधर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। यह तो एक चक्र चल रहा है। इंडीकेट कांग्रेस, इनडिस्प्लिन्ड (अनुशानसहीन) कांग्रेस या वह कांग्रेस जो अन्तरात्मा की आवाज पर चलती है सबके कार्यों को देखना होगा। देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि केवल एक ही व्यक्ति पैदा हुआ है बीसवीं सदी में, जो अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर कार्य करता था। जिसके अन्तरात्मा की प्रेरणा की आवाज पर देश की कोटि-कोटि जनता दासता के बन्धनों को तोड़ने के लिये डट गई थी। जिसकी आवाज पर देश का प्रत्येक बच्चा-बच्चा, युवक-वृद्ध और नारी पुरुष सभी बलिदान के लिये तत्पर हो गये थे। आज इंदिरा गांधी, कमलापति त्रिपाठी और गेंदासिंह जी अन्तरात्मा की आवाज की बात करते केवल ढोंग करते हैं, जिन्होंने देश की सबसे पुरानी और मजबूत पार्टी कांग्रेस के टुकड़े कर दिये हैं और सर्वत्र अनुशासनहीनता का वातावरण पैदा कर दिया है। अन्तर-आत्मा और शैतान की बोली कभी समझने में कठिनाई आ जाती है। बंगाल आज जल रहा है, केरल जल रहा है, इस पर भी वह खामोश रहते हैं और समाजवाद और लोकतंत्र का ढोंग रचते हैं।

आज आप झूठे नारे देकर लखनऊ और यू० पी० को भी जलाना चाहते हैं। जलाइए, अवश्य जलाइए। लेकिन याद रखिए, इस अन्तरात्मा ने उत्तर प्रदेश में जो कुछ किया है उससे उनकी किस्मत में एक ही चीज लिखी है कि (व्यवधान) वह बड़े भाई चन्द्रभानु गुप्त की जगह पर चौधरी साहब के पीछे-पीछे चलें, इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी किस्मत में यही लिखा है। मैं यही चाहता हूं कि सबका आदर हो और मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब तक पुरानी सीलिंग के परिणाम की जांच न हो, जब तक सरकार इस बात का आश्वासन न दे व्यावहारिक रूप से कि पुरानी सीलिंग की जमीन पर जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उनसे छुड़ाकर, चाहे जिस तरीके से संभव हो, गरीबों और भूमिहीनों के पास पहुंचेगी, तब तक नई सीलिंग की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग के वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बाढ़ और तराई के इलाकों की अलग-अलग जगहों की जमीनों की उर्वरा शक्ति तथा मिट्टी देख कर इस बारे में अलग अलग सीमाएं निर्धारित करनी चाहिये।

तीसरी चीज, भूमि की सीलिंग के साथ-साथ बागों को इससे मुक्त कर देना चाहिये। यह एक स्वाभाविक बात है, हम सब गांवों के रहने वाले हैं, गांव में जितने बाग हैं, वह गांव के पास हैं। अभी भी तमाम ऐसी पीढ़ी हैं जो बाग के फलों को बेचना पाप समझती है। बाग लगाती हैं, उनकी परवरिश करती हैं और दूसरों के लाभ के लिये उन्हें छोड़ देती हैं। बागों को भी सीलिंग में शामिल करने और उनके ऊपर भी हदबन्दी लागू करने का मतलब यह होगा कि गांवों के पास के बागों को काटकर किसान खेत बनाये और यदि छोड़ना ही पड़े तो दूर के बाहर के, बाग और खेत छोड़े। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि बरसात कम होगी, और राष्ट्र को अपार क्षति होगी।

इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत सूक्ष्म है। लेकिन उसमें प्रदेश के कृषकों के लिए और उनकी उन्नत खेती के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं। उसमें कई महत्व की ऐसी बातें हैं जो प्रदेश के हित में हैं, जैसे चीनी मिल का राष्ट्रीय-करण और जमीन की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव। यह सब गरीब किसान और मजदूर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी]

के हित की बात है। माननीय, कई रोज से इस सदन में प्रजातंत्र की दुहाई दी गयी और प्रजातंत्र की परिभाषा दी गयी । माननीय, जो आज यह कहा जा रहा है कि माननीय चौधरी साहब की सरकार अल्पमत में है, यही बात क्या दो महीने पहले नहीं कही गयी थी ? भूतपूर्व सरकार क्या अल्पमत में नहीं थी ? अल्पमत की सरकार में २६, २६ मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर बनाये गये और अफसोस है कि वे मंत्री और उपमंत्री हाउस का मुंह भी नहीं देख पाये और चले गये। वह कह रहे हैं कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और माननीय चौधरी साहब की सरकार अल्पमत में है । इस बात को छिपाया नहीं जा सकता कि माननीय चौधरी साहब की सरकार ने शपथ लेने के एक सप्ताह के अन्दर सेशन बुला लिया और शक्ति परीक्षा का मौका दे दिया । परीक्षा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे माननीय सदस्य चाहेंगे तो हो जायगी । यह कहना कि यह अल्पमत की सरकार है और किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, यह शोभनीय नहीं है ।

सदन के इतिहास में राज्यपाल के अभिभाषण पर जो अशोभनीय घटना हुई क्या यह प्रजातंत्र है ? माननीय विरोधी दल के नेता जिन्होंने बीस वर्ष तक शासन को चलाया है, एक विद्यार्थी की तरह से लाउड स्पीकर पकड़ कर राज्यपाल के अभिभाषण पर शोरगुल कर रहे थे।

जनसंघ के नेता भी इसी तरह से व्यवहार कर रहे थे । माननीय अनन्तराम जायसवाल का व्यक्तित्व मशहूर है, उनका एक इतिहास है । उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन जो प्रजातंत्र की बड़ी दुहाई देते हैं, प्रजातंत्र के बड़े भारी प्रतीक हैं, उनका यह व्यवहार ! राज्यपाल प्रदेश का प्रतीक है । उन्होंने दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के हित में जो भी ठोस बातें हो सकती थीं, जो भी कार्यक्रम किसान, मजदूर, खेतिहर के हित में हो सकता है, अपने भाषण में कहा है । उस पर सदन विस्तृत रूप से विचार कर सकता है ।

माननीय, इन सब बातों को लेकर जो उस रोज घटना घटी ऐसी घटना, कई बार माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने का मौका मिला है, नहीं घटी है । ऐसा व्यवहार करके प्रजातंत्र का स्लोगन लगाकर, प्रजातंत्र की हत्या इस प्रकार से पहले कभी नहीं की गई है । उस रोज दोनों सदन के सदस्य बैठे थे । संयुक्त अधिवेशन उस दिन चल रहा था । दोनों सदन के सदस्य उनका भाषण सुनते और अपने विचार व्यक्त करते लेकिन यह कहां तक उचित है कि इस प्रकार से प्रजातंत्र में किसी माननीय राज्यपाल का अपमान किया जाय ? इस तरह से करने वाले भी प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि यह सरकार यहां पर अल्पमत की बनी है । मैं उनके कानों तक इस बात को पहुंचा देना चाहता हूं कि दो महीने तक बहुत अधिक अनुरोध पर भी और बहुमत के अनुरोध पर और विधायकों के अनुरोध पर भी सेशन नहीं बुलाया गया । अब वे कहते हैं कि हमारा बहुमत है । हम लोगों ने बराबर अनुरोध किया कि सेशन बुलाकर परीक्षा कर ली जाय कि कौन बहुमत में है । अगर आपका बहुमत हो तो आप सरकार चलायें । लेकिन ११ फरवरी से पहले उनकी हिम्मत सेशन बुलाने की नहीं हुई । तब भी यह हुआ कि ११ फरवरी के पहले ही १० फरवरी को गद्दी छोड़कर भाग गये ।

आज जो यह गवर्नर साहब का अभिभाषण हमारे सामने है इसमें बहुत ठोस कदम उठाये गये हैं और बहुत ईमानदारी और लगन के साथ कदम उठाये गये हैं । अगर हमारे प्रदेश में वह काम हों तो वाकई हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ जाय । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । इस कारण कृषि पर बल देने की आवश्यकता है । उस अभिभाषण में यह निर्धारित किया गया है कि ६। एकड़ तक माफी नहीं होगी । यह इस प्रदेश की आमदनी पर है । जब प्रदेश की माली हालत सुधर जायगी तो लगान माफी करने की चेष्टा की जायगी ।

मान्यवर, दूसरी बात मुझे आपके माध्यम से यह निवेदन करना है कि आज लगान में छूट देना कोई प्रदेश की गरीबी के हित में नहीं है। खाली लगान में छूट दी जाय और विकास के काम न हों तो यह प्रदेश के छोटे खेतिहर मजदूरों के हित में नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि जो प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके हैं उनको उठाया जाय। मेरा इलाका भी बहुत पिछड़ा हुआ है। पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनायें चलती रहीं लेकिन उस क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हो सकी। उस क्षेत्र को देखने से मालूम होता है कि वहां पर सिंचाई क साधन कुछ भी प्राप्त नहीं है। वहां की दशा को सब जानते हैं कि लगातार ५ वर्ष से सूखा पड़ने के कारण वह क्षेत्र तबाह हो गया है और उस क्षेत्र के किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है।

इसी तरह से प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई के साधन पहुंचाने की जरूरत है। सिंचाई के साधन के लिये धन की आवश्यकता होगी। वह धन प्रदेश की जो आमदनी होगी उससे ही आयेगा। उत्तर प्रदेश में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो पिछड़े हुये हैं। बुन्देलखण्ड, पहाड़ी क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जो बहुत पिछड़े हुये हैं। इसमें अधिक खास बात यह है कि पूर्वी इलाके के पिछड़े क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिये योजना बना ली जाय तो उस इलाके का ठोस लाभ होगा। जहां किसानों को कुछ राहत वहां पर मिलेगी तो कृषि की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये बाबू गेंदा सिंह जी ने प्रश्न उठाया था। अगर इन मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा तो इससे प्रदेश के करोड़ों किसानों का लाभ होगा। जो मिल मालिक किसानों के साथ अच्छा बरताव नहीं करते थे, उसका गन्ना नहीं लेते थे, कम रेट पर लेते थे, किसानों का गन्ना खेतों में सूख जाता था तो इस तरह से उनको बहुत तंग करते थे। मान्यवर, इस तरह से किसानों को समय से पेमेन्ट भी नहीं देते थे हर प्रकार की असुविधायें किसानों को दीं और जितना भी शोषण हो सकता था उनका किया। मिल का शीरा ६६ पैसे मन के हिसाब से खरीदा जाता था और मार्केट में उसे १४-१५ रुपये मन के हिसाब से बेचा जाता था। किसानों के साथ इस प्रकार बड़ा अन्याय हो रहा था। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का जो कदम उठया गया है इससे हमारा उत्तर प्रदेश विकसित होगा और किसानों की भलाई होगी।

एक बात यह कहने जा रहा हूं कि गांधी शताब्दी मनाई जा रही है और प्रजातंत्र की दुहाई भी दी जाती है लेकिन कांग्रेस संगठन ने, सभी जानते हैं, जिस पार्टी के साथ आज गठ-बंधन किया है वह प्रतीक है कि क्या गांधी जी को वह सही श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है?

एक बात मैं यह निवेदन कर दूं कि पटेल कमीशन में पूर्व के जिलों को जिस प्रकार किसान को सबसिडी मिलती थी वैसे ही आज भी मिलनी चाहिये। फर्टिलाइजर, रहट, कुवों, छोटे सिंचाई के अन्य साधनों तथा एग्रिकल्चरल इम्पलिमेंटस पर किसान को सबसिडी मिलती थी आज वह सबसिडी ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिये ताकि हमारे प्रदेश की पैदावार आगे बढ़ सके। हमारा प्रदेश इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, उद्योग में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां कोई ठोस उद्योग नहीं है चाहे कोई भी क्षेत्र हो। हमारे प्रदेश में केवल खेती के बल पर प्रगति नहीं हो सकती जब तक उद्योग-धंधों की तरफ हमारा प्रदेश नहीं बढ़ेगा। मुख्य मंत्री जी इसके लिये केन्द्रीय सरकार से मांग करें कि पड़ोसी प्रदेश की तरह हमारे प्रदेश में भी उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिये वह अधिक से अधिक धनराशि दे।

एक बात मैं यह भी निवेदन कर दूं कि साल भर तक हमारे विरोधियों ने सरकार चलाई लेकिन क्या कोई ठोस कदम उन्होंने उठाया? कोई भी ठोस कदम न कृषि के क्षेत्र में और न चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की ओर उन्होंने उठाया और हमेशा माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव को ठुकराया। माननीय चरण सिंह को आज इस प्रदेश की ७ करोड़ जनता धन्यवाद दे रही है, किसान, मजदूर धन्यवाद दे रहे हैं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीय-

[श्री त्रिवेणी]

करण करने की घोषणा करके उन्होंने एक ठोस कदम उठाया है और इस प्रदेश का बड़ा कल्याण किया है।

इन शब्दों के साथ मैं गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करने हेतु खड़ा हुआ हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन को पढ़ कर बड़ी निराशा हुई। किसानों के बारे में कुछ नीतियों को घोषित किया गया, उन नीतियों से कुछ लोगों को मतभेद हो सकता है और कुछ लोगों की उनसे सहमति भी हो सकती है। यद्यपि मैं जानता हूं कि इस सरकार का रूप दल बदलू सरकार का रूप है। मेरे मित्र बुरा न मानें। हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि नीति बदलू भी होती चली जा रही है। अगर आज कमलापति जी को तथा गेंदा-सिंह जी को साथ रखना है तो ३० एकड़ वाली बात में हेरफेर होना चाहिये तथा चीनी मिलों की बात होनी चाहिये। अगर कांग्रेसी भाइयों को खुश करना है तो आज तक जो हम कहते चले आये चौधरी साहब उन्हीं को कहने लगे दल बदलू और नीति बदलू की बात है। हमने कहा था कि समन्वय समिति बनाइये तथा किसानों का लगान माफ कीजिए लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोई बात नहीं मानेंगे और छोटे किसानों का लगान माफ नहीं करेंगे। लेकिन आज उन को वही सब चीजें करनी पड़ रही हैं। चाहे आप नाक इधर से पकड़िये चाहे नाक उधर से पकड़िये। यह तो इतिहास बतायेगा कि ३०० आदमियों के साथ बैठ कर जो चौधरी साहब की सरकार बनती जिसमें छोटे किसानों को राहत मिलती, राज्य कर्मचारयों को राहत मिलती तथा नागरिकों को राहत मिलती, उसको भुला कर उन्होंने एक गुट के साथ अपनी सरकार कायम की है। वह गुट उनको नचा रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में घोषणा की गई थी ३० एकड़ की सीलिंग के लिये उसमें भी परिवर्तन की बात कही गई है। मैं शब्दजाल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन भावना को देखना चाहिये जिस भावना से यह बात रखी गई थी उसको बदलने की बात आ रही है।

इस अभिभाषण में एक कमी रह गई है। इस प्रदेश की आठ करोड़ जनता में से ढो-ढाई करोड़ जनता के लिये एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। यदि गेंदा सिंह जी यह साबित कर दें कि यहां पर राज्य कर्मचारियों के लिये, अध्यापकों के लिये तथा नागरिकों के लिये कोई योजना या कार्यक्रम रखा गया है तो मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लूंगा।

आपने किसानों की बात कही वह भी अधूरी की। आपने जो नीति घोषित की उसको भी आप बदलना चाहते हैं। पेशा कर की समाप्ति की बात हमने कही। वह क्यों कही? इसके पीछे एक आधार है। जो लोग इनकम टैक्स देते हैं लगभग वही लोग आज पेशा कर भी देते हैं। इससे प्रदेश को केवल पौने दो करोड़ रुपये की आय होती है। वह ऐसी नहीं है जिसको सरकार माफ न कर सकती हो। प्रदेश में हजारों कर्मचारी तथा मध्यम वर्ग के लोग ऐसे हैं जो निरन्तर मांग कर रहे हैं कि पेशा कर को समाप्त कर दिया जाय। यह डबल टैक्स है, एक ही आदमी पर दो टैक्स लगाना न्यायोचित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रदेश के राज्य कर्मचारी तथा मध्यम वर्ग के लोगों की मांग है कि पेशा कर समाप्त किया जाय, उसको तुरन्त समाप्त किया जाय और इसी अधिवेशन में उस की घोषणा होनी चाहिये। इससे ज्यादा हानि भी नहीं होती है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं उनसे कहूंगा कि वे देखें कि यह केवल पौने दो करोड़ रुपये का मामला है। इसको माफ किया जाना चाहिये ।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य कर्मचारियों ने १९६६-६७ में आन्दोलन किया। उसके औचित्य के संबंध में मैं नहीं कहना चाहता हूं। उसका औचित्य था और उन्होंने अपनी मांगों के लिये शान्तिपूर्वक आन्दोलन किया। उनको दंडित किया गया, आज भी कम से कम १०० कर्मचारी ऐसे हैं जिनको दंडित किया गया है। बराबर मांग की जा रही है। आखिर

एक बाप अपने बेटे को माफ करता है। परिवार में कहीं तो समझौता होता ही है। आपके शरीर के हाथ पैर ये कर्मचारी हैं। क्या आप अपने कर्मचारियों को सदा दंडित ही रखेंगे, क्या कर्मचारी सिगरेट नहीं पी सकेगा, क्या वह पतलून में हाथ डाल कर नहीं चल सकेगा, कर्मचारी ने नमस्ते क्यों नहीं की, क्या इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के ही पीछे आप लगे रहेंगे ? आपको इससे ऊंचा उठना होगा। यह अवश्य है कि कर्मचारियों में आप अनुशासन रखें लेकिन सन् १९६६ से आज तक आपके कर्मचारी दंडित ही पड़े रहें और क्योंकि वे बरखास्त कर दिये गये थे इसलिये अब भी कोई अच्छा कदम ही न उठाया जाय, यह कहां की बुद्धिमानी है ?

पिछली सरकार तो संविद की सरकार थी। आपने उस समय तो कह दिया कि जनसंघ और संसोपा के मंत्रियों ने ऐसा नहीं होने दिया। अब तो अकेले आपकी जिम्मेदारी है, केवल मात्र आप की सरकार है। यद्यपि मैं जानता हूं कि जनसंघ का ऐसा दृष्टिकोण नहीं था कि कर्मचारियों को इस प्रकार से दंड दिया जाय। अब तो केवल आप की सरकार है अब आप कर्मचारियों को बहाल कीजिये। कर्मचारियों की एक ही मांग थी कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाय। आपने शर्मा आयोग बैठाया। उसकी रिपोर्ट आयी लेकिन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के बराबर नहीं मिला। आपको आयोग की रिपोर्ट ज्यों की त्यों स्वीकार करना चाहिये। आपको समान काम के लिये समान वेतन देना चाहिये। अगर आप नहीं देंगे तो फिर कौन देगा ?

इसका एक दूसरा पहलू भी है कि मान लीजिये उनकी इस बात को आप नहीं मानते हैं तो कर्मचारियों को परेशानी होगी और उनके काम करने की ऐफीशियेन्सी गिर जायगी और उनका सरकार के साथ में ठीक तारतम्य नहीं हो पायेगा। अगर आप चाहते हैं कि वे अच्छे ढंग से काम करें तो आप को अपने कर्मचारियों की उचित मांगों को स्वीकार करना चाहिये। उनका महंगाई भत्ता केन्द्र के कर्मचारियों के समान कर देना चाहिये और शर्मा आयोग की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिये।

अध्यापकों की मांग है कि उनको कोषागार से वेतन दिया जाना चाहिये, तथा समय से मिलना चाहिये। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। किन्तु सरकार ने इस मांग के बारे में क्या किया ? आप को अगर कोषागार से वेतन देने में कोई कठिनाई हो तो उनको चेक के द्वारा दे दिया जाया करे और निश्चित समय में उन को वेतन मिल जाना चाहिये। वेतन मिलने में ऐसा नियम बना देना चाहिये कि वेतन डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स के माध्यम से मिल जाया करे। अध्यापक को आये दिन यह सुनने को नहीं मिलना चाहिये कि उनका वेतन इस माह नहीं, अगले माह में मिलेगा। इन्हीं अध्यापकों के समान ही गैर शिक्षक कर्मचारियों की भी समस्या है जो माध्यमिक विद्यालयों में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं। वे भी मैनेजर की दया पर ही निर्भर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप के द्वारा अध्यापकों के मस्तिष्क में यह न बैठ जाना चाहिये कि हमको न्याय नहीं दिया जा रहा है। अगर इस बात की छाप उनके मस्तिष्क में बैठ गयी तो क्या वह अपने मस्तिष्क की छाप को बच्चों में डालने से बचा पायेगा। इसलिये अध्यापकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का वेतन या तो कोषागार से दिया जाना चाहिये अथवा चेक के द्वारा समय पर दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा प्राथमिक अध्यापकों का भी प्रश्न है। वे लोग कौंसिल हाउस के सामने अनशन कर रहे थे। मालूम पड़ता है मंत्री जी ने उनको कोई आश्वासन दे दिया। आश्वासन एक ऐसी चीज है कि जिसको आदमी लाचार होकर सोचता है कि इसको अवसर दिया जाय। नयी नयी सरकार है और इसका उनका नैतिकता का आधार भी है। हमने, जिनमें हम लोग भी शामिल हैं, यह कह कर अपना वेतन बढ़ा लिया कि यह कम है, महंगाई ज्यादा है।

[श्री सत्यानन्द स्वामी]

हमने कहा कि ३०० रुपये वेतन कम है तो हमारा वेतन ४५० रुपये हो गया। आप अगर अध्यापक को १५० रुपये भी नहीं देंगे कि वह भर पेट भोजन खा सके तो यह सरकार के लिये लानत की बात है। आज वह मारा-मारा घूम रहा है और उस की छोटी-छोटी टयूशने करनी पड़ रही है। इसलिये १५० रुपये वेतन की मांग तुरन्त स्वीकार की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने घोषणा की कि नये एडवोकेट जिनको प्रवेश के समय ५०० रुपये शुल्क देना पड़ता है माफ कर दिया जावेगा। यह साधारण सी मांग थी। नये-नये विद्यार्थी जब ला पढ़कर आते हैं तो उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार ५०० रुपये जमा करने पर मिलता है। आप जब प्रवेश के समय ही इतना बड़ा बोझ लाद देंगे तो फिर यह होगा कि वही एडवोकेट बन सकेगा जिसके पास इतना रुपया होगा। आप ने वकील बनने के लिये रुपये का आधार क्यों रक्खा है योग्यता का आधार क्यों नहीं रखते हैं ? परीक्षाफल का आधार रखिये लेकिन ५०० रुपये माफ करने की जो आज्ञा पिछली सरकार ने कर दी है उसका आदर कीजिये और नये प्रवेश पाने वाले वकीलों पर ५०० रुपये जमा करने का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मजदूरों के लिये भी कहना चाहता हूं। अपने प्रदेश में बहुत अधिक उद्योग धंधे नहीं हैं परन्तु जहां कहीं उद्योग चल रहे हैं वहां पर हजारों मजदूर काम कर रहा है। यह किसी से छिपी बात नहीं है कि आज मजदूर को अपनी हर मांग के लिये संघर्ष करना पड़ता है। पहले वह भूख हड़ताल करता है, फिर हड़ताल करता है, और फिर उसे त ड़-फोड़ की कार्यवाही करनी पड़ती है। मजदूरों की एक मांग ऐसी है जिसको न्यूनतम वेतन कहते हैं। कई बार इस सम्बन्ध में आयोग बैठे और उन्होंने इसके लिये एक स्तर कायम कर दिया। उन्होंने मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन कायम किया लेकिन सरकार उसको लागू नहीं कर सकती। आज प्रदेश के अन्दर उद्योगों में अशान्ति है। अगर कोई यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिये भी जाता है तो ६ महीने लग जाते हैं। यूनियनों को मान्यता नहीं मिलती है। अपनी मांगों के लिये मजदूर दौड़-दौड़ कर थक जाता है और उसका शोषण किया जाता है। उसी प्रकार मजदूर परेशान होकर मिल छोड़कर गांव चला जाता है लेकिन उसकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसके लिये मिल मालिक पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिये। कानून है लेकिन उसका पालन कड़ाई के साथ नहीं किया जाता है। इस ओर मंत्रिमंडल का ध्यान विशेष रूप से जाने की आवश्यकता है।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस पूरे अभिभाषण के अन्दर प्रदेश के शहरों में रहने वाले लोगों, कर्मचारियों और व्यापारियों के वर्ग के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। व्यापारी लोगों का कहना है कि वह लोग कर देने को तैयार है लेकिन हर स्थान पर देने के बजाय उनसे उत्पादन श्रोत पर लिया जाय। इससे उनको १० बार कर नहीं देना पड़ेगा और उपभोक्ता को माल भी सस्ता मिलेगा क्योंकि अंततोगत्वा यह कर उसी पर जाकर पड़ता है। बार-बार इसके लिये व्यापारी वर्ग मांग करता है। तो मेरा निवेदन है कि बिक्री कर एक सूत्री कर दिया जाय।

मैं गांवों का विरोधी नहीं हूं लेकिन सारी जनता गांवों में ही नहीं रहती है। इसलिये जो सुविधायें पिछली सरकार ने शहर वालों को दी थीं वह उनको मिलनी चाहिये। पता नहीं कि आप शहर वालों के प्रति चुप क्यों बैठे हैं। आप व्यापारियों के लिये कुछ नहीं कहते हैं, कर्मचारियों के लिये कुछ नहीं कहते हैं। आजकल शहरी सम्पत्ति के कन्ट्रोल की बात बहुत चल रही है।

जिस तरह से चिड़ियां रहती हैं उसी तरह से आज एक-एक घर में १०,१० परिवार रह रहे हैं। यहां का रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर जिस प्रकार से जिसको चाहता है निकाल देता है या फिर जिसको चाहता है उसको स्थान दे देता है। वह जिस मकान का चाहे जिस प्रकार से फैसला दे दे। किरायेदारों को मकानों की दिक्कत है। इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया।

यह एक व्यावहारिक आवश्यकता है और इस पर विचार होना चाहिये तथा सरकार से प्रार्थना है कि इसमें कुछ जागरूकता दिखलाये। शहरों में रहने वाली जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी आप को ही करनी है और उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिय।

मुझको दो बातें और कहनी हैं। एक बात तो विश्वविद्यालय की बात है। उत्तराखण्ड का जो क्षेत्र है जिसके अन्दर ८ पहाड़ी जिले हैं उसमें से एक ही स्थान पर एक विश्वविद्यालय कायम होना है। आप उन स्थानों में से एक स्थान पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसा सरकार का निर्णय है। कुछ लोग ननीताल में विश्वविद्यालय को खोलन की मांग करत हैं। नैनीताल में पहले से ही एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय को देहरादून में खोला जाना चाहिए। देहरादून के नजदीक ४,५ गढ़वाल के जिले हैं जहां पर इन जिलों क बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये पढ़ने आते रहते हैं। देहरादून में बहुत से डिग्री कालेज हैं तथा वहां पर शिक्षा की अनेक प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं। वहां पर सड़कें ह, कम्यूनीकशन की सुविधा है, वहां पर का रेलवे स्टेशन है तथा इसी प्रकार की हर सुविधा वहां पर उपलब्ध है जो प्रचुर मात्रा में है। इनके कारण हम यह कह सकते हैं कि इस बात का निणय होना चाहिये कि विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में होनी चाहिये।

एक बात और है। यह निर्णय किया गया है कि हाईकोट की एक बन्च की स्थापना मेरो में होगी। मैं मेरठ में इसकी स्थापना के खिलाफ नहीं हूं परन्तु मै आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी गढ़वाल के व्यक्ति को हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए मेरठ भी उतनी ही दूर है जितनी दूर लखनऊ या इलाहाबाद। अगर देहरादून में हाईकोर्ट की बेन्च खोल दी जाय तो इन पहाड़ी जिले के नागरिकों को अधिक सुविधा प्राप्त हो जायगी। वहां पर इसक लिय बिल्डिग है, सभी प्रकार की सामग्री है और इससे सम्बन्धित सभी वस्तुओं की वहां पर आसानी है।

एक बात और है। आज बिजली के रट्स बढ़े हुये हैं जिसको आज प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। इसके बारे में बार-बार कहा भी जाता रहा है परन्तु सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। मध्यम वर्ग की जनता पर इसका बोझ पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि बिजली की दरों को घटाया जाना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय क अभिभाषण में इस किस्म का कोई भी जिक्र नहीं है। म तो यह कहूं कि जिस कागज पर यह भाषण लिखा है, उस कीमत का भी यह नहीं है। मैं समझता हूं कि इतनी जल्दी में यह अभिभाषण लिखा गया है कि सरकार इसमें अपनी नीतियों को स्पष्ट नहीं कर पाई है और न उनकी ओर उसका संकेत ही है। इसी कारण मैंने उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। माननीय गेंदासिंह जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझको समय दिया। जो इस समय चर्चा चल रही है, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय गेंदासिंह जी न इस विषय में जो कुछ कहा है उसी का समर्थन करूंगा। पहले दिन से जो इस पर चर्चा हुई उसमें बराबर विरोधी तरफ से यही बात कही जा रही है कि इसमें कुछ भी नहीं है और यहां तक कि इसमें सरकार की नीतियों का संकेत मात्र भी नहीं है और वह पूरा भी नहीं है। इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि अभी १०, १२ दिन ही हुये हैं जब कि यह नई सरकार आई है। ११ फरवरी को राज्यपाल जी का अभिभाषण कुछ और होने वाला था परन्तु समय गति ट रे न टरी उसके बाद ही इस नई सरकार ने कार्यभार सम्भाला। माननीय विरोधी दल के नेता महोदय से म पहले ही शब्दों में यह पूंछ लूं कि कोई ठोस सुझाव भी आपने किया या व्यक्तिगत चार्ज ही नेता सदन पर लगाते रहे? अच्छा होता कि जो बात अपने कही है उसमें कहते कि सरकार की यह बात सही है? सवा ६ एकड़ की तो इतनी वकालत की गयी है। इन्होंने प्रश्न उठाया सवा ६ एकड़ वाली बात का। तो मैं यह कह दूं कि क्या यह अपनी जगह पर सच नहीं है कि भूतपूर्व सरकार ने आबपाशी की दर, जो किसानों से वसूल होती है, उसको सवाया कर दिया। साथ ही साथ पलेवा पर भी यह अधिक

[श्री चन्द्रपाल आजाद]

बोझ पड़ा । पहले पलेवा का पैसा ही वसूल होता था । अब यह हालत है कि पलेवा का पैसा भी पूरी-पूरी आबपाशी में वसूल होता है । तो इस प्रकार कितना भार किसानों पर डाल दिया । एक तरफ तो हम कहते हैं कि किसान को राहत देंगे, सुविधायें देंगे और आराम पहुंचायेंगे और दूसरी तरफ आपने आबपाशी की दर सवाया कर दी । यह कितना घोर अन्याय है किसानों के साथ । आबपाशी की दर को बढ़ा कर सवाया करने से प्रत्येक किसान को बहुत अधिक धन देना पड़ रहा है । अब स्थिति यह है कि जहां पहले १२ रु० देने पड़ते थे वहां अब १५ रु० देने पड़ रहे हैं ।

दूसरी बात देहात और शहर की हमारे विरोधी भाई ने कही । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां उन्होंने एक ओर शहर व देहात की जो बातें उठायीं वहां शहरी सम्पत्ति की सीमा की बात को क्यों नहीं उठाया ? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी तरफ से शहरी सम्पत्ति के लिए उचित सुझाव दे । हम स्वागत करते हैं आपका जो भी आप सुझाव दें । हमारी और क्या कमी है, जब हमने यही कह दिया कि जो भी सुझाव आयेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे । आप हमें सुझाव दीजिए और कुछ करने के लिये मौका दीजिये । हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में, यदि हमें मौका दिया गया, तो हम बहुत कुछ कर दिखायेंगे । मैं यह नहीं कहता कि विरोध नहीं करना चाहिये । विरोधी पक्ष का होना बहुत जरूरी है, वर्ना जनतन्त्र कायम नहीं रह सकता है । हमारा विरोध पक्ष से विनम्र निवेदन है कि वह हमें रचनात्मक सुझाव दे ।

गवर्नर साहब के सम्बोधन पर चर्चा चलायी गयी और पूरब और पश्चिम का भी सवाल उठाया गया । यह व्यक्तिगत आरोप माननीय जायसवाल साहब ने नेता सदन पर लगाया । यह बड़े दुःख की बात है । इस प्रकार का आरोप बिल्कुल मिथ्या है और उसका लगाना अनुचित है । इस प्रकार के आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है और ऐसा करके चौधरी साहब के व्यक्तित्व पर कुठाराघाट करने की चेष्टा ही की गयी है । कौन सा ऐसा कदम इस सरकार ने उठाया है जिससे यह आभास मिलता है कि पूरब के साथ पक्षपात किया गया है और पश्चिम को अधिक सुविधायें दी गयी हैं ? गांधी जी तक का नाम लिया गया कि गांधी जी यह चाहते थे, वह चाहते थे । गांधी जी कब चाहते थे कि बड़े-बड़े आदमी ही पनपें, और बड़ी बड़ी मिलें ही लगायी जायें । हमारा यह ध्येय है कि छोटे उद्योग धन्धे पनपें और गरीब और छोटे लोगों को राहत मिले । हम किसानों को और छोटे वर्ग को अधिक से अधिक सुविधायें देंगे, आप हमें ऐसा करने का मौका तो दें। जैसा मैं कह चुका हूं कि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे और पिछड़े वर्ग को ऊपर उठायेंगे । हमारा लक्ष्य प्रदेश की गरीबी को मिटाना है---चाहे वह शहर की हो या देहात की । हमें शहर और देहात में कोई भेद भाव नहीं करना है । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रश्नों को और लोग अपने-अपने नजरिये से सोचते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सुझाव आपके माध्यम से, सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं ।

सीलिंग का सवाल आया और सब भाइयों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये । मैं यह समझता हूं कि लैण्ड की सीलिंग का होना बहुत जरूरी है । अगर वह आज नहीं होती है, तो कल होगी और अगर कल नहीं होती है तो परसों अवश्य होगी । यह नहीं होना चाहिये कि असमानता रहे । हमें असमानता को मिटाना है चाहे देहाती क्षेत्र हो और चाहे शहरी क्षेत्र हो । इसलिये हर हालत में शहरी सम्पत्ति व जमीन की सीलिंग होनी चाहिये । जमीन की सीलिंग को इस रूप में फिक्स कर दिया जाये कि अमुक जमीन किस किस्म की है । मेरी राय में जमीन की ४ किस्में होती हैं । इस प्रकार बांटने से सब को संतोष हो जायेगा ।

ग्राम के बाहर की जमीन और ग्राम की जमीन में कुछ फर्क है । जंगल की ३० एकड़ जमीन के बजाय ग्राम की २० एकड़ जमीन ही मिल जाय तो गांव वालों को ज्यादा राहत मिल सकती है । जो सर्किल लगान है उसके आधार पर जमीन की कीमत लगाकर अगर २० एकड़ की सीलिंग कर दी जाय तो उतनी ही कीमत की जमीन जंगल में मिल जायेगी जिससे जंगल

वाले किसान को राहत मिल जायेगी । आबपाशी जो किसानों के ऊपर बढ़ायी गयी है उसे तुरन्त समाप्त करना चाहिये । इससे किसानों का बहुत नुकसान है । एक पानी लेने पर भी पूरे पानी का पैसा देना पड़े, यह नहीं होना चाहिये । ग्रामीण जनता की सुविधा के लिये आबादी का नक्शा भी होना चाहिये । देहातों में अब नक्शे होते नहीं जिससे वहां आये दिन न मालूम कितने झगड़े व मुकदमे खड़े हो जाते हैं । तो सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि किसान, मजदूर व देहात के जो रहने वाले हैं उनमें अक्सर यह देखने में आता है कि राम ने कह दिया कि यह श्याम का मकान नहीं है मेरा है या यह चौपाल मेरी है, फलां की नही है । इसके लिये भी कोई सर्वेक्षण कराना चाहिये जिससे इस तरह की चीजें समाप्त हो जांय ।

मुझे यह भी पता लगा है कि कुछ सड़कों के निर्माण पर पुनर्विचार किया जायेगा । देहातों के विकास के लिये और शहरों से उनका सम्बन्ध जोड़ने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि सड़कों का निर्माण हो । अगर सड़कों का निर्माण नहीं होता है तो किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल नहीं मिल पाता । उसके द्वारा उत्पादित चीजें आसानी से मंडियों तक नहीं पहुंच पातीं जिससे किसानों को समय पर पैसा मिल सके । इसलिये हर वर्ग की दृष्टि से सड़कों के निर्माण की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये । किसानों के हित में और देहाती आदमियों के हित में भी यह बहुत जरूरी है ।

देहातों व शहरों के विकास के लिये यातायात के साधनों का होना भी बहुत जरूरी है । आज जो हमारी सड़कें हैं उन पर जो बसें चल रही हैं उनकी दशा बहुत ही खराब है जिससे देहात के लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है । सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये क्योंकि क्या देहात, क्या शहर सब के लिये यातायात की बड़ी असुविधा रहती है जिससे वे किसी स्थान पर समय पर नहीं पहुंच पाते । इसका कारण यह कि दो तीन बसें तो रास्ते में ही रह जाती है और बगैर धक्का लगाये तो कोई बस चलती ही नहीं । स्टार्ट ही नहीं होती है ।

इसके अतिरिक्त एक बात और कही गयी सवा ६ एकड़ के सम्बन्ध में । एक बार पहले भी यह बात कही गयी थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गयी तो संविद सरकार की तरह इस सरकार को हम नहीं चलने देंगे । नेता विरोधी दल ने यह बात कही । मैं कहता हूं कि अगर वे सवा ६ एकड़ के लिये कहते हैं कि उनकी बात नहीं मानी गयी तो वे इस सरकार को मिटा देंगे, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि इससे यह सरकार जाने वाली नहीं है । यह ताकत आज उस व्यक्ति के हाथ में है जो अपने कदमों पर आगे चलने की क्षमता रखता है । और वह है श्री चौधरी चरण सिंह । उन्होंने अपनी बात कही है और मैं जोर देता हूं कि उनकी सरकार को बिगाड़ने के लिये आप जो कुछ भी करना चाहें कर ले, वे इतनी क्षमता रखते हैं कि आप का भली प्रकार मुकाबिला कर सकें और जनहित को सामने रखते हुए जिस तरह से भी होगा वे सरकार को चलायेंगे ।

एक बात यह कही गयी है कि राज्यपाल ने अल्पमत की सरकार को अधिकार दे दिया । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, दावे के साथ कह सकता हूं कि यह मिथ्या प्रचार है । जब हाउस नहीं चल रहा होता तो यह कहा जाना मुश्किल था कि कौन अल्पमत में और कौन बहुमत में है । लेकिन अब हाउस चल रहा है हम आपका स्वागत करते हैं कि आप जोर आजमाई कर लें । शब्दों में उस चीज को कहने से कोई लाभ नहीं । अल्पमत और बहुमत का निर्णय यहीं हो सकता है । यदि हम अल्पमत में होंगे तो तुरन्त त्याग-पत्र दे देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव गेंदासिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मुझे राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर बड़ी निराशा हुई । मैं एक अध्यापक होने के नाते और पिछले बीस वर्ष से श्रमिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, यह कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण के अन्दर कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई चर्चा नहीं की गयी है ।

[श्री रामगोपाल संड]

राज्यपाल प्रदेश के अनेक अंचलों में ाते हैं। उद्धाटन करते हैं, स्नातकों को पदवी देते हैं और कहते हैं कि अध्यापकों की दशा दयनीय है, उनकी दशा में सुधार होना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना चाहिये। लेकिन मुझे दुख है कि उनके दो अभिभाषण हुए, गत वर्ष और इस वर्ष लेकिन शिक्षकों की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं कहा।

कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिश है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को १५० रु० और माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक को २०८ रु० मिलना चाहिये जो कि जीने योग्य वेतन है। लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। माननीय गेंदा सिंह जी यहां नहीं हैं, वे चले गये। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस संशोधन को स्वीकार करें कि प्राथमिक शिक्षकों को १५० रु० वेतन दिया जाय और सरकारी कोषागार से दिया जाय। अध्यापकों को "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धान्त मानते हुए सरकारी विद्यालयो में पढ़ाने वाले अध्यापकों के समान वेतन और भत्ता दिये जायंगे और सरकारी कोषागार से वेतन दिया जायगा ऐसा आश्वासन दिया गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि इसको मानने में क्या कठिनाई है। शिक्षा समिति में जब यह प्रश्न उठाया गया तो यह कहा गया कि अनेक ऐसे व्यवस्थापक हैं जो अपने अधिकारों को नहीं छोड़ना चाहते। आज केन्द्रीय सरकार सब प्रकार के अधिकार ले रही है और जहां उचित है वहां लेना भी चाहिये तो क्यों नहीं यह व्यवस्था कि शिक्षकों को सरकारी कोषागार से वेतन मिले, सरकार कर सकती है। इसमें जहां तक खर्च का सम्बन्ध है तो माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा उसके आंकड़े दिये गये हैं। जब हमने नैनी जेल में लाठियां खाईं और प्रयाग अस्पाताल में आप हमें देखने गये थे तो ऐसे आंकड़े दिये थे। दूसरी बात यह कि प्रयाग विश्वविद्यालय इस समय ऋण में है। मैं शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कोई विशेष अनुदान देकर उसे ऋण से मुक्त करेंगे क्योंकि प्रयाग विश्वविद्यालय का एक विशेष स्थान है, उसे एक विशेष गौरव प्राप्त है। प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों ने आजादी की लड़ाई में एक शानदार हिस्सा लिया है।

दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि श्री पशुपतिनाथ शुक्ल और तुषारकांति घोष तथा और बहुत से लोग जो अपने लिये नहीं लड़े थे, उनकी मांग थी समान काम के लिये समान वेतन और निम्नतम लिविंग वेज और भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने मेरे दल के कई विधायकों के समक्ष यह आश्वासन दिया था कि जल्दी ही उन्हें फिर से नौकरी में रख लिया जायगा लेकिन परसों प्रश्नोत्तर काल में मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि जल्दी ही निर्णय लिया जायगा इनके बारे में। हमें बड़ा हर्ष हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने अभी-अभी घोषणा की है कि १९६८ के स्ट्राइक में जिन केन्द्रीय कर्मचारियों ने भाग लिया था वह सब रख लिये जायेंगे। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, चरण सिंह जी या माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के गुट के साथी जो सचमुच इनसे हमदर्दी रखते हैं उनको इन लोगों को बहाल कराना चाहिये, बकाया वेतन दिलाना चाहिये और उन तमाम कर्मचारियों को जो अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल समान काम के लिये समान वेतन की मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा करायें। केन्द्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि लिविंग वेज २७० रुपये है। अगर किसी को उत्तर प्रदेश में जीवित रहना है तो उसे कम से कम २७० रुपये वेतन मिलना चाहिये यह भारत सरकार के श्रम आयोग की रिपोर्ट है। इसको कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई संकेत नहीं मिला। राज्य कर्मचारियों के लिये कमीशन बैठाया गया है उसमें अंतरिम राहत के लिये कोई बात नहीं कही गयी है। इसलिये संशोधन द्वारा राज्य कर्मचारियों, जिला परिषदों में काम करने वालों, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को समान काम के लिये समान वेतन की मांग को दृष्टि में रखते हुये अन्तरिम राहत देनी चाहिये क्योंकि गजेन्द्रगडकर कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि जब तक कमीशन की रिपोर्ट न आये तब तक अन्तरिम राहत दी जाया करे। मैं मांग करता हूं कि सभी कर्मचारियों को कम से कम ३० रुपये की अन्तरिम राहत जब तक कमीशन की रिपोर्ट न आये दी जाय।

आज मकानों की बड़ी भारी समस्या है। लखनऊ, कानपुर में दो-दो, तीन-तीन सौ रुपये दो-दो कमरों का किराया लिया जाता है जिसे साधारण आदमी दे नहीं सकता। इसलिये हम चाहते हैं कि निगम बनाया जाय जो केवल बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी हजारों की संख्या में क्वार्टर बनाये जो छोटे कर्मचारियों को हायर परचेज सिस्टम पर दिये जायं। ऐसी व्यवस्था महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि कई प्रदेशों में जारी है। तो मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय जिसमें यह मांग है कि बड़ी संख्या में मकान बनाये जायं।

एक बात और है। इस प्रदेश में बीमारों की भी बड़ी समस्या हो गई है कि चिकित्सालयों में उनको ठीक से दवा नहीं मिलती। कुछ दिन हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि जो दवा विदेशों से ५ रुपये में आती है वह यहां ६ गुनी, ८ गुनी कीमत पर बेची जाती है। मुझे बड़ा हर्ष हुआ स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर नहीं है, जब मैंने इलाहाबाद में पढ़ा कि उन्होंने कुछ अस्पतालों का मुआयना किया और वहां मरीजों की दुर्दशा को देखा। इलाहाबाद मेडिकल कालेज में ६ बड़े-बड़े वार्ड थे और जितने डाक्टर तब थे उतने ही डाक्टर आज भी हैं जब १२ वार्ड हो गये हैं और दवा भी उतनी ही दी जाती है जितनी पहले दी जाती थी। इलाहाबाद मेडिकल कालेज, मोतीलाल चिकित्सालय आदि से दवाएं चोरी हुईं और वह पकड़ी भी गयीं। इस संबंध में मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार कड़ा कदम उठाए और अस्पतालों से जो दवाओं की चोरी होती है उसको रोके। इसके अतिरिक्त आज यह बहुत आवश्यक है कि चिकित्सा प्रणाली जनता के लिये सस्ती हो और जहां पर डाक्टर नहीं है या अस्पतालों में उनकी संख्या कम है वहां पर और भी नियुक्तियां की जायं।

एक बात मुझे यह भी कहनी है कि हमारे यहां से अंग्रेज तो चले गये लेकिन अंग्रेजियत अभी तक नहीं गई। आज भी यहां जिलाधीशों के कार्यालयों में अंग्रेजी ही का बोलबाला है और वह चलाई जाती है, आज भी पब्लिक सर्विस कमीशन की छांव में अंग्रेजी चलती है। इस तुलसी और सूर के प्रदेश में, नेहरू और लोहिया के देश में गंगा और यमुना के देश में टंडन और मालवीय के देश में हिंदी की ऐसी अवहेलना और दुर्दशा हो यह बड़े दुख की बात है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस तरह के बड़े कदम उठाए और ऐसे आदेश दे कि जो लोग अपने रोज के कार्य में हिन्दी का प्रयोग नहीं करते और जो आज भी जबरदस्ती आदेशों का पालन नहीं करते उनको दण्ड दिया जाय और उनकी चरित्र पुस्तिका या कैरेक्टर रोल में एन्ट्री की जाय और उनको चेतावनी दी जाय कि जब तक वह हिन्दी का प्रयोग सरकारी कार्य में नहीं करेंगे उनको किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं दी जायेगी। जब तक हम हिन्दी भाषी प्रदेश वाले ही अपने यहां हिन्दी का अनिवार्य रूप से प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आशा कर सकते हैं कि तामिलनाडु, बंगाल या अन्य प्रदेशों के लोग हिन्दी का प्रयोग करेंगे? जब तक हम हिन्दी को नहीं अपनायेंगे अंग्रेजी हमसे छूट नहीं सकती। जब हम हिन्दी को अपने प्रदेश के ही प्रशासन में चालू नहीं कर सकते, बी० ए०, एम० ए० पास करने के बाद जब हमारे विद्यार्थी आई० ए० एस० और पी० सी० एस० की परीक्षाओं में बैठते हैं तो उनके लिये अंग्रेजी का पर्चा अनिवार्य रहता है। इस तरह से अंग्रेजी की मान्यता को समाप्त कर के हमें मातृ भाषा हिन्दी को उसका उचित स्थान देना चाहिये। इस प्रकार की भी कोई घोषणा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हमें देखने को नहीं मिली।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि हमारे प्रदेश में एक तबका कर्मचारियों का ऐसा है जिसको पंचायत मंत्री कहते हैं उसको केवल आज भी ५० रुपया मासिक वेतन मिलता है। इस विषय में बराबर उनका आन्दोलन चल रहा है। उनकी मांग है कि उनको कम से कम १२० रु० वेतन दिया जाय और उचित महंगाई भी मिलनी चाहिये। इसी तरह से जिला परिषदों के अध्यापकों की भी बड़ी ही दयनीय दशा है। मैं चाहता हूं कि उनकी समस्याओं के लिये एक ऐसी कमेटी या बोर्ड बनाया जाय जिसमें उच्च कोटि के शिक्षाविद् और अनुभवी अध्यापक रखें

[श्री रामगोपाल संड]

जायं जिनको शिक्षा के संचालन का अनुभव हो। वह देखें कि इन जिला परिषदों के अध्यापकों को कम से कम जीवित रहने लायक वेतन तो मिले। हमारे बहुत से अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है उनके बारे में योजना थी कि उनको लाभत्रयी स्कीम में पेंशन दी जायेगी, कहा गया था कि ३० सितम्बर, सन् ६४ के बाद रिटायर होने वालों को मिलेगी लेकिन उनमें से कुछ से मैं परिचित हूं, मैं उनके नाम भी लिये देता हूं जैसे श्री शिव कुमार जो कानपुर के हैं, और इलाहाबाद के हैं श्री बी०एन० कर आदि आदि। ऐसे कितने ही ख्याति प्राप्त शिक्षा विद् हैं जिनकी शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सेवाएं हैं लेकिन उनकी पेंशन की कोई योजना नहीं है। बलिया के एक शिक्षक हैं जो उनके संघ के महामंत्री भी हैं उन्होंने कहा कि लाभत्रयी योजना लागू की जाय और इन अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन दी जाय। यदि इस वेलफेयर स्टेट में आप शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं तो इस सरकार का यह कर्त्तव्य है कि शिक्षकों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय।

इस के उपरान्त अन्त में मैं एक बात और कह कर अपना स्थान लूंगा। वह यह कि यदि इस देश में हमें और आपको प्रजातंत्र को जिन्दा रखना है तो इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले चाहे वह भारतीय क्रांति दल के सदस्य हों या संस्था कांग्रेस वाले हों या रूलिंग कांग्रेस वाले हों सब को मिलकर प्रजातंत्र की मान्यताओं का पालन करना चाहिये। हमें बड़ा दुख है कि जिस तरह से प्रदेश में सरकार गठित की गई और इस चीज को बड़ी चर्चा है बुद्धिजीवियों में, अनेक बुद्धिजीवियों की संस्थाओं में प्रस्ताव हुए, लखनऊ और दिल्ली के अखबारों में आपने देखा होगा। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स आफ इंडिया ने जो कुछ लिखा वह कुछ अच्छा नहीं लगा। हम चौधरी साहब का बहुत आदर करते हैं वह हमारे मुख्य मंत्री हैं लेकिन जो कुछ अखबारों में उसके बारे में छपा वह कोई अच्छी चीज नहीं थी। अन्त में इन शब्दों के साथ जो भी संशोधन इस संबोधन में हमने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय और अध्यापकों, कर्मचारियों, पंचायत मंत्रियों, और चिकित्सा आदि की सुविधाओं के विषय में मैंने जो निवेदन किया है वह इन सबको मिलना चाहिये। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा महा महिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

राज्यपाल जी के संक्षिप्त अभिभाषण में ऐसा लगता है कि जिन रास्तों पर चल कर हम समाजवाद लाना चाहते हैं, उनकी कड़ियां इस अभिभाषण में दिखाई देती हैं। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण, ५ बीघे तक की लगान माफी, खाद के टैक्स का तुरन्त रद्द कर दिया जाना, जोत-बहियों की कीमत में कमी करना और विलम्ब, अपव्यय और भ्रष्टाचार को समाप्त करना आदि ऐसी बातें हैं, जो हमें समाजवाद लाने में सहायक है।

संयोग से हमें एक ऐसा मुख्य मंत्री मिला है जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन् सारे भारतवर्ष में अपनी ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा में प्रसिद्ध है। पिछले इतिहास को अगर आप देखें तो पायेंगे कि माननीय चरण सिंह को मुख्य मंत्री के पद के लिये क्या जनसंघ, क्या कांग्रेस और क्या सोशलिस्ट पार्टी, सभी की ओर से प्रस्ताव किया गया और अब तक उनको मुख्य मंत्री माना। उस समय तो माननीय चरण सिंह जी बड़े अच्छे आदमी थे परन्तु जब इस प्रस्ताव का अनुमोदन हमारी ओर से हुआ, तो गड़बड़ी हुई। यह तो निश्चित रूप से सही है कि माननीय चरण सिंह जी को दोनों पक्षों की ओर से, इधर से और उधर से पूर्ण विश्वास प्राप्त है। तो ऐसे मुख्य मंत्री के कार्यकाल में हमारी आशाएं फलीभूत न हों, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते हैं।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि पी० एस० पी० का समर्थन माननीय चरण सिंह जी को था या माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी को था ?

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

मुझे अखबारों द्वारा और अन्य घटनाओं द्वारा ऐसा मालूम हुआ था कि सब का समर्थन प्राप्त है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने किसी दल विशेष का नाम तो नहीं जोड़ा, इसलिये आप उनको अलग कर दीजिए।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

एक चीज जिसका समावेश माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होना आवश्यक था वह यह है कि खद्दर की पोशाक में, नेताओं के वेश में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है, उसको दूर करने का इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। मेरा यह भी विश्वास है कि चंबल की घाटियों में जितने डाकू हैं उससे कम यहां पर नहीं मिलते और अगर सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाय तो पता सगेगा कि उन्हें किसी न किसी हमारे जसे लोगों का संरक्षण प्राप्त रहता है। तो इस प्रकार का जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

इसके अतिरिक्त गांवों की जमीनों पर जिस प्रकार सीलिंग की गई है, उसी प्रकार से पूंजीपतियों की पूंजी पर भी सीलिंग होनी चाहिये। श्रीमन्, १०० बीघा खेती करने वाला खेतिहर घर में रहता है वह उतनी बड़ी इमारत नहीं बनवा सकता है जितनी कि १०० रु० की पूंजी से रोजगार करने वाला एक पूंजीपति बनवा लेता है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि मैं उस जिला सुल्तानपुर का रहने वाला हूं जो न पूर्व में गिना जाता है, न पश्चिम में ही गिना जाता है।

सुविधाओं का जब सवाल आता है तो एक तरफ पूर्व की लड़ाई होती है तो दूसरी तरफ पश्चिम की लड़ाई होती है और हम त्रिशंकु की तरह बीच में ही लटके रह जाते हैं। हमारे जिले पर हमारी ही सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, बहुत प्रहार किये हैं। हमारे यहां न तो अच्छे आफिसर्स ही रह पाते हैं और न वहां की जनता को कोई सुविधाएं ही प्रदान की जाती है, अपने जिले की समस्याओं के लिये मैंने कई बार माननीय गुप्ता जी को भी लिखा, अपनी पार्टी मीटिंग में भी कहा, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाद में हमें पार्टी में बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, यहां अनुशासन के कारण अपनी बात नहीं कह पाता था नतीजा यह हुआ कि सुल्तानपुर जिला ही नष्ट कर दिया गया। वहां के अध्यक्ष, जिला परिषद् की गलत बी०टी०सी० की लिस्ट पर दस्तखत न करने के कारण वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक का ट्रांसफर कर दिया गया। ५ बार वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक का तबादला किया गया। वहां के जिलाधीश का तार द्वारा इसलिए ट्रांसफर किया गया कि उसके खिलाफ यह मौखिक चार्ज लगाया गया कि उसने एम० पी० के इलेक्शन में श्री श्रीपति मिश्रा की मदद की है। एक जिलाधीश भला क्या मदद कर सकता है ? लेकिन चूंकि वह जिलाधीश उन आदमियों की चोरियों को खोलना चाहता था जो माननीय गुप्ता जी के निकट थे, इसलिए उस जिलाधीश को वहां से हटा दिया गया।

इस से भी अ र ज्यादा ताज्जुब माननीय सदस्यों को यह सुन कर होगा कि वहां के एस० पी० का तबादला इसलिए कर दिया गया कि उसने कसम खाई थी कि वह जिले भर में तहलका मचाने वाला बरसाती डाकू को एक महीने में ही गिरफ्तार कर लेगा। हमारे यहां पुलिस और डाकुओं के संघर्ष में एक पुलिस का आदमी मारा गया था उस पर वहां के एस० पी० ने यह कसम खाई थी कि वह उन डाकुओं को पकड़ेगा। उन एस० पी० का वायरलेस द्वारा ट्रांसफ कर दिया गया कानपुर में। पता चला कि बरसाती डाकू को पकड़ने का निश्चय ही उनका जुर्म है।

[श्री शिव कुमार]

पता नहीं उन डाकुओं को जिनसे संरक्षण मिलता था उनको तकलीफ हुई या क्या हुआ जिसके कारण यह ट्रांसफर किया गया। यही नहीं, वहां की कोआपरेटिव के ए० आर० को इस लिये ट्रांसफर कर दिया गया कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहता था जिन्होंने गलत तरीके से दूसरों के नाम से २०-२० हजार रुपया ले रखा था। श्रीमन्, मैं कांग्रेस की तरफ जब भी था जब वह रूलिंग पार्टी में थी, और अब भी हूं। बहैसियत एम० एल० ए० मैंने कई बार चिट्ठियां माननीय गुप्ता जी को लिखीं मगर मेरी किसी दरख्वास्त पर कोई जांच तक नहीं हुई। जिला परिषद् को तथा अन्य तमाम अनियमितताओं के बारे में कई बार लिखा मगर कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। आश्चर्य है कि एक मामूली व्यक्ति की दरख्वास्त की जांच की जाती है किन्तु विधायक की हैसियत से दी गई मेरी दरख्वास्त की जांच तक नहीं हुई।

श्रीमन्, हमारे यहां सदैव ही गुटबन्दी के आधार पर आफिसरों के तबादले किये गये हैं। जब यह हुआ तो मैंने माननीय गुप्ता जी से लिखित यह मांग की कि आप रेवेन्यू बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा इन मामलों की जांच करायें कि क्या ट्रांसफर्स गुटबाजी के आधार पर हो रहे हैं या नहीं? मैंने यहां तक कहा कि मेरी बात अगर सही साबित नहीं होगी तो मैं त्याग-पत्र तक देने के लिये तैयार हूं। इस हलफनामे के साथ मैंने माननीय गुप्ता जी को भी पत्र दिया। उसके बाद भी कोई जांच नहीं कराई गई।

एक बड़े आश्चर्य की बात है। अपने पड़ोसी जिले फैजाबाद के विधायकों के साथ एक सड़क अकबरपुर—वाया महरऊआ गोला से सिमरी तक बनाने के लिये मैंने, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल और श्री प्रियदर्शी जेतली, तीन आदमियों ने मिल कर दरख्वास्त दी। आश्चर्य की बात यह है कि वह सड़क १२ मील फैजाबाद में पड़ती है जिस में भाई भगवती प्रसाद और प्रियदर्शी जी का क्षेत्र पड़ता है, तो १२ मील की वह सड़क तो स्वीकृत हो गई, लेकिन हमारे यहां का ४ मील का टुकड़ा अस्वीकृत ही रह गया। सड़क बन जाने के बाद भी वह पूरी नहीं कही जा सकती है जब तक कि वह सेमरी तक न बनवा दी जाय। मेरे जिले के साथ यह व्यवहार इसलिये हुआ कि मैं टूटकर उनके दल में जाने की इच्छा नहीं रखता था, इसलिये वह टुकड़ा बचा रह गया। जब एक सड़क एक मण्डी से दूसरी मण्डी को मिलाती है, उसमें से २-४ मील का कोई टुकड़ा छोड़ दिया जाय तो उसके बनाने का मकसद ही क्या रह जाता है।

अब मैं नई सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनियमिततायें जो हुयीं हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जाय। इसके अलावा एक चीज उपाध्यक्ष महोदय और आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं कि हमारे जिले में एक साल से यह हालत है कि वहां न कोई खाना मांग रहा है न कपड़ा, न कोई नौकरी मांग रहा है, केवल सब के सब सुरक्षा मांग रहे हैं। इसलिये कि वहां आए दिन डकैतियां पड़ रही हैं। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब कि कोई न कोई डकैती न पड़ती हो। हमारे सुल्तानपुर जिले में इससे जनजीवन बहुत ही त्रस्त और असुरक्षित हो गया है। यह कोई नहीं कह सकता कि हम और हमारे बच्चे कब तक सुरक्षित रहेंगे। अभी तक इसके लिये पुलिस ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया है जैसा कि करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि चम्बल घाटी में भी इतनी डकैतियां नहीं होती होंगी जितनी कि पिछले वर्षों में हमारे यहां हुई हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के बगल में हरिजन निर्वाचन क्षेत्र है जहां से जगदीश जी विधायक हैं, वहां के एक गांव में डकैती पड़ी और जब वहां के आदमी डकैती की रिपोर्ट लिखाने दोस्तपुर थाने पर गये तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और यह कह कर टाल दिया गया कि पहले हम चलो डकैतों को पकड लें, फिर बाद में रिपोर्ट लिख लेंगे। १० दिन तक उसने इन्तजार किया और जब १० दिन तक भी रिपोर्ट न लिखी गई तो उसने कप्तान से कहा। इस पर वहां के दरोगा ने असामाजिक तत्वों और उन लोगों द्वारा जो उसके दलाल हैं उस व्यक्ति को जिसके यहां डाका पड़ा था धमकी दी कि तुम अपनी दरख्वास्त से इनकार कर दो, वरना तुम्हारी जान की खैरियत नहीं है। इस प्रकार का क्राइम,

अत्याचार और जुल्म वहां बढ़ रहा है, जिससे जन-जीवन असुरक्षित हो गया है। मैं आपके माध्यम से नई सरकार से निवेदन करूंगा कि वह डकैतों को रोकने की तरफ विशेष ध्यान दें।

इसके अलावा सुल्तानपुर जिले की जिला परिषद् उसके लिये एक रोग बन गई है। परिषद् से जिले का रोग और बढ़ गया है। जिला परिषद् के अध्यक्ष जो अभी-अभी अप्रैल में पीठासीन हुए हैं (लाल बत्ती होने पर) १० मिनट का समय और दे दें। उनके पीठासीन होने के एक महीने बाद ३०-३० अध्यापकों का जातिवाद और गुटबाजी के आधार पर दूर दूर ट्रांसफर कर दिया गया। ४५ अध्यापकों को सेवा मुक्त कर दिया गया जो कि संबंधित अधिकारियों की राय के विरुद्ध था। इस प्रकार वहां पर नया योग फैला है। इसलिये कि यद्यपि वह कांग्रेस कैन्डीडेट को हरा कर हुए थे, किन्तु फिर भी गुप्ता जी के कृपापात्र बन गये और इसीलिये तीन-तीन दरख्वास्तें उनके खिलाफ दीं लेकिन उन पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई। इसका एक बुरा नतीजा हमारे लिये यह जरूर हुआ कि हमारा एक लड़का जो अध्यापक था उसको भी सेवा मुक्त कर दिया गया। मैं तो १०० रुपये महीने से गया। तो मैं नई सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह हमारी पुरानी दरख्वास्तों की जांच करवाये।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के मामले में हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। सिंचाई के साधन वहां बहुत कम हैं। जिस क्षेत्र से मैं विधायक हूं, उस क्षेत्र में एक चौथाई जमीन भी सरकारी साधनों से सींची नहीं जा रही है। मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सुल्तानपुर के लिये विशेष सिंचाई की सुविधा, ट्यूबवेल दें और जो नहरें वहां हैं, उनको अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश करें।

अन्त में एक निवेदन और करना है। वास्तव में आज तक खेतिहर मजदूरों के लिये कोई व्यवस्था नहीं कर सके हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं। एक किसान का बेटा हूं। मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि आज भी मेरा हलवाहा चैत के महीने में गोबरहा, गोबर से अनाज निकाल कर ले जाता है। जब कि देश को आजाद हुए २० साल हो गये, उस समय अपना पेट भरने के लिये मनुष्य जानवर के मैले में से निकाल कर अनाज खाये यह लज्जा की बात है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि खेतिहर मजदूरों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये और गांवों में सभापतियों द्वारा जो जमीनों का अतिक्रमण करके गलत लोगों को बांटी गई हैं उन सब पट्टों को रद्द करके केवल भूमिहीन हरिजनों को दिलाई जाय ताकि लोगों की रोजी का सहारा हो। अन्त में मैं एक निवेदन, जैसा कि विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने कहा है, करना चाहता हूं कि पंचायत मंत्रियों से वाकई में ग्राम सेवक के बराबर काम लिया जाता है लेकिन पंचायत मंत्रियों की तनख्वाह ब्लाक के मेतहर से कम है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हो सके तो अध्यापकों और पंचायत मंत्रियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की जाय। खासकर पंचायत मंत्रियों को वही दर्जा दिया जाय जो ग्राम सेवक को दिया जाता है या फिर उनसे काम ही न लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह के धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री गेंदासिंह ने पेश किया है मैं उसके विरोध में और संशोधन के समर्थन में मुझे यह निवेदन करना है कि करीब-करीब जितने भी विधायक यहां पर आये हुए हैं चाहे वह मंत्री हों चाहे वह मंत्री न हों, जिस क्षेत्र से चुनकर आये हैं वहां पर ८० फीसदी जनता, तीन चौथाई से ज्यादा गरीब भूमिहीन, हरिजन, पिछड़े लोग हैं। कहने का मतलब यह है कि छोटे किसान, छोटे कर्मचारी, छोटे उद्योग वाले वहां पर बसते हैं इसमें दो रायें नहीं हैं। हम सब लोग जहां से चुनकर आये हैं चाहे किसी पार्टी के हों, वहां की ८० फीसदी जनता का मत ले कर आये हैं, उनके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। यहां पार्टीबन्दी के झगड़े में फंस कर ८० फीसदी जनता पर ध्यान नहीं दिया गया, ८० फीसदी जनता असंतुष्ट रहेगी।

श्री भाभी]

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मैंने बड़े गौर से सुना। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ८० फीसदी जनता का भला हो सके। इसमें ३, ४ बातें देखने में आईं। एक बात लगान माफी की भी है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह बात बड़े साफ दिमाग से होनी चाहिये। ६ १ ४ एकड़ तक अलाभकर जोतों के लिये जो अध्यादेश जारी हुआ था उससे किसी को यह नहीं समझना चाहिये कि उससे काश्तकार खुश नहीं थे। उससे तीन बटा चार किसान १ एकड़ से लेकर ६ १/४ एकड़ तक सभी खुश हुए थे। जो बड़े किसान थे वह उससे खुश नहीं थे। उन्होंने बेचारे गरीब किसानों को बहका कर यह बात कहलाई कि इस लगान से क्या फायदा है, जैसी कहावत है कि ऊख मांगने पर न दे भेली के लिये बुलावे। ऐसे बड़े किसान ही थे जो यह कहते थे लेकिन छोटे किसान सब खुश थे। बड़े किसान चौराहों पर, कचहरी में इस तरह का प्रोपेगण्डा करते थे कि क्या फायदा है। वे बेचारे गरीब किसान जो ६ १/४ एकड़ वाले थे वे अपने घर पर बैठकर खुश थे और कहते थे कि हमारी लगान माफी का अध्यादेश जारी हो गया है। एक बात आपको माननी चाहिये कि जितने भी यहां पर विधायक बैठे हुए हैं उन सब ने इसको माना है कि अलाभकर जोतों का लगान माफ होना चाहिये। जितने लोग विरोधी पक्ष के सरकार में हैं, उन्होंने भी माना है। हां, एक बात जरूर है कि जो लोग ६ १/४ एकड़ तक लगान माफी की बात करते थे जब से उन्होंने त्रिपाठी जी के साथ मिलकर सरका बना ली है, वह उसको नहीं चाहते हैं लेकिन जब गुप्ता जी से अलग हुए वह ६ १/४ एकड़ कीरलगान माफी की बात कहते थे। कहने का मतलब यह है कि चौधरी साहब पता नहीं किस कारण से त्रिपाठी जी के साथ हो जाने से इसके विरोध में हैं। क्या अब यह मामला गड़बड़ में तो नहीं हो जायगा? अब वह ६ १ ४ एकड़ की लगान माफी की बात को भूल जाते हैं यह बात साफ हो जायेगी। अखबारों को देखने से ऐसा मालूम होता है कि चौधरी साहब लगान माफी की बात को नहीं मानते हैं। पता नहीं अब त्रिपाठी जी का गुट क्या चाहता है लेकिन यह भी ज्यादा दिन तक छि नहीं सकता है :—

कब तक छिपी रहेंगी लौकियां पत्तों की आड़ में।
आखिर को उन्हें बिकना है सरे बाजार में।।

तो इस चीज का परदा खुल जायेगा कि उनकी भावना क्या है। मैं साफ बतला देना चाहता हूं कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि ६ १ ४ एकड़ लगान माफी से क्या फायदा होगा और दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकारी खजाना कम हो जायगा। अगर सरकारी खजाने के कम करने की बात कही जाती है तो इसका साफ मतलब है कि अलाभकर जोत की लगान माफी की बात नहीं कह सकते हैं। तो दूसरी जगह रुपया खर्च होगा जैसी कहावत है कि सीधे को भुलवाये सौ कोस दौड़ा के। यह कहा जाता है कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है तो मैं निवेदन करूंगा कि ६ १/४ एकड़ की लगान माफी का जो सवाल है इससे सस्ता कोई नुस्खा नहीं हो सकता है जिससे गरीब किसानों की भलाई की जा सके। बहुत ही सस्ता नुस्खा है, इससे छोटे किसानों का बहुत लाभ किया जा सकता है। कोई भी सरकार हो अगर वह इस कार्य को नहीं करती है तो इससे आसान और कोई नुस्खा नहीं हो सकता है। उधर के लोग कहते हैं कि हम पूर्वी जिलों के रहने वाले हैं जो बहुत गरीब क्षेत्र हैं, तो फिर वह लगान माफी के बारे में क्या सोचते हैं।

छोटा किसान यह कहता है, देहात के लोग कहते हैं कि यह माफी होनी चाहिये। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने भी कबूल किया है कि ६ १/४ एकड़ तक लगान माफी होनी चाहिये। वह त्रिपाठी जी के गुट से संबंध रखते हैं। चौधरी साहब के गुट के उदित नारायण जी शर्मा हैं जिन्होंने इस बात का समर्थन किया है और इस बात को तसलीम किया है कि ६ १/४ एकड़ तक अलाभकर जोतों को लगान माफी होना चाहिये। जब दोनों गुट के लोग प्रस्तावक और समर्थक महोदय तथा विरोधी दल के सारे लोग इस बात को मानते हैं कि अलाभकर जोत ६ १/४ एकड़ तक का लगान माफ होना चाहिये। अब पता नहीं बीच में क्या अड़ंगा है। अगर

वोटिंग कराई जाय तो ८० फीसदी लोग इस पक्ष में आयेंगे । हां, कोई एक व्यक्ति जो डिक्टेटरशिप चलाना चाहता हो, प्रजातंत्र का हनन् करना चाहता हो उस व्यक्ति के दिमाग में यह बात न आती हो लेकिन यह ज्यादा दिन तक चलने वाली बात नहीं है ।

मैं चौधरी साहब से साफ कह देना चाहता हूं कि उनके दल की तादाद ९६ है । अगर वे नेकनीयती से काम नहीं करेंगे तो उनकी सरकार चल नहीं सकती । कार्यक्रम के आधार पर ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने जहां चौधरी चरण सिंह का समर्थन किया था वहां गुप्ता जी का समर्थन भी उसी आधार पर किया है । अगर चौधरी साहब को यह बात महसूस होती हो कि अगर सवा ६ एकड़ की जोत पर का लगान माफ कर दिया जाता है तो सारी प्रशंसा का श्रेय संसोपा को मिलेगा, तो वह बजाय सवा ६ एकड़ के पौने सात एकड़ कर दें ताकि श्रेय उनको मिल जाय । जनता के बीच में साढ़े १२ एकड़ की बात कही जाती है और सदन में राज्यपाल के अभिभाषण में तीन सही एक बटा आठ एकड़ की बात । यहां पर बात कुछ कही जाय और पब्लिक के बीच बात कुछ कही जाय तो बात बिल्कुल साफ होनी चाहिये ।

इस सिलसिले में, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि अधिकतम जोत सीमा विधेयक की बड़ी चर्चा चली । कोई भी बात कही जाय उसका साफ-साफ मतलब होना चाहिये, उसके दो अर्थ नहीं होने चाहिये । साढ़े १२ एकड़ तक की जोत वालों के लिये यह मुमानियत है कि वह एक भी कड़ी जमीन का बैनामा नहीं ले सकता । तो सीमा साढ़े १२ एकड़ पर बंधनी चाहिये । अब तीस एकड़ की जो बात है इस में भी एक मसला और उठेगा । इस में रखा है पिता, स्त्री, पुत्र और नाबालिग बच्चे । बालिग बच्चे निकल गये हैं । इस में झगड़ा होगा और मैजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी । तीस एकड़ जमीन बहुत ज्यादा है और उस में पूरा परिवार सम्मिलित होना चाहिये चाहे बालिग बच्चे हों अथवा नाबालिग । कानून साफ होना चाहिये।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है । सारी मिलों का ही चाहे वे किसी भी तरह की हो, समाजीकरण होना चाहिये । यह कौन-सी बात है कि थोड़ी-सी बात कर के बहुत बड़ी प्रतिष्ठा ली जाय । हम कहते हैं कि आप इस नाटक को बन्द कीजिये । जमींदारी के मुआवजे का नाटक हम खूब देख चुके हैं । हम कहते हैं कि लोगों ने बड़ा मुनाफा कमाया है । अब किसी को मुआवजा दिये बिना राष्ट्रीयकरण करें ।

एक बात और कहना चाहता हूं । यह जो स्वच्छ और कुशल प्रशासन की बात कही जाती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस सरकार का गठन ईमानदारी से नहीं होगा वह सरकार कभी भी प्रदेश को स्वच्छ और कुशल प्रशासन नहीं दे सकती है । आज यह क्या नाटक हो रहा है । रुपये और पैसे के दबाव से लोगों को बुलाया जाता है । जो गरीब और कमजोर विधायक हैं उनको तरह-तरह के प्रलोभन देकर तोड़ा जाता है सरकार बनाने के लिये तो भ्रष्टाचार यहीं पैदा हो गया । जब इसकी पैदाइश ही खराब है तो इसके काम हमेशा खराब ही रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि उन गरीबों की समस्या का हल होना चाहिये जिनकी ओर से हम सब लोग यहां आए हैं । अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहां कुशल प्रशासन हो तो हम सब लोगों को एक साथ बैठ कर सोचना पड़ेगा । इसके साथ ही साथ ईमानदारी के साथ काम करना होगा । जिनकी वोटों से चुन कर हम यहां आए हैं उनका भी हमें खयाल रखना होगा । चाहे सरकारी पक्ष में कोई हो, चाहे विरोधी पक्ष में हो, सबको गरीब जनता का खयाल रखना होगा । आज कोई भी नहीं चाहता है कि मध्यावधि चुनाव हों । जिनके पास ज्यादा पैसा है उनका प्रश्न नहीं है लेकिन हम जैसे गरीब विधायकों के लिये परेशानी है । लेकिन ईमानदारी की लड़ाई के लिये भले ही मध्यावधि चुनाव हो जायं, आज गरीबों के लिये कोई योजना और कार्यक्रम होना चाहिये । सवा छः एकड़ की बात मान लेना चाहिये । आप जो तीन सही एक बटा आठ एकड़ की बात कह रहे हैं तो मैं कहता हूं कि एक ही दफा में क्यों नहीं सवा छः एकड़ की बात मान लेते ? एक ही दफा में यह मसला हल हो जाना चाहिये । संविद सरकार के समय में पूर्वी जिलों में १२.७३ पैसे प्रति क्विन्टल और पश्चिमी

[श्री भाभी]

जिलों में १७, १८ रुपये प्रति क्विन्टल गन्ना बिका। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और प्रस्ताव का सख्त विरोध करता हूं और आप से भी इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस संशोधन को मान लीजए। (जय हिन्द)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसे मौके पर जब कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है, कोई भी केबिनेट स्तर का मंत्री उपस्थित नहीं है। इसलिये आप इसके संबंध में अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

हां, रहना चाहिये।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आज गेंदासिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और खासतौर से गवर्नर साहब के भाषण के अन्दर जो लैंड सीलिंग के बारे में बात कही गयी है, जो प्रावीजन रखा गया है, उसके बारे में मैं उनको, चौधरी साहब को और कैबिनेट के तमाम मेम्बरों को, जिन्होंने बहुत दिनों के बाद, जिसके बारे में इस प्रदेश की करोड़ों भूखी और लैंडलेस जनता इन्तजार कर रही थी, इस मसले को लागू करने के लिये यहां पर लाया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सोशलिस्टिक कदम केवल लैंड के बारे में ही नहीं होना चाहिये बल्कि इसके साथ ही साथ अपने मंत्रि-मण्डल से यह भी कहना चाहता हूं कि वह अरबन प्रापर्टी की सीलिंग के बारे में करोड़ों आदमी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बारे में जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेना चाहिये। हम सब मेंबरों को इसके बारे में फैसला करना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से हम बहुत से प्रस्तावों का समर्थन करते चले आये हैं और बहुत से प्रस्ताव इस हाउस ने पास किये हैं लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में खामियां रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस कानून का भी वही हश्र न हो जो ग्राम समाज की जमीनों का चकबन्दी के बाद हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए राज्य मंत्रि-मण्डल से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस संबंध में फैसला लेने में उन्हें किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट फारवर्ड वे में होना चाहिये नहीं तो इससे जो सारी आशाएं हैं वे सब धूमिल हो जायेंगी।

मान्यवर, दूसरी बात इस अभिभाषण के अन्दर किसानों को राहत देने के बारे में कही गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मंत्रि-मण्डल का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हम पिछले २० सालों में उनको सुविधाएं देने का एलान करते रहे हैं लेकिन हमने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा कि उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है। कभी हमारे वे आश्वासन पूरे भी होते हैं या नहीं, इसको हमने कभी नहीं देखा। बिजली के बारे में किसानों को सहूलियत देने का बहुत ढिंढोरा पीटा गया लेकिन किसानों को उनमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। मुझे निराशा होती है कि नीचे के लोग जो उसके अनुसार पालिसी बनाते हैं उसमें काश्तकारों को बड़ी कठिनाई होती है। सरकार के द्वारा एक डिपाजिट स्कीम बनाई गई थी। यह बिजली के नये कनेक्शनों के बारे में संविद सरकार ने बनाई थी। लेकिन उससे उन्हीं लोगों को लाभ पहुंच पाया जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनें और पैसा था, लेकिन छोटे-छोटे काश्तकारों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ। छोटे-छोटे काश्तकारों का नम्बर ३००–४०० तक पहुंच गया है। अब डिपाजिट स्कीम के बजाय एक कामर्शियल स्कीम बनाई गई है जिसमें ५०० रु० जमा कराया जाता है। भला बताइए गरीब किसान उसको कहां से लाए इस प्रकार से रिश्वत देने के लिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए अगर हम चाहते हैं कि काश्तकारों को कुछ सुविधाएं मिलें तो हमें यह देखना होगा कि काश्तकारों को किस प्रकार से कष्ट होता है। उन बातों का निराकरण होना चाहिये। अगर उन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो काश्तकार की हालत सुधर नहीं सकती। इसके अलावा निम्नता की गारंटी भी रखी गई है कि हर एक काश्तकार को १,२०० रु० की बिजली अवश्य खर्च करनी होगी। लेकिन अगर किसी ने दस हार्स पावर का इंजिन लगा लिया है और वह ज्यादा बिजली खर्च नहीं कर पाया और वह सोचता है कि उसको कम कर दिया जाय तो आपके आफिसर लोग उन लोगों को तंग करते हैं और कहते हैं कि नहीं १० हार्स पावर को आपको मेनटेन करना ही होगा। १० हार्स पावर का कनेक्शन अगर कोई मेनटेन न कर सके तो कानून के अन्दर इस तरह की तरमीम होनी चाहिये कि उसमें कमी कर दी जाय।

गन्ने के संबंध में यहां बहुत कुछ कहा गया लेकिन किस तरह से इसमें किसानों की लुटाई होती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हमारे डेलीगेट्स भी मिल मालिकों से अक्सर मिल जाते हैं और एक साल में ५०, ५० और ६०, ६० हजार रुपये की आमदनी कर लेते हैं। सरकार इसको बन्द करने के लिये कुछ नहीं कर रही है। गन्ने की तुलाई ठीक कराने के लिये सेन्टर्स पर आटोमेटिक कांटों का आदेश करने की आवश्यकता है। मैं श्री गेंदा सिंह जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह काश्तकार के लिये अभिशाप है। जो सोसाइटीज गन्ने से संबंधी रखती हैं वे भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर इसमें कुछ तब्दीली नहीं की जाती है तो जनता को ही इस संबंध में कोई रेडिकल फैसला लेना पड़ेगा। किसान को कोआपरेटिव सोसाइटी और मण्डी से छुटकारा दिलाने की आवश्यकता है तभी उसकी तरक्की हो सकती है। इन पुराने हथियारों से अब उसकी तरक्की नहीं हो सकती है।

मान्यवर, यहां पर जो भी बात करता है वह पूर्व और पश्चिम की बात करता है। मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि इस पूर्व और पश्चिम की बात करके प्रदेश का कितना आप अहित कर रहे हैं इसका अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। आज पश्चिमी प्रदेश में सैंकड़ों एग्रीकल्चर कालेज हैं लेकिन वहां कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं दी गई है। जब आप हमसे एग्रीकल्चर में तरक्की के लिये कहते हैं तो बगैर रिसर्च के वह कैसे हो सकती है। मैं बता देना चाहता हूं कि पूर्व में ४ मेडिकल कालेज हैं। अब की बार आपने एक कालेज मेरठ को दिया है। वहां पर आपने यूनीवर्सिटी ऐसी दी है कि वहां के विद्यार्थियों को कोई मान्यता नहीं देता है। अगर यही दशा रही तो जैसा कि पंजाब में हुआ और हरियाना बन गया वह बातें यहां भी प्रारंभ हो सकती हैं। तो हमारी जो जायज मांगें हैं वह पूरी होनी चाहिये। आप पब्लिक सर्विस कमीशन की एक ब्रांच मेरठ में नहीं बना सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों को इम्तहान देने के लिये इलाहाबाद जाना पड़ता है। इसी तरह से हाई कोर्ट की एक ब्रांच मेरठ में खोलने की मांग है। मेरठ से इलाहाबाद में मुकदमे के लिये जाना पड़ता है। बहुत से मुकदमें तो अदम पैरवी में ही खारिज हो जाते हैं। जब वकील करने जाते हैं तो वह हम से ५०० रुपये मांगता है जबकि मिर्जापुर वालों का काम ५० रुपये में कर देता है। हमारी यह मांग उचित है और इसके लिये आपको सोचना चाहिए। हमारी सरकार को जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना चाहिये।

पश्चिम में यमुना कैनाल है। यह १८७४ की बनी हुई है लेकिन आजतक इसकी सफाई नहीं की गई है। १९४५ में इसको साफ करने के लिये १२ करोड़ का एस्टीमेट था लेकिन वह आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। पंजाब ने जिसको अब हरियाना कहते हैं अपने इलाके में कैनाल को साफ करवा लिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सारा पानी उन्हीं को मिल रहा है। तो अगर आप इसको एक बार में साफ नहीं करा सकते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके इसको पूरा कर सकते हैं। इसके कारण काश्तकारों को बड़ी परेशानी है।

मैं आपके माध्यम के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो हालत है हमारी नौकरशाही का कि हमारे मंत्रि-मण्डल के सदस्य भी खड़े हो जाते हैं और उनको भी पता नहीं

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

कि ये लोग क्या करते हैं। वह लोग हमारी तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही पसन्द नहीं करते। यहां के जो आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी हैं और वे जिस प्रकार से हैंडिल करते हैं यह अब किसी से छिपा नहीं है। हम एम० एल० सी० तथा एम० एल० ए० लोग जब उनके इन्टरव्यू के लिए जाते हैं तब वे हम लोगों के साथ इन्टरव्यू तक करना पसन्द नहीं करते हैं। मुझको इसका अनुभव है। हम लोग उनसे मिलने के लिए दो-दो या तीन-तीन मर्तबा जाते हैं पर वे टालमटोल कर देते हैं। मान्यवर, यहां के जो इर्रीगेशन सेक्रेटरी महोदय हैं, मैं उनके पास कुछ आवश्यक बातें कहने के लिये, जिस समय मैं उनके यहां गया उस समय उनके मिलने की तख्ती में समय दिया हुआ था, परन्तु इसके बावजूद भी मैं उनसे नहीं मिल सका। घन्टों बैठना पड़ता है जब कि उनके साथ मिलने का समय होता है परन्तु वे यह कहला देते हैं कि उनकी मीटिंग हो रही है या उनको मिलने का समय नहीं है। वह नहीं चाहते कि हम एम० एल० एज० लोग उनके पास जाकर किसी प्रकार का रोना उनके सामने रो सकें। मैं अपनी सरकार और मंत्रि-मण्डल के सदस्यों से यह बता देना चाहता हूं कि यदि हमको, जोकि जनता के प्रतिनिधि होकर यहां आए हैं, ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई या उसको देने की चेष्टा नहीं की गई तो यहां के हालात बदल जायेंगे। हमारे और हमारे साथियों के साथ जो इनका ब्यूरोक्रेसी का व्यवहार है उसको बदलना ही होगा।

मैं बता दूं उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार की तवज्जह खासतौर से उन आदमियों की तरफ दिलवाई जानी चाहिये जो हंगर स्ट्राइक करने के लिये तैयार हैं। मेरी मंशा उन शिक्षकों तथा पंचायत सेक्रेटरीज की तरफ है। इन लोगों को ७५ रु० मासिक वेतन मिलता है जो अपना गुजर-बसर नहीं कर पाते हैं। चार महीनों की हड़ताल के बाद वे मजबूर हो गये कि इस पर पुनर्विचार करें। क्या उनकी तरफ सरकार की तवज्जह जायेगी जो जानी ही चाहिये। यदि उनकी बातों की तरफ तुरन्त ही ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी ही विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इन हालात के साथ एक चीज और है जिसमें मैं मंत्रि-मण्डल का ध्यान उस तरफ आकर्षित करवाना चाहता हूं। १७ वर्ष पूर्व हमारे जिले में चकबन्दी शुरू हुई थी। जो भ्रष्टाचार उस समय हुआ था और जिस पर सदस्यों के उद्गार आपने सन् ५७ वाली असेम्बली में सुने थे। उसके कारण हमारी स्थिति खराब हो गई, हमारे कचूमर निकल गये और हम लुट गये।

काश्तकारों की यह सबसे बड़ी समस्या है। जो लोग उस समय आंसुओं से रोये थे उन आसुओं को आज तक लोग नहीं समझ सके हैं। आज तक उन काश्तकारों के साथ न्याय नहीं हो पाया है। उनके पास न तो पानी की सुविधा है और न गूलों के लिये ही कोई लेजिस्लेशन बनाया गया। आज भी स्थिति वैसी ही बनी है। जिसका जी चाहता है वह पानी बन्द कर देता है और मनमानी करता है। दुर्बल का कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उस चकबन्दी को फिर से देखा जाय। जिला मुजफ्फरनगर के अन्दर तथा उन जिलों के अन्दर जहां पर उस समय चकबन्दी चली थी, वहां की स्थिति अब भी दयनीय है जिसको देखा जाना चाहिये और इसके लिये कोई लेजिस्लेशन जरूर आना चाहिये। उनकी गूलों के लिये चकों से रास्ता मिल जाना चाहिये। इस उम्मीद के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि वे कमियां जो रह गई हैं उनको अवश्य ही पूरा किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर मुझको बोलने का मौका दिया गया। मान्यव , मैं आपके द्वारा जो अल्पमत जातियां हैं, इस भाषण में, उनका गड़बड़घुटाला किया गया है उसको मैं बताना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, गवर्नर के अभिभाषण में इस प्रदेश में बचे हुए मुसलमानों और उर्दू भाषा के संबंध में कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं उर्दू की पढ़ाई और उर्दू के स्कूलों के संबंध में भी कोई संकेत नहीं किया गया है। क्या पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के लिये कोई भी योजना नहीं होनी चाहिये थी ? इलेक्शन्स के समय तो इन जातियों को जबरदस्ती वोट डलवाने के लिये दबोचा ही जाता है अब तो कागज पर भी इन्हें दबोचा जा रहा है। क्योंकि गवर्नर के अभिभाषण में हरिजनों के उत्थान के लिये कोई योजना का जिक्र नहीं है, क्या यह सच नहीं है कि उनका और गला घोटा जायेगा ?

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गयीं)

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं ५४ जिलों में जो अधिकारी पोस्ट किये गये हैं उनके विषय में कहना चाहता हूं। हरिजनों के लिये १८ प्रतिशत जगह सुरक्षित रखी गयी थीं। इन आजादी के २२ सालों में क्या इस प्रतिशत को पूरा किया गया और अगर पूरा नहीं किया गया तो इसका क्या कारण है ? हुआ क्या, इन ५४ जिलों में केवल ४ हरिजन अधिकारी हैं, जबकि १८ प्रतिशत होने चाहिये थे। गवर्नर के अभिभाषण में हरिजनों को १८ प्रतिशत नौकरियां देने के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। इस प्रकार हरिजनों का गला घोटा जा रहा है। जिस प्रकार से एम०एल०एज० और एम० पीज० चुन कर आते हैं और उनके स्थान सुरक्षित होते हैं, उसी प्रकार सरकारी नौकरियां भी मिलनी चाहियें। यह कागज पर गला घोटना ही नहीं वरन् एक प्रकार की चोरी है। हम लोगों ने हरिजन जाति में जन्म लिया है। हमारा अपनी जाति के प्रति कर्त्तव्य है कि हम उसका उद्धार करें। जिस तरीके से देश और प्रदेश में कार्य हो रहा है उससे कल्याण नहीं होगा।

भाइयों, मैं आपको कुछ और बातें सुनाना चाहता हूं। अब मैं अपने प्राइमरी अध्यापकों की ओर ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। वहीं से पढ़कर सब लोग आगे बढ़ते हैं। उसी पढ़ाई की बदौलत हम आज इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उन प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनको ६-६ महीनों में वेतन मिलता है। आप अनुमान लगायें कि वे बेचारे अपने बाल-बच्चों का कैसे गुजारा करते होंगे। कुठारी आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। उन सिफारिशों के आधार पर उनका वेतन कम से कम १५० रु० होना चाहिये था। इस चीज का प्राविधान न तो गवर्नर के अभिभाषण में है और न बजट ही में। इस कारण मैं इसका विरोध कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपक सामने पंचायत मंत्रियों की बात भी लाना चाहता हूं। वे बेचारे पिछले २० सालों से आपकी सेवा करते चले आ रहे हैं। उनकी नौकरी सरकारी होनी चाहिये।

जिस प्रकार से हम विधान सभा में एम० एल० ए० चुन कर आते हैं उसी प्रकार से अनिवार्य होना चाहिये ग्राम पंचायतों के प्रधानों के लिये भी, क्योंकि ग्राम पंचायतें हमारी इकाई हैं। मैंने यह बात १९६७ में भी कही थी और बाद में भी कही। प्रधानों और सरपंचों के लिये अनिवार्य लाइसेंस होना चाहिये। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही जिला परिषदों में चुनकर लोग आते हैं और फिर यहां विधान सभा में एम० एल० ए० चुन कर आते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता वहीं से प्रारंभ होता है।

(इस समय ३ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान आयुर्वेदिक कालेजों की ओर दिलाना चाहता हूं। आयुर्वेदिक कालेजों को भी समान सुविधाएं दी जाएं और सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस ओर शीघ्र ध्यान दें। आयुर्वेदिक कालेजों की अपनी कुछ मांगें हैं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार किये जाते हैं और इस गवर्नर अभिभाषण में उनकी इस दुर्दशा की ओर कोई इशारा नहीं है। मान्यवर, आखिरी बात एक और कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के रहने वालों का ईमान अगर ठिकाने से न रहे, इस प्रदेश के कानून बनाने वालों का इमान अगर ठिकाने से न रहे तो इस

[श्री मुंशी लाल चमार]

प्रदेश का कल्याण व उत्थान संभव नहीं हो सकता। हमा देश का बटवारा हुआ और ईस देश की बहुत सी माताओं के लाल खतम हो गये, जहां की तमाम बहू-बेटियां खतम हो गयीं और हम देखते रहे। चीन और पाकिस्तान की जहां तक बातें हैं, १० हजार की बटालियन हो और उससे उसे १० हजार रुपये मिल जायं तो दिल्ली की राजधानी दो मिनट में दूसरे की हो सकती है। इसी कायदे से मैं इस प्रदेश के कानून बनाने वाले विधायकों को यह सूचना देना चाहता हूं कि जहां कानून बनाने वालों का ईमान ठिकाने नहीं रहता तो मैं समझता हूं कि उस देश और प्रदेश की कभी उन्नति नहीं हो सकती। मैं करीब ९० दिनों तक बीमार था इसलिए अब मैं आगे बोल नहीं सकता।

(श्री हबीबुर्रहमान के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

अभी दो मिनट आप और बोल लें, फिर आधे घन्टे के बाद इस पर चर्चा जारी रहेगी।

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मोहतरम स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आपकी निगाह मेरी तरफ उठी और आपने मुझे मौका दिया चाहे वह दो मिनट का ही है फिलहाल। तो मैं कह रहा था कि माननीय गेंदा सिंह ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सही बात यह है कि वैसे तो गवर्नर महोदय का यह अभिभाषण बहुत ही मुख्तसिर है लेकिन अगर देखा जाय तो यह मुख्तसिर होते हुए भी इसमें ऐसी बहुत-सी सारी बातें हैं जो हमारे प्रदेश को नई दिशा दे रही हैं। खासतौर से ऐसे वक्त में जब कि नई गवर्नमेंट को अपने हाथ में शासन लिये हुए अभी हफ्ता ही गुजरा था, इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाने की तरफ इशारा किया गया है या उनकी चर्चा की गई है जिससे ऐसा महसूस होता है कि इस प्रदेश में एक नये इनक्लाब की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो हमारे दोस्तों ने इस सिलसिले में बहुत सारी बातें कहीं हैं लेकिन जिन लोगों ने इस पर संशोधन रखे हैं उन्होंने सवा छः एकड़ की चर्चा की है। मैं खुद किसानों के बीच में रहा हूं और मेरी राजनीतिक शुरूआत ही किसानों और गरीबों के बीच में हुई है। मैं इस बात को जानता हूं, जिस जमाने में यह सवा ६ एकड़ लगान माफी की बात कही जाती रही थी वह १९३६–३७ का जमाना था लेकिन आज का जमाना तो ऐसा है कि जो हमारे विधायक हैं और खेती से संबंध रखते हैं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तो उनका लगान है और वह इतना है कि खेत कि कटाई के बाद अगर वे बिनिया कर लें तो उससे उसका पूरा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी इस बात की है कि बहरहाल इसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश की गई है। सवा ६ एकड़ न सही लेकिन ५ बीघे की लगान माफी की गई है और जब ५ बीघे की लगान माफी की गई है तो उसका दायरा बहुत वसीह करके साढ़े १२ एकड़ तक के काश्तकारों को यह आसानी दी गई है।

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड व राज्य भूमि व जल संरक्षण बोर्ड के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं दो सूचनाएं दे दूं।

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों तथा राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिये ४ सदस्यों का निर्वाचन होना है जिसके लिये यह कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है—

नाम निर्देशन प्राप्त करने की तिथि तथा समय—४ मार्च को एक बजे तक,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—४ मार्च, १९७० को सायंकाल ३ बजे तक, सचिव, विधान सभा के कमरे में ।

नामों की वापसी—९ मार्च, १९७० को ३ बजे तक,

मतदान यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में १३ मार्च, १९७० को ११ बजे से ३ बजे तक होगा ।

उपर्युक्त निर्वाचन आनुपातिक एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।

फैजाबाद जिले के थाना महराजगंज के दरोगा के घर से दो लड़कियों की बरामदगी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

जहां तक नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं हैं उनमें श्री रामधारी शास्त्री की सूचना यह है कि फैजाबाद जिले के थाना जहांगीरगंज के दरोगा के घर से दो लड़कियां बरामद हुई । इसको नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है । इस पर मुख्य मंत्री जी ९ मार्च, १९७० को वक्तव्य देंगे ।

उपल वृष्टि के सम्बन्ध मे नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा ने उपल वृष्टि के बारे में दी थी । उसके ऊपर वक्तव्य शायद ३ तारीख को है । उसी में इलाहाबाद की उपल वृष्टि की सूचना मेरे पास आई है । वह भी उसी में शामिल हो जायेगी । उपल वृष्टि की और भी जो सूचनाएं हों वे मेरे पास भेज दें । मैं उन्हें संबंधित मंत्री के पास भेज दूंगा ।

देवरिया जिले के ग्राम मोहंग की हवालात में श्रीमती सितबिया की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री रामधारी जी से प्राप्त नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना थी कि देवरिया जिले की हवालात के अन्दर एक औरत की मृत्यु हो गई । इस औरत के पति को गिरफ्तार करना था । जब पति नहीं मिला तो औरत को पकड़ लिया । जिस तारीख को गिरफ्तार किया उसको हवालात में रखा और दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई । इसको मैंने नियम ५१ में स्वीकार कर लिया है ।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

झुलसे की बीमारी और गल्ले की कीमतें बढ़ने की बात थी । आपने कहा था कि स्टेटमेंट दिलवायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी से पूछकर कोई तारीख रखूंगा ।

एक सदस्य—

आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल चल रही है और महीना भर हो गया । उसके संबंध में आपके कमरे में निवेदन किया था ।

श्री अध्यक्ष—

वह स्वीकार कर लिया है लेकिन मंत्री जी से तारीख जाननी चाही है। तारीख आ जायेगी तो बतला दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इसी सेशन में हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

१३ तारीख तक कर सकते हैं। बहुत हुआ तो एक असरकारी दिन और मिल जायेगा।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

बस्ती जिलाधीश के बारे में था। आपने मुझे बुलाया था और कहा था कि चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आपका गोल आरोप है। नुमाइश में कुछ लोगों को जगह दे दी है उसके बारे में है। लेकिन स्पष्ट आरोप नहीं है। मुझसे कमरे में बात कर लें।

अवधेश जी का ५ मार्च को स्वीकार किया है।

उनका यह है कि सीतापुर जिले में एक तहसील के तहसीलदार ने एक मुकदमे में एक ही दिन दो जजमेंट दिये और उनका कहना यह है कि ये जजमेंट्स डी० एम० के पास मौजूद हैं। पहले एक तरह से जजमेंट दिया और फिर कुछ भ्रष्टाचार हुआ तो उसको बदल दिया। इसको मैंने स्वीकार कर लिया है क्योंकि इसके ऊपर कोई वक्तव्य वह देंगे।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

कब वक्तव्य देंगे यह तो श्रीमन्, बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

५ तारीख को।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मैंने २८ तारीख को एक पत्र आपके पास भेजा था जिसमें हमको इसी विधान भवन में गोली मारने की धमकी एक विधायक ने दी थी।

श्री अध्यक्ष—

वह पत्र हमको मिला था। आपको चाहिये था कि विशेषाधिकार या सदन की अवहेलना का प्रश्न उठाते। आपने सिर्फ हमको सूचनामात्र दे दी लेकिन आप क्या चाहते हैं यह नहीं बताया।

श्री मोतीलाल देहलवी—

इसको आप विशेषाधिकार में मान लें।

श्री अध्यक्ष—

ऐसे नहीं मानते हैं। आप जो बात लिखित भेजेंगे वही मानेंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

संबंधित विधायक को कमरे में बुला कर सुलह करा दें, गोली न चले।

श्री रियासत हुसैन—

मैं आपका ध्यान नियम ५१ की ओर फिर दिलाना चाहता हूं जिसमें हमने दिया था जिसमें बस्ती क एक आनरेबिल मेंबर, माननीय पांडेय का ताल्लुक है। अगर उसके ऊपर कोई आदेश आपने सरकार को नहीं दिया तो अन्देशा इस बात का है कि डी०एम०, बस्ती उन आरोपों के बदले में हमारे माननीय सुखपाल पांडेय, एम० एल० ए० के खिलाफ कोई ऐसी कार्यवाही न कर बैठें जिससे कोई और बात पैदा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप इसके बाद मेरे पास आ जाइए।

श्री रियासत हुसैन—

उस दिन तो हम सब लोग हाजिर हुए थे आपकी सेवा में। हम तो उसी आश्वासन पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने उसमें यह चीज तो नहीं लिखी थी। तो इसके बाद आप आ जाइएगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जहां आपने सब की तिथियां तय कर दी हैं वहां आप आयुर्वेद वाले की भी तिथि तय कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको १० तारीख को कर देता हूं।

इलाहाबाद में अवैध शस्त्रों का कारखाना पकड़े जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५१ के अन्तर्गत इलाहाबाद में अवैध शस्त्रों के कारखाने के बारे में मंत्री जी का वक्तव्य होगा।

नियोजन उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

२६ फरवरी, १९७० को इलाहाबाद में अवैध शस्त्रों के निर्माण या उनके प्रयोग करने के षड़यंत्र में कोई कारखाना तथा अराष्ट्रीय तत्वों का कोई ऐसा गिरोह पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया जिसका संबंध विदेशियों से हो और जिसके फलस्वरूप जनता में भारी आतंक एवं असुरक्षा की भावना पैदा हो गई हो।

२—इलाहाबाद में की गई गिरफ्तारी के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २५ फरवरी, १९७० की रात्रि को मुखबिर द्वारा पूरा पड़ाइन, थाना दारागंज, निवासी, राम रक्षा और रामाशंकर के यहां चोरी का माल मौजूद होने की सूचना मिलने पर दोनों व्यक्तियों के यहां छापा मारा गया और उनके घरों से कुछ चोरी का माल बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना पर उनके गिरोह के सरगना, राम निवाज, जो कोहराना दरियाबाद थाना अतरसुइया का निवासी बताया गया था, के यहां भी तलाशी ली गई और राम निवास को गिरफ्तार किया गया। इस तलाशी में भी चोरी का काफी माल मिला। काफी संख्या में पीतल के बरतन, सीसे के चक्के, पीतल की छड़ें, तांबे का तार, आदि बरामद हुआ। पिस्तौल का अर्ध निर्मित भाग तथा एक कारतूस भी बरामद हुआ। इस बरामद हुए माल का संबंध पांच पिछली चोरियों से मालूम होता है। स्थानीय पुलिस इस घटना के संबंध में अभी तक

[श्री ओमप्रकाशसिंह]

चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनका संदेह है कि ये चारों व्यक्ति चोरों के एक सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं। जिसका काम बर्तनों की चोरी करना, प्रेस के सीसे का चुराना, तार काटना, नकली सिक्के बनाना तथा आग्नेयास्त्र का अवैध निर्माण करना है।

३---प्रदेश में अवैध शस्त्रों का निर्माण करने वाले जो कारखाने आदि यदाकदा पकड़े जाते हैं उनके संबंध में शासन द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाती है। शासन को उपलब्ध सूचना के आधार पर अभी तक कोई ऐसा अवैध कारखाने का मामला सामने नहीं आया जिसमें किसी विदेशी का हाथ हो या उसकी साजिश रही हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है उनका किसी राजनैतिक पार्टी से भी संबंध है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जहां तक मेरी सूचना है उनके साथ किसी राजनैतिक दल का जिक्र नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आधी बनी हुई पिस्तौल बरामद की गई है उसके बारे में क्या यह भी पता लगाया गया या नहीं कि वह किस कारखाने में बनी थी और वह कारखाना कहां था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि वह किस कारखाने की बनी है।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

जो वक्तव्य श्रीमन, माननीय मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं वह प्रयाग के समचार-पत्रों तथा वहां की आम जनता की भावनाओं के विपरीत है और जो समाचार नार्दन इंडिया पत्रिका में छपा है उसके अनुसार इस गिरोह को दारागंज की पुलिस नें नहीं बल्कि कैंनिंग्टन पुलिस ने पकड़ा था और कुछ कारतूस व पिस्तौल पकड़ी गई है। तो इस नार्दर्न इंडिया पत्रिका के आधार पर तो यह सूचना इलाहाबाद के सीनियर पुलिस अधीक्षक ने गलत दी है...

श्री अध्यक्ष---

आपने ऐसी कोई ब्योरेवार सूचना दी थी क्या ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, जो वक्तव्य यहां पर अभी दिया गया है वह सही नहीं है...

श्री अध्यक्ष---

अगर आप गोल बात लिखेंगे कि कोई ऐसा कारखाना पकड़ा गया तो जहां शस्त्र पकड़े गये होंगे वहीं का जिक्र उत्तर में होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हमारी सूचना का आधार तो आल इंडिया रेडियो है, वहां से दिल्ली का जो प्रसारण था उसके अनुसार यह नोटिस था।

श्री अध्यक्ष—

सण्ड जी के पास सूचना कुछ ज्यादा है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उन्होंने कहा है कि मंत्री जी का वक्तव्य सही नहीं है और वास्तविकता कुछ और है ।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि दारागंज का नहीं है ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

पुलिस के अधिकारियों ने वाक्यात पर पर्दा डालने के लिये दारागंज की पुलिस को कहा है लेकिन यह मामला पकड़ा कैनिन्गटन पुलिस ने और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्र बरामद किये हैं, आप फिर से रिपोर्ट मांग लें ।

श्री अध्यक्ष—

अगर ठीक से सूचना देंगे तो मंत्री जी के पास भेज देंगे ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

यह इलाहाबाद के अधिकारी माननीय मुख्य मंत्री जी को चकमा दे रहे हैं, वह कोई स्वच्छ प्रशासन नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

चकमा तो कोई भी दे सकता है । इसलिये स्पष्ट लिखने की जरूरत है, आप सूचना स्पष्ट दे दें मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उसके आधार पर जिनके बारे में उनका इशारा है, उनको जानकारी हो जाय ।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, मुझे दुःख है कि इलाहाबाद में ऐसी घटना हुयी हो और उस पर पर्दा डाला जा रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उन व्यक्तियों का सम्बन्ध चीन से है ? क्या वे इस बात की विशेष जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वे वे ही व्यक्ति हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिस घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष—

वे तो कहते हैं कि कोई कारखाना नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिस्तौल का अर्ध निर्मित भाग भी मिला तो जो पिस्तौल बनी, वह कहां पर बनी है । मैं उनसे (सरकार से) एक आश्वासन चाहता हूं कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके बताने का कष्ट करें किनसे उनका संबंध है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जिन व्यक्तियों का इसमें जिक्र किया गया है, उनके बारे में मैंने पुलिस और सी० आई० डी० विभाग द्वारा जांच करायी है लेकिन कोई भी सूचना नहीं मिल सकी कि उनका विदेशों से सम्बन्ध है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन आग्नेय अस्त्रों के निर्माण की जो सूचना दी गयी है, उसके क्या-क्या आधार हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो मैंने आपको बताया है वह पुलिस से जो रिपोर्ट प्राप्त हुयी है, उसके आधार पर है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह क्या रिपोर्ट है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है। जैसा मैंने निवेदन किया रात को थाना दारागंज के सब-इन्सेपेक्टर, श्री इन्द्र जीत सिंह ने छापा मारा था। उसमें जो सामान बरामद हुआ था उसमें, साइकिल, टाइपराइटर आदि थे। दूसरी जगह जब छापा मारा गया तो चोर जो पकड़े गये उन्होंने कहा कि उनका एक सरगना है। उसके यहां पर छापा मारने पर पीतल के बरतन, सीसे के चक्के, पीतल के बने हुए बर्तन, पीतल की छड़ें, तांबे का तार, रेलवे के डिब्बों की मैटल आदि बरामद हुयी। वहां से पिस्तौल का अर्ध भाग भी बरामद हुआ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, जो हमारा मूल प्रश्न है, उसके उत्तर को टालने का प्रयत्न किया जा रहा है। वक्तव्य में कहा गया है कि चारों व्यक्ति चोरों के एक सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं जिनका काम बरतनों की चोरी करना, प्रेस से सीसे चुराना, तार काटना, नकली सिक्के बनाना तथा आग्नेयास्त्र का अवैध निर्माण करना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बात का आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष—

इनका सन्देह है कि ये चारों व्यक्ति एक गिरोह के हैं जिनका काम बरतनों की चोरी करने का है और आग्नेयास्त्रों का अवैध निर्माण करना है। जहां पर आग्नेयास्त्रों का निर्माण होता है, वहां पर कारखाना बन जाता है। पहले आप ने बताया कि कोई कारखाना नहीं है और राजनैतिक तत्वों का हाथ नहीं है। यह तो ठीक है लेकिन कोई कारखाना नहीं पकड़ा गया, ऐसा नहीं कह सकते। आप को कहना चाहिये था कि छोटा-मोटा कारखाना था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, सरकार ने सीधे-सीधे गलत बयानी की है और तोड़-मरोड़ कर तथ्यों को छुपाया गया है। इनसे कहिये कि पढ़ लिख कर आया करें। जानबूझ कर तथ्यों को छुपाया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह नहीं मानता कि जानबूझ कर कुछ छुपाया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

केवल इतना बता दें कि कारखाना वाली बात की सूचना का आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष---

पुलिस की रिपोर्ट के अलावा कोई और सूचना उनके पास नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

क्या सरकार इस मामले की केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच करायेगी कि आग्नेआस्त्रों का कहीं कारखाना है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

अगर माननीय सदस्य कोई और लिखित प्रमाण देंगे तो हम उनकी जांच करा लेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

माननीय मन्त्री जी ने बयान में अवैध आग्नेआस्त्रों के निर्माण की बात स्वीकार की है। तो क्या मन्त्री जी, इसकी जांच करायेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता को झूठे मुकदमों में फंसाने के लिये पुलिस ने स्वयं पकड़े गये हथियारों को अपनी कस्टडी में सेफ कर लिया हो और चोरी का केस बनाकर इसे दर्ज कर लिया हो ? पुलिस आये दिन दफा २५ के झूठे मुकदमें कायम करती है और उसके लिये उसको इन हथियारों की जरूरत पड़ती है। क्या इसकी जांच करायेंगें ?

श्री अध्यक्ष---

इसका जवाब कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। आप यह पूंछ सकते हैं कि इस संबंध में और विस्तृत जांच माननीय मंत्र जी करायेंगे। मंत्री जी यह बता दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैंने कहा है कि अगर माननीय सदस्य कोई और तथ्य देंगे तो उनके आधार पर जांच करा लेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

सरकार ने उत्तर में कहा कि सी० आई० डी० से जांच कराई गई तथा थानेदार की रिपोर्ट के अनुसार यह मालूम हुआ कि यहां आग्नेयास्त्रों के बनाने का काम चलता है, तो सी० आई० डी० ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

सी० आई० डी० की रिपोर्ट में भी यही लिखा है। आप मेरे वक्तव्य को दूसरी तरह से समझे, उत्तर स्पष्ट है---उनका सन्देह है कि ये चारों व्यक्ति चोरों के एक सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं जिसका काम बरतनों की चोरी करना, प्रेस के सीसे का चुराना, तार काटना, नकली सिक्के बनाना, तथा आग्नेयास्त्र का अवैध निर्माण करना है, तो यह सन्देह है, निश्चित नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह---

सन्देह जहां होता है, वहीं पर इन्क्वायरी की बात होती है। स्वयं मंत्री जी कहते हैं कि सन्देह है। तो वह और तथ्य क्यों मांग रहे हैं। उन्हें स्वयं जांच करवानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

वह तो उन्होंने माना है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

भारतीय दण्ड विधान की किन धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है ? इससे पता चलेगा कि किस दफा मे अब तफतीश जारी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर चर्चा रोक दें और जब सन्देहप्रद सूचनाओं के अलावा सही सूचनाएं मंत्री जी के पास आ जाएं तो उसे वह सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे पास लिख कर भेज दें कि किन-किन बातों की जांच करवानी है, तो मैं उसे उनके पास भिजवा दूंगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मैं यह जानना चाहता हूं कि धारा १२० (बी) जो कि षड़यन्त्र के सम्बन्ध में है, वह भी इस मामले में लगाई गई है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जो जांच हुई है उससे यह मालूम हुआ कि यह चोरों का गिरोह है--

(बहुत सी आवाजें "प्रश्न का सीधा उत्तर दें")

१२० दफा नहीं लगी है।

श्री राजितराम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)--

यह जिला इलाहाबाद का मामला है और राजेन्द्र कुमारी बाजपेई जी के क्षेत्र का मामला है, उनको जानकारी होगी। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ शस्त्र पकड़े गये थे तो उन्हीं के उस समय इससे सम्बन्धित मंत्री थे, जिन्होंने इस मामले को दबाने का प्रयास किया था। छुन्नन गुरू उस समय जिन्दा थे, जब उन्होंने उस मसले को उठाया तो उनको पकड़ा गया, परेशान किया गया था।

(व्यवधान)

तो आप ठीक से देख लें कि उसमें इन्डीकेट का हाथ तो नहीं है और उनके जरिये से मामले को दबाया जाता हो ?

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मैं आपकी आज्ञा से मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि केस की गम्भीरता को देखते हुये वह सी० आई० डी० या विजीलेंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे जिससे सन्देह वास्तविकता की स्थिति में आ सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैं इन्क्वायरी करा चुका हूं और आगे आप सूचना देंगे तो और आगे जांच करवायेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इसमें दो-तीन प्रश्न ऐसे आए हैं जिनका सही उत्तर नहीं आया है जैसे, किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ है, अवैध शस्त्र किस स्थान से प्राप्त हुए और गिरोह से सम्बन्धित दस्यु कौन कौन से हैं, क्या इन सूचनाओं को पर्याप्त समझकर इसकी जांच फिर से किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने आपसे निवेदन किया कि हम इसकी जांच करा चुके हैं। अगर आप और कोई तथ्य लिख कर देंगे तो उसका आधार लेकर और आगे इन्क्वायरी करवाएंगे।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सारे लोग इस बात का प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वह इसकी जांच करवाएंगे। अगर सी० आई० डी० और पुलिस विभाग की जांच का नतीजा संदेहप्रद है तो क्या मंत्री जी इतने लोगों की भावनाओं का आदर करके उसकी सही रूप में जांच करवाने में क्या कठिनाई महसूस कर रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अभी जैसा बतलाया, इसका सम्बन्ध और कोई गिरोह से भी है। वैसे जांच चल ही रही है।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस माननीय सदन का यह हक नहीं है कि जो मंत्रिमंडल का जवाब आये वह सन्देहजनक न होकर निश्चित जवाब हो? मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि मन्त्री जी का जवाब सन्देहजनक है।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ में अविलम्बनीय महत्व का विषय होता है। उसका मतलब यह है कि जल्दी से आपको जवाब मंगा दें। अगर उसमें अभी जिस स्टेज पर इन्क्वायरी है उसमें सिर्फ सन्देह है, तो आपका यह कहना वाजिब है कि आप निश्चित उत्तर चाहते हैं। मैं सुझाव देता हूं, उसका तरीका यह है कि आपने जो अभी बहुत से प्रश्न किये उनमें जो भी सन्देह हो, कहीं चीन से तो इसका सम्बन्ध नहीं है इस कारखाने के बनाने में, जो भी आपके पास जानकारी है वह मेरे पास भेज दें तो मैं निश्चित आपको जानकारी दिलवा दूं।

श्री रियासत हुसैन—

मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी का यह कहना कि फिर लिख कर दे दें यह बिलकुल अनुचित है। आप देख रहे हैं कि सारे सदन की क्या भावनाएं हैं। मंत्री जी का स्वयं जवाब सन्देहजनक है। फिर यह कहना कि कोई माननीय सदस्य लिख कर दे दें तब इन्क्वायरी करवाएंगे, यह अनुचित है।

(श्री चेतराम गंगवार के खड़े होकर कुछ कहने पर)

एक सदस्य—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां कारखाना पाया गया है उसके नजदीक आर० एस० एस० की शाखा भी लगती है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उसकी भी जांच करवा लेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सपने में भी आर० एस० एस० दिखायी देने लगा है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं इतना निवेदन करना चाहता था कि जो सदन के समक्ष टिप्पणी रखी गयी है उसमें कहा गया है "जिनका काम बरतनों की चोरी करना, प्रेस से सीसे का चुराना, तार काटना नक़ली सिक्के बनाना तथा आग्नेयास्त्र के अवैध निर्माण करना है।" मैं यह जानना चाहता हूं कि आग्नेयास्त्रों के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कोई आगे जांच हुई या नहीं ? यदि नहीं हुयी तो क्या यह पर्याप्त नहीं है जिसको लेकर जांच की जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया था इसमें ऐसा सन्देह है तो और जांच हो रही है क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि इनका सम्बन्ध और गिरोह से भी है। इस वजह से उसकी भी जांच हो रही है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी जांच जारी है और मुलजमीन के खिलाफ, चार्जशीट अभी तक अदालत में नहीं भेजी गई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, अभी जांच जारी है।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने ६ बार यह स्पष्ट उत्तर दिया है कि जांच कर चुके हैं और जांच की आवश्यकता नहीं है और लिखकर दे दीजिये तो जांच होगी। दूसरी ओर दो बार यह कहा कि जांच अभी जारी है। तो मैं आप के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो एक बार यह कहा कि जांच समाप्त हो चुकी है वह सही उत्तर था या जो दूसरी बार कहा कि जांच जारी है, वह सही उत्तर है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया कि जांच अभी जारी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसका सम्बन्ध और गिरोह से भी है इस वजह से जांच जारी है।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में कोई माननीय मन्त्री एक ही प्रश्न पर किसी एक बात को स्वीकार करे और दूसरी बार उससे इन्कार करे तो क्या यह बचन-भंगी या सदन की अवमानना का प्रश्न होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

उनकी समझ में आयेगा वह वही बात कहेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आचार्य जी ने भी इसमें प्वाइन्ट आउट किया था कि इसमें गैरकानूनी असलाह और जाली सिक्के बनाने का जुर्म है और २, ३ आदमियों को बताया गया कि गिरफ्तारी और तलाशी हुयी है तो क्या इनके अलावा और भी लोगों की तलाशी ली गई और उनको पकड़ा गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने निवेदन किया कि अभी मेरे पास इतनी ही सूचना है। इसके आधार पर ही जिनका नाम मैंने लिया उनकी ही अभी तक गिरफ्तारी हुई है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे आप लिख कर भेज दीजिये तो मैं उसकी इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

स्पीकर साहब, मैं सवा ६ एकड़ की चर्चा कर रहा था। ५ बीघे तक का लगान किसानों के लिये माफ कर दिया गया है और उसका दायरा इतना वसीय कर दिया गया कि सवा ६ एकड़ के लगान माफी की जो बात कही जाती है उससे कहीं ज्यादा फायदा इसमें पहुंचेगा। मेरा तो यह कहना है कि लगान माफी किसानों के मसले का हल नहीं है बल्कि यह हल है कि उनको सस्ती बिजली, सस्ती खाद, सस्ता बीज व पानी दिया जाय और इस बात का इन्तजाम किया जाय कि किसान जो परिश्रम करता है खेतों के अन्दर उसकी उसको उचित मजदूरी मिले। यह न हो कि किसान खून पसीना बहा कर गन्ने की फसल उगाये और जब वह तैयार हो जाय तो लकड़ियों के मोल कोई उसे खरीदने के लिये तैयार न हो।

एक बात यहां साड़ी की कही गयी। मालूम होता है कि उनकी पत्नियों का भूत उन पर सवार है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

हमको तो साड़ी का इन्तजाम खुद करना पड़ता है। उनके यहां दूसरे दे जाते हैं क्या?

श्री हबीबुर्रहमान—

जायसवाल जी मऊ तशरीफ ले गये थे तो हमने कैसा इन्तजाम कर दिया था।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

औरों के लिये भी करेंगे क्या?

श्री हबीबुर्रहमान—

आपके लिये भी कर देंगे। वहां बहुत साड़ियां बनती हैं।

मैंने पिछले वर्ष गवर्नर एड्रेस के वक्त करघा उद्योग की बात कही थी। किसी भी उद्योग से इतना बड़ा रोजगार नहीं मिलता है जितना उससे मिलता है। वे खेत किसानों को, मजदूरों को इस करघा उद्योग से रोजगार मिलता है मऊ में। ५, ५ मील से चल कर किसान, मजदूर आता है, दिन भर काम करता है और शाम की रोटी पानी का इन्तजाम करता है। पिछले २२ वर्षों में इस सनअत की तरफ जो तवज्जह होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है, इसका मुझे खेद है।

माननीय जायसवाल जी ने १३ सूत्री प्रोग्राम की बड़ी चर्चा की थी लेकिन मैं जानता हूं कि उनको एक सूत्री प्रोग्राम बहुत प्यारा है। क्या वह कुर्सी नहीं चाहते हैं और क्या माननीय लक्ष्मी रमण जी जो उधर बैठे हुए हैं उनको कुर्सी प्यारी नहीं है। आज उसी एक सूत्री प्रोग्राम की यह देन है कि इस सरकार ने शुगर मिल्स के नेशनलाइजेशन का फैसला किया। पास बुक की कीमत ३ रुपये से घटा कर एक रुपया की। खाद पर जो सेल्स टैक्स आपने लगाया था उसको इस सरकार ने खत्म किया। जोत की सीमा को और सीमित किया। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि ३० एकड़ की जोत की सीमा हो लेकिन उससे आप परेशान हो रहे हैं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

गवर्नर एड्रेस में जो सीमा रखी गयी है उसको आपने मंजूर कर लिया है?

श्री हबीबुर्रहमान—

आप चाहेंगे तो जरूर मंजूर हो जायगी लेकिन आपको तो उससे परेशानी हो रही है। आप लोग एक दफा जरा केरल, बम्बई और बंगाल की ओर नजर डालिये तो आप को संतोष होगा। उत्तर प्रदेश के अन्दर जमींदारी जन्मूलन की गयी और जो आज मुख्य मंत्री हैं उन्होंने

[श्री हबीबुर्रहमान]

ही उस कानून को बनाया था और पूरे देश के अन्दर सिवा उत्तर प्रदेश के जैसा मुकम्मल जमींदारी उन्मूलन कानून बना है किसी और प्रदेश के अन्दर नहीं बना और उसका नतीजा यह है कि आज इस प्रदेश में जो पुराने जमींदार हैं, पुराने ताल्लुकेदार हैं, वे मुसीबतों का शिकार नहीं हो रहे हैं, जिन मुसीबतों का बंगाल में हो रहे हैं। उनको ज्यादा हक दिये गये थे और वहां की जनता की आंखों में धूल झोंकी गयी थी। अब वहां क्या हालत है? वहां आज लाल झंडे के नीचे उनके खेत काटे जा रहे हैं, उनके परिवारों को कत्ल किया जा रहा है। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप की इन बातों से काम चलने वाला नहीं है। आप को जमाने की रफ्तार को देखते हुये उसके साथ चलना होगा।

मैं अपने दोस्त, माननीय जायसवाल साहब की तकरीर सुन रहा था। उनकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है। वे हमारे बड़े दोस्त हैं। वे बड़े मीठे अल्फाज बोलते हैं लेकिन बात तीखी करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको इस पर विचार करना चाहिये कि आज तक जो नारा वे देते रहे हैं क्या उसी का नतीजा है कि वे उन लोगों के साथ बैठे जिनके बारे में हिन्दुस्तान के लोगों की एक राय है।

(व्यवधान)

आज मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि आप को अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिये।

(श्री जायसवाल जी के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप से वे कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हबीबुर्रहमान—

मैंने कल उनकी बात बड़ी खामोशी के साथ सुनी थी। आज वे मेरी बात सुन लें। जायसवाल साहब को निगाह रखनी चाहिये कि १९६७ में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने सवा छः एकड़ से लगान माफ करने की बात कही थी लेकिन चौधरी साहब ने हमारी बात नहीं मानी। इसलिये हमने उन को निकाल दिया जो लोग सवा छः एकड़ की बात कहते हैं तो वही लोग आज भी हैं। वे आप की नीति से सन्तुष्ट नहीं हैं। आप जो आजकल चौधरी साहब का विरोध करते हैं, उससे जनता संतुष्ट नहीं है। इस प्रदेश में चौधरी साहब एक ऐसे नेता हैं कि जहां भी चौधरी साहब जाते हैं एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है हजारों लाखों की तादाद में भूतपूर्व मंत्री, माननीय कल्पनाथ सिंह जी को अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले महीनों में जब चौधरी साहब मुख्य मन्त्री भी नहीं थे तब भी गोरखपुर, देवरिया के दौरा में लाख लाख, डेढ़ लाख की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। यह क्यों होती थी? इसीलिये कि लोग उनसे बहुत खुश हैं और उन को प्यार करते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बात की बड़े जोरों से चर्चा की जाती है कि चौधरी साहब कुर्सी के भूखे हैं। इसके लिये वे सिंडीकेट में चले गये और फिर इंडीकेट में चले गये। मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में चिट्ठियां अखबारों में शाया हो चुकी हैं। दस तारीख को माननीय गुप्ता जी इस्तीफा देने वाले थे और उन्होंने यह कहा कि हम गवर्नर से दरख्वास्त करते हैं कि लीडर आफ दि अपोजिशन को गवर्नमेन्ट बनाने के लिये दावत दी जाये। तो क्या शिष्टाचार के नाते हम उनको मुबारकबाद न देते? लेकिन इसका हरगिज मतलब यह नहीं था कि हमने उनके साथ कोई समझौता कर लिया। अगर कर लिया था तो मैं कहना चाहता हूं कि वह कौन सा समझौता हुआ था चौधरी साहब और उनके बीच में या गुप्ता जी और उनके बीच में। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें कहने से काम चलने वाला नहीं है। हम को और आप को जनता की अदालत में जाना है। आप लखनऊ शहर में निकलिये

किसी रिक्शे पर बैठिये और लोगों की बात सुनिये, चाहे वह रिक्शे वाला हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई घरेलू नौकर हो या मजदूर हो, अगर उनका किसी के साथ प्रेम है, मुहब्बत है तो वह चौधरी चरण सिंह हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज २२ साल के बाद समूचे प्रदेश में संतोष की लहर दौड़ गयी है। गरीब यह समझ रहा है कि जिस चक्की के पाट के नीचे हम पड़े कराह रहे थे, आज उससे हमको मुक्ति मिल गयी है। यही वजह है कि आज उनके विरोधी कोई भी पार्टी हो, चाहे वह सिंडीकेटी हों, चाहे जनसंघ हो, चाहे संसोपा हो आज जनता के सामने जाने से डर रहे हैं। संसोपा जो समाजवाद का नारा लगाती है, गरीबों के दुखों को दूर करना चाहती है, बैकवर्ड क्लास का भला करना चाहती है, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप सही रास्ते की तरफ आइये। यहां आने से आप को सम्मान मिलेगा। गालियां देने से, ताने देने से, या और तरह की बातें बनाने से आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गयी है और मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहब की लीडरशिप में जो हुकूमत बनी है वह हम लोगों की ताकत से एक पायेदार हुकूमत होगी और ज्यादा से ज्यादा दिनों तक प्रदेश की सेवा करती रहेगी। आप सब लोग भी महसूस करते होंगे कि प्रदेश में नया इनक्लाब आ गया है, एक नयी तब्दीली आ गयी है जिससे इस प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी, इस प्रदेश की गरीबी को राहत मिलेगी।

अब थोड़ी बात मैं बुनकर बिरादरी के बारे में कह देना चाहता हूं। बुनकर बिरादरी एक बहुत पिछड़ी हुई बिरादरी है। शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग बहुत ही पिछड़े हुये हैं। १९६२ तक बराबर उनके पिछड़ेपन को देखते हुए इन लोगों को स्कालरशिप और वजीफे के लिये बहुत बड़ी तादाद में रकम मखसूस होती थी। १ लाख ६० हजार रुपया इस बिरादरी के विद्यार्थियों के लिये मखसूस था। १९६२ में इसको तोड़ दिया गया। इस वजह से आज की हालत यह है स्कालरशिप बड़ी मिकदार में इन लोगों को न मिलने की वजह से बहुत से गरीब लोग शिक्षा से महरूम हो रहे हैं। अब जो नयी गवर्नमेन्ट आयी है जिसके सरबरा चौधरी चरण सिंह जी हैं, मुझे विश्वास है कि वे इस तरफ अपनी तवज्जुह देंगे। इन शब्दों के साथ मैं जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है और माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय उदित नारायण जी ने जो प्रस्ताव रखा है और उसका समर्थन किया है तथा हमारे विरोधी दल के नेता जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने इसलिये ऐसा कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी जो इसके प्रस्तावक हैं और माननीय उदित नारायण शर्मा जी जो इसके समर्थक हैं, ये दोनों इस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, जिस पार्टी की सेवा में अभी तक कर रहा हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो प्रवचन माननीय गेंदा सिंह जी ने दिया है उसको सुन कर मुझे बहुत कष्ट हुआ।

आचार्य नरेन्द्र देव जैसे समाजवादी नेता के अन्दर रहकर माननीय गेंदा सिंह जी ने, वह इस पार्टी के विरोधी दल के नेता भी थे और पिछली सरकार के समय में कटौती का प्रस्ताव भी ६ १/४ एकड़ के सम्बन्ध में रक्खा था, आज जो भाषण शुरू किया और जो दलीलें ६ १/४ एकड़ के सम्बन्ध में दीं उनको सुनकर हैरानी होती है। मैं कहना चाहता हूं कि श्री गेंदासिंह और श्री उदित नारायण जो कि दोनों ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हैं उनके भाषणों में इसलिए अन्तर था कि माननीय गेंदासिंह जी लाइन में खड़े हैं और माननीय शर्मा जी लाइन से उतर चुके हैं। माननीय शर्मा जी को निराशा हो गई है और इसलिये उन्होंने इस बात को महसूस किया कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम करन]

६ १/४ एकड़ का लगान माफ होना चाहिये। जो ३ १/८ एकड़ की बात कही गयी है और १२ १/२ एकड़ तक कहा है तो उन्होंने इसके अन्दर फर्क डालने की कोशिश की है। मैं कहना चाहता हूं कि यह दोनों समाजवादी अवसर की खोज में बुनियादी बातों को छोड़ कर चले गये हैं। ६ १/४ एकड़ की जो बात कही गई है उसमें बहुत सी दलीलें आई हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगान का सवाल बहुत से भाइयों ने उठाया और कहा कि लगान माफी किसान नहीं चाहता है। किसान क्या चाहता है इसके आखिर यही ठेकेदार तो नहीं हैं। मुझे भी जनता ने चुनकर भेजा है। हम भी अपने मैनीफेस्टो में अपनी बात कहते हैं। आज १२ १/२ एकड़ के बारे में कहा गया है तो यह तो एक जिद की बात मालूम होती है। ६ १/४ एकड़ की माफी के लिये १२ १/२ एकड़ तक माफी हो यह कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा करने से कुल मिलाकर ८ या ९ करोड़ का घाटा होता है तो सिर्फ २ या २ १/२ करोड़ की बात रह जाती है। तो यह एक नया फारमूला चौधरी साहब ने दिया है। सिर्फ २,२ १/२ करोड़ का मामला है। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि अलाभकर जोतों से लगान माफ होना चाहिये परन्तु आप उस को बढ़ाकर इस सीमा तक पहुंचा देते हैं कि बुनियादी बात से आप हट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मालगुजारी नहीं लगना चाहिये तो इसको खत्म कर दीजिये मुझे कोई एतराज नहीं है। बड़े-बड़े काश्तकारों पर टैक्स लगा सकते हैं लेकिन आप अलाभकर जोतों को १२ १/२ एकड़ तक मानकर ३ १/८ एकड़ की माफी कर दें तो यह मेरी समझ में नहीं आता है। जो उधर से इस सम्बन्ध में बहस की जा रही है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ जिद की बात है।

श्री अध्यक्ष---

आप अपना भाषण कल जारी रक्खें। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनंदन मिश्र

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२ मार्च, १९७०।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये अ० सू० ता० प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३८ पर)

उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा प्रेषित रेडियो ग्राम संख्या ६०/१/३/६६ सी० एक्स०, दिनांक ५ दिसम्बर, १९६६ का हिन्दी अनुवाद।

भाषा विधेयक विरोधी आन्दोलन के सिलसिले में छात्रों के विरुद्ध कायम किये गये सभी मुकदमों को जनहित में वापस लेने का सरकार द्वारा निर्णय किया गया है। ऐसे मुकदमों को कृपया स्थगित करा लिया जाय तथा जेल में यदि कोई अभियुक्त बंद हो, तो उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कराया जाय। सरकारी अभियोक्ता को आदेश दिये जायं कि वे छात्रों के विरुद्ध इस आन्दोलन से संबंधित मुकदमों की जनहित में वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र दें। वापस किये गये मुकदमों का विवरण सरकार को यथासमय भेजा जाय।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र०सं० १६ का उत्तर पीछे/पृष्ठ २५३ पर)

संलग्क

जी० आई० टी० आई० में विभिन्न ट्रेडों में स्वीकृत सीटों की संख्या तथा उनमें भरती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ।

क्रम सं०	ट्रेड	१९६७–६८ में सीटें		१९६८–६९ में सीटें		१९६९–७० में सीटें	
		स्वीकृत सीटें	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	स्वीकृत सीटें	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	स्वीकृत सीटें	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८
१—राजकीय बुड वर्किंग संस्था इलाहाबाद							
	पुराने पैटर्न में ।						
१	टीचर्स ट्रेनिंग ..	६	..	६	८	६	..
२	एडवान्स बुड वर्किंग ..	३६	..	३६	१५	३६	..
३	जनरल बुड वर्किंग ..	३६	..	३६	१३	३६	..
४	आरटीजन बुड वर्किंग ..	२४	..	२४	१३	२४	..
५	पैन्ट और पालिश ..	२४	..	२४	७	२४	..
६	अपहोल्स्ट्री ..	१२	..	१२	..	..	..
७	हाई स्कूल टैक्नीकल	७२	..	७२	२७	७२	..
	एन० सी० टी० बी० टी० पैटर्न						
८	अपहोल्स्ट्री ..	६४	१	..	..	३२	..
९	कारपेन्टर ..	३२	२३	..	..	..	..
१०	पैटर्न मेकर ..	३२	..	..	..	..	..
११	शीट मेटिल ..	३२	६	..	..	..	..
१२	पेन्टर एण्ड डेकोरेटर ..	३२	..	..	..	..	..
२—पं० जे० जे० राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था, अल्मोड़ा							
	पुराने पैटर्न में						
१	एलीमेन्ट्री कैबीनेट मेंकिंग	३०	..	३०	९	..	..
२	एलीमेन्ट्री बीविंग ..	३०	..	३०	५	३०	६
४	होजरी ..	३०	..	३०	६	३०	९
४	कटिंग और टेलरिंग ..	३०	..	३०	८	३०	२०
५	एडवान्स बीविंग ..	१०	..	१०	६	१०	३
७	हाई स्कूल टैक्नीकल ..	४०	..	४०	२४	४०	३९
	एन० सी० टी० बी० टी० पैटर्न						
७	कारपेन्टर ..	३२	११	..	..	३२	१०

१	२	३	४	५	६	७	८
३—राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था, देहरादून							
पुराने पैटर्न में							
१	इलेक्ट्रीकल सुपरवाइजर	३०	..	३०	१२	..	..
२	मोटर मिकेनिक ..	३०	..	३०	७	..	..
३	रेडियो मिकेनिक ..	२४	..	२४	२	..	..
४	एलीमेन्ट्री कॅबीनेट मेकिंग	३०	..	३०	८	..	..
५	हाई स्कूल टैक्नीकल ..	३०	..	३०	४	३०	..
एन० सी० टी० वी० टी० पैटर्न में							
६	ड्राफ्ट्समैन मिकेनिकल	३२	४०	..	..	..	..
७	फिटर ..	६४	३३	..	..	..	..
८	मशीनिस्ट ..	२४	२५	..	..	..	..
९	मोटर मिकेनिक ..	८०	८२	..	..	४८	५१
१०	इलेक्ट्रीशियन ..	६४	१७	..	..	३२	२८
११	रेडियो मिकेनिक ..	६४	१८	..	..	३२	१५
१२	कारपेन्टर ..	३२	४	..	..	३२	४
१३	मिकेनिकल इन्स्ट्रूमेन्ट	३२		..	..	..	..
१४	प्लम्बर ..	३२	१२	..	..	..	..
१५	वेल्डर ..	२४	२५	..	..	..	..
४—राजकीय लेदर स्कूल, फतेहपुर							
पुराने पैटर्न में							
१	ट्रैनिंग ..	७२	..	७२	८	७२	१६
२	लेदर वर्किंग ..	७२	..	७२	२३	७२	२४
५—राजकीय सेन्ट्रल वुड वर्किंग संस्था, बरेली							
पुराने पैटर्न में							
१	जनरल वुड वर्किंग ..	४८	..	४८	..	४८	१५
२	पेन्ट ऐण्ड पालिश ..	२४	..	२४	..	२४	२७
३	कैनिंग एण्ड अपहोलस्ट्री	२४	..	२४	..	..	..
४	एडवान्स वुड वर्किंग ..	६०	..	६०	..	६०	७
५	टीचर्स कोर्स ..	१२	..	१२	..	१२	६
६	आरटीजन ..	२४	..	२४	..	२४	५
७	मशीन टूल ..	२४	..	२४	..	२४	१८
८	किल्न आपरेटर ..	१६	..	१६	..	१६	८
९	हाई स्कूल टैक्नीकल ..	७२	..	७२	..	७२	३४
एन० सी० टी० वी० टी० पैटर्न							
१०	पैटर्न मेकर ..	३२	..	..	..	..	..
११	पेन्टर और डिकोरेटर	६४	४	..	..	..	..
१२	अपहोल्स्ट्री ..	६४	..	..	..	३२	..
१३	कारपेन्टर ..	३२	११	..	..	..	..
१४	फिटर ..	३२	५९	..	..	..	..

१	२	३	४	५	६	७	८
६—राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था (लड़कियां), रामपुर							
	पुराने पेटर्न में						
१	टेलरिंग	१२०	..	१२०	५६	१२०	४७
७—राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था, चरखारी (हमीरपुर)							
	पुराने पैटर्न में						
१	जनरल वुड वर्किंग	२४	..	२४	..	..	..
२	बरी और निवार मेकिंग	१२	..	१२	८	१२	७
३	एडवान्स वीविंग	१२	..	१२	३	१२	२
४	वीविंग और डाइंग	२४	..	२४	१७	२४	१६
५	कटिंग और टेलरिंग	२४	..	२४	२३	२४	३१
६	लेदर फुटवीयर	२४	..	२४	१४	२४	१६
७	हाई स्कूल टेक्नीकल	४८	..	४८	४३	४८	४५
	एम० सी० टी० वी० टी० पैटर्न						
८	फिटर	४८	२०	..	..	..	..
९	कारपेन्टर	३२	..	..	..	३२	३
८—राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था, गोरखपुर							
	पुराने पैटर्न में						
१	मोटर मिकेनिक	२४	..	२४	५	..	..
२	ट्रैक्टर मिकेनिक	२४	..	२४	५	..	..
३	डीजल इंजन मिकेनिक	२४	..	२४	८	..	..
४	इलक्ट्रीकल सुपरवाइजर	२४	..	२४	१३	..	..
	एन० सी० टी० गं० टी० पैटर्न						
५	इलेक्ट्रीशिएन	३२	१६	..	..	३२	२६
६	मोटर मिकेनिक	३२	२७	..	..	३२	३३
७	ट्रैक्टर मिकेनिक	३२	२६	..	..	३२	३०
८	मिकेनिक आई०सी० ई०	३२	३२	..	..	३२	३२
९	पेन्टर और डेकोरेटर	..	..	..	..	३२	१२
९—राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था, लखनऊ							
	पुराने पैटर्न में						
१	मोटर मिकेनिक	२४	—	२४	९	..	..
२	रेडियो मिकेनिक	२४	—	२४	११	..	..
३	इलेक्ट्रीकल सुपरवाइजर	२४	—	२४	१२	..	..
४	रेफरीजिरेटर मिकेनिक	२४	—	२४	१२	..	..
५	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	२४	—	२४	५	..	..
६	वेल्डिंग	१२	—	१२	१०	..	..

१	२	३	४	५	६	७	८
७	प्लम्बर	१२	..	१२	९	..	..
८	टिन और कापर स्मिथ	१२	..	१२	११	..	..
९	ड्राइवर आई० सी० ई०	१२	..	१२	११	..	..
१०	स्टीम इंजन ड्राईविंग	१२	..	१२	११	१२	..
	एन० सी० टी० वी० टी० पैटर्न—						
११	इलेक्ट्रीशिएन	६४	२४	..	..	३२	२२
१२	रेफरिजेरेटर मिकेनिक	६४	६४	..	..	३२	४९
१३	मोटर मिकेनिक	३२	३४	..	..	३२	३८
१४	शीट मेटिल वर्कर	३२	११	..	..	३२	२
१५	मिकेनिक आई०सी०ई०	३२	३६	..	..	१६	२१
१६	वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक	२४	२१	..	..	२४	१
१७	रेडियो मिकेनिक	३२	१८	..	..	३२	३४
१८	प्लम्बर	६४	२	..	..	३२	२
१९	इलेक्ट्रोप्लेटर	३२	..	..	..	३२	३
२०	कारपेन्टर	..	..	..	..	३२	..
२१	टर्नर ..	२४	..	..	..	..	..
	१०—राजकीय बीविंग स्कूल, मऊ (आजमगढ़)						
	पुराने पैटर्न में						
१	आरटीजन बीविंग	४०	..	४०	..	४०	२९
२	एलीमेंट्री बीविंग	४८	..	४८	..	४८	२८
३	एडवांस बीविंग	१०	..	१०	..	१०	५
	११—राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था, मेरठ—						
	पुराने पैटर्न में						
१	फिटर ..	३६	..	३६	६	..	..
२	मोटर मिकेनिक	३६	..	३६	६	..	..
३	इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर	२४	..	२४	१९	..	..
४	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	१२	..	१२	७	..	..
५	शीट मेटिल	१२	..	१२	६	..	..
६	टर्नर ..	२४	..	२४	..	..	..
	एन०सी०टी०वी०टी० पैटर्न में—						
७	फिटर	९६	५०	..	..	३२	१९
८	मशीनिस्ट	२४	२५	..	..	..	..
९	इलेक्ट्रीशिएन	६४	१५	..	..	३२	२८
१०	मोटर मिकेनिक	३२	३२	..	..	३२	३२
११	सीट मेटिल वर्कर	६४	२६	..	..	३२	..
१२	टर्नर	४८	१३	..	..	२४	२६
१३	इलेक्ट्रोप्लेटर	३२	..	..	..	३२	१
१४	कारपेन्टर	..	..	..	..	३२	..
१५	पेन्टर और डिकोरेटर	..	..	..	..	३२	..
१६	मोल्डर	३२	१९	..	..	..	..

१	२	३	४	५	६	७	८
१२—राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था, श्रीनगर (गढ़वाल)							
पुराने पैटर्न में							
१	एलीमेन्ट्री कैबिनेट मेकिंग	२४	..	२४	..	.	.
२	एलीमेन्ट्री वीविंग	२४	..	२४	२०	२४	१६
३	कटिंग और टेलरिंग	२४	..	२४	२३	२४	२२
४	एडवान्स वीविंग	१०	..	१०	६	१०	३
५	हाई स्कूल टेक्नीकल (कारपेन्टर)	१८	..	१८	१९	१८	२७
६	हाई स्कूल टैक्नीकल (वीविंग)	३६	..	३६	३५	३६	२९
एन० सी० टी० वी० टी० पैटर्न							
७	कारपेन्टर	३२	५	..	..	३२	९
१३—राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था, टेहरी (गढ़वाल)							
पुराने पैटर्न में							
१	जनरल वुड वर्किंग	२४	..	२४		.	..
२	एलीमेन्ट्री वीविंग	२४	..	२४	३	२४	२
३	कटिंग और टेलरिंग	२४	..	२४	९	२४	१९
४	केन मेकिंग	६	..	६	२	६	४
५	एडवान्स वीविंग	१०	..	१०	१	१०	३
६	हाई स्कूल टेक्नीकल (वीविंग)	४८	..	४८	२९	४८	२६
७	हाई स्कुल टेक्नीकल (कारपेन्टर)	४८	..	४८	२६	४८	२५
एन० सी० टी० वी० टी० पैटर्न							
	कारपेन्टर	३२	१०	..	..	३२	७
१४—वी० पी० के० राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था, वाराणसी							
पुराने पैटर्न में							
१	शेप मेकिंग	१८	..	१८	६	१८	१५
२	रीपाउज एन्ड चेंजिंग	१८	..	१८	६	१८	१५
३	इनग्रेविंग एण्ड इनेमिलिंग	१८	..	१८	६	१८	१३
४	कास्टिंग और क्ले माडलिंग	३६	..	३६	१३	३६	१८
५	गोल्ड स्मिथ	८४	..	८४	४	८४	१२
६	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	२४	..	२४	२	..	..
एन० सी० टी० वी० टी० पैटर्न							
	७—इलेक्ट्रोप्लेटर	३२	१०	..	..	३२	२५

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर)

जिला परिषदों के पशुरोधालयों में बन्द किये जाने वाले कुछ पशुओं के संबंध में जुर्मानों की दरें

क्रम-संख्या	पशु का नाम	शासकीय आदेशों के अनुसार जुर्माने की दरें प्रति पशु		
		वर्ष १९६१	वर्ष १९६८	हाल ही के निर्णय के अनुसार
१	ऊंट	५ रुपया	२५ रुपया	१५ रुपया
२	भैंस			
३	घोड़ा			
४	घोड़ी			
५	टट्टू			
६	खच्चर			
७	सांड़			
८	बैल			
९	गाय			
१०	बछड़ा			
११	घोड़े का बच्चा			
१२	बछेड़ी			
१३	बछिया			
१४	बढ़ी पशु			

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर)

अरोरा अल्म्यूनियम एन्ड एलाइड ववर्स (प्रा) लिमिटेड कसिया रोड, देवरिया

२०८, एस, बी० एल० वार्षिक निरीक्षण
समनुज्ञा शुल्क जमा डब्लू ० एच०

निरीक्षण तिथि ८ अक्तूबर, १९६९
अधिकारी का नाम---श्री बी० एल० अरोरा
अधिकतम नियोजित कर्मकारों की संख्या ३८
अधिकतम अश्व शक्ति प्रयुक्त---१०५ ।

इस कारखाने में निरीक्षण के समय मेरे द्वारा निम्नांकित त्रुटियां एवं अवहेलनायें पाई गई जो शक्ति की सहायता से तथा ३५ वयस्क पुरुष कर्मकारों को नियोजित कर कार्य कर रहा था ।

श्री अनिल कुमार कारखाने के भागीदार उपस्थित थे ।

१---धारा ६२ सपठित नियम ७८--- कि निम्नांकित कर्मकारों की उपस्थिति जो कि वास्तविक रूप से आज निरीक्षण के समय अभिनिर्माण प्रक्रिया पर कार्य कर रहे थे, निर्धारित प्रपत्र संख्या १२ पर अंकित नहीं थी, और मांगने पर उपस्थिति पंजिका न प्रस्तुत किया जा सका ।

(१) गनेश्वर मनी पुत्र सिद्देश्वरी मनी (स्टोर मजदूर)
(२) राम हरख, पुत्र राम किशन (रोलर पर)
(३) चन्द्रमा प्रसाद, पुत्र जयपाल (मेल्टिंग---मजदूर)
(४) गनेश प्रसाद, पुत्र पालकी (मेल्टिंग---सहायक)
(५) रामलोचन, पुत्र पालकी प्रसाद (मेल्टिंग में मिस्त्री)
(६) गंगा दयाल पुत्र राम बिलास (मिस्त्री एनोडाइजिंग)
(७) बेनी, पुत्र सागर (फिटिंग पर)
(८) बैरागी, पुत्र बाली (फिटिंग पर)
(९) तूफानी, पुत्र खरल (पोलिशिंग पर)
(१०) रामवचन, पुत्र महावीर प्रसाद
(११) रमजानी, पुत्र मोती
(१२) मुस्तफा, पुत्र मुहर्रम (बाशिंग)
(१३) झुल्लर, पुत्र दुबंल (वाशिंग मिस्त्री)
(१४) कैलाश, पुत्र सोली (वाशिंग)
(१५) शिवालक, पुत्र खेदई (वाशिंग)
(१६) दिलमुहम्मद, पुत्र रसूल मियां

२---नियम १०२---कि समस्त कर्मकारो से संबंधित सवैतानेक अवकाश के १९६८-६९ के अभिलेख नहीं पाए गए और न ही मांगने पर प्रस्तुत किये गये ।

३---नियम १०३---कि अवकाश पुस्तिका में कर्मकारों की निबमानुसार वितरित नहीं पायी गयी ।

४---नियम ३---कि कारखाने की इमारत में विस्तार किया गया और ४ कमरे आर०बी० स्लाब छत के नये निर्माण किये गये जो एनोडाईजिंग प्लांट के रूप में प्रयोग में लाये जा रहे हैं। श्री गंगा दयाल मिश्रा, मिस्त्री निरीक्षण के समय इस प्लांट पर कार्य कर रहे थे ।

५---धारा १२ अपठित नियम १८---कि ट्रेड एक्सेएन्ट के बहने का प्रबन्ध, प्रभावशील नहीं पाया गया क्योंकि अब तक इस प्रबन्ध की स्वीकृति एफलूएन्ट बोर्ड द्वारा नहीं ली गई है ।

६---धारा २१---कि स्विनर्स एवं प्राइन्डर्स के बेल्ड और पुलीज जो कि पहुंच से अन्दर थे, रक्षित नहीं पाये गये।

७—धारा ६२ अपठित नियम ७८—कि फार्म संख्या १२ के पद ३ से ७ तक, माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्तूबर, १९६९ के संबंध में भरे नहीं पाये गये।

मैंने उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

ह० अपठित।]
८-१०-६९

(ह०) पी० एल० शुक्ला।
दिनांक—८-१०-६९।

अरोरा अल्मूनियम एन्ड एलाइड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कसिया रोड़, देवरिया।

दिनांक २८-१-१९७०।

२३ एफ/बी० एस०
वार्षिक निरीक्षण
समनुज्ञा शुल्क जमा
डब्लू० एच।

अधिकतम नियोजित कर्मचारों की संख्या ३८/
अधिकतम प्रयुक्त अश्व शक्ति १०० से अधिक
अधिकारी का नाम श्री बी० एल० अरोरा
प्रबन्धक का नाम श्री धर्मपाल सच्चर।

मेरे द्वारा निरीक्षण के समय निम्नांकित उल्लंघन एवं अवहेलनाएं पाई गईं कारखाना शक्ति की सहायता से ३३ वयस्क कर्मकारों को नियोजित कर कार्य कर रहा था।

(१) नियम १०२—कि सवैतनिक अवकाश अभिलेख सर्वश्री भगवान मिस्त्री जलेश्वर टर्नर, महादेव स्पिनर, मुन्ना हैल्पर, सुल्तान अली पोलिशिंग और प्रेम चन्द्र हेड मिस्त्री एवं अन्य के संबंध में ठीक से भरे नहीं पाये गये, क्योंकि नौकरी प्रारंभ करने की तिथि, पद १ फार्म संख्या १४, नहीं अंकित थी।

(२) नियम १०३—कि सवैतनिक अवकाश पुस्तिकाएं, समस्त कर्मकारों को नहीं दी गईं। जो पुस्तिकाएं स्थान पर दिखाई गईं वह प्रबन्धक के पास रखी हुई थीं।

(३) धारा १२ सपठित नियम १८—कि ट्रेड एफ्लुएन्ट—प्रभाव के प्रबन्ध एफ्लुएन्ट बोर्ड के द्वारा स्वीकृत नहीं कराये गये पाये गये।

(४) धारा २१—कि प्रेस (Press) मशीन एवं रोलिंग मशीन के वी बेल्ट व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित नहीं पाये गये। समुचित निर्माण के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाय।

(ह०) बी० एल० शुक्ला,
कारखाना निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
प्रभारी गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर।

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २९ तथा ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर)

तालिका—१

१—सर्वश्री अरोरा एण्ड कं० देवरिया द्वारा लगाये गये भट्ठों की सूची—

व्यापारी का नाम	भट्ठे का स्थान
१—श्री मलिक राज	पंगरा
२—श्री जगदीश चन्द	खड्डपुर
३—श्री राम स्वरूप	लाहितपार
४—अरोरा एन्ड कं०	खड्डपुर

२—सर्वश्री अरोरा ब्रिक फील्ड एन्ड कान्सट्रक्शन क०, देवरिया द्वारा लगाये गये भट्ठों की सूची—

व्यापारी का नाम	भट्ठे का स्थान
१—श्री शांति स्वरूप	गौरी बाजार
२—श्री पृथ्वी राज	बेतालपुर
३—श्री रोशन लाल	खड्डपुर
४—श्री विशम्भर लाल अरोरा	लाहिलपुर

तालिका २

(१) सर्वश्री अरोरा एन्ड कं०, देवरिया द्वारा विभिन्न वर्षों में अदा की गई बिक्री-कर की धनराशि—

वर्ष	बिक्री-कर जो अदा किया
	रु०
१९६७–६८ ..	७,९२६
१९६८–६९ ..	९,३८३
१९६९–७० (३०–९–१९६९ तक) ..	३,०८५
योग	२०,३९४

(२) सर्वश्री अरोरा ब्रिक फील्ड एन्ड कान्सट्रक्शन कं० देवरिया द्वारा विभिन्न वर्षों में अदा की गई बिक्री-कर की धनराशि—

वर्ष	बिक्री-कर जो अदा किया
	रु०
१९६७–६७ ..	२,१७२
१९६८–६९ ..	२,९६२
१९६९–७० (३०–९–१९६९) तक ..	२,४६८
योग	७,६०२

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित संख्या प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६२ पर)

जिला बलिया की प्रशिक्षण एवं सेवायोजन समिति के सदस्यों की सूची

नाम	योग्यता	पद	संस्थानों के नाम
सभापति			
श्री जगन्नाथ चौधरी ..	..	एम० एल० ए०	..
निजी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय उद्योग तथा सेवायोजकों में से प्रत्येक का प्रतिनिधि			
१—श्री विश्व नाथ चौबे ..	जूनियर हाई स्कूल	कृषि कार्य करते हैं	..
२—श्री राम लक्षण तिवारी ..	हाई स्कूल	,,	..
सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय उद्योग तथा सेवायोजकों में से प्रत्येक का प्रतिनिधि			
१—श्री विश्व नाथ सिंह ..	इन्टरमीडिएट	अध्यक्ष, नगरपालिका, बलिया	..
२—श्री राम रतन सिंह ..	..	एम०एल०ए०	..
श्रमिकों के प्रतिनिधि			
१—श्री श्रीपत नारायण ..	इन्टरमीडिएट	सहायक सचिव	भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस
२—श्री उमा शंकर तिवारी ..	हाई स्कूल एवं मध्यमा	एजेन्ट	जीवन बीमा
३—श्री मैनेजर सिंह ..	..	एम०एल०ए०	..
सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के प्रतिनिधि			
१—श्री श्री राम मिश्र ..	बी० ए०	सदस्य	युवक कांग्रेस
२—श्री मान धाता सिंह ..	इन्टरमीडिएट	कृषि कार्य करते हैं	..
स्थानीय प्रमुख अर्थशास्त्री			
श्री राज नारायण राय ..	एम० ए०	प्रधानाचार्य	देवकली इन्टर कालेज, बलिया ।
विधान मंडल के सदस्य			
१—श्री जगन्नाथ चौधरी ..	..	एम० एल० ए०	..
२—श्री बल्धन ..	..	,,	..
३—श्री बलवा पाठक ..	..	,,	..
४—श्री निर्भय नारायण सिंह	..	,,	..

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

संलग्नक

बलिया जिले में प्राप्त भौतिक उपलब्धियां

मद			१९६६-६७ में व १९६७-६८ में उपलब्धियां
१--उत्पन्न खाद्यान्न उत्पादन क्षमता (अतिरिक्त)		(लाख मी० टन)	०.३१
२--चकबन्दी	..	(लाख हेक्टर)	०.३४
३--राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण	..	(सं०)	१३
४--पक्के कुयें	.. ..	(सं०)	१,७३१
५--रहट	.. ..	(सं०)	१,४८५
६--पम्पिंग सेट	.. ..	(सं०)	३७५
७--निजी नलकूप	.. ..	(सं०)	७७४
८--निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों का विद्युतीकरण		(सं०)	८०८
९--नयी सड़कों का निर्माण		कि० मी०	१९.९
१०--सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार	..	कि० मी०	१८.१
११--हैण्डलूम कपड़े का उत्पादन	..	लाख मीटर	१८.३०
१२--ऋण एवं अनुदान के अन्तर्गत लाभान्वित लघु औद्योगिक इकाइयां	.. ..	(सं०)	७५
१३--जूनियर हाई स्कूल जो खोले गये	..	(सं०)	३२
१४--प्राविधिक शिक्षा--छात्रों की भर्ती	..	(सं०)	१३४
१५--अनुर्वतीकरण (Sterilisation)	..	(सं०)	५४.७२
१६--६ से १४ आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत			
(१) १९६६-६७		(प्रतिशत)	८३
(२) १९६७-६८		(प्रतिशत)	८५

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

अनुसूची

क्रम-संख्या	पद का नाम	वर्तमान वेतन-क्रम	पुनरीक्षित वेतन-क्रम
		रु०	रु०
१	कार्य अधिकारी ..	३००–२०–४००–२५–६००	२५०–२५–४००–द० रो०–५०–५३०––द० रो०–३०–७००–द०रो०–५०–८५०–(३०० रु० प्रारम्भिक वेतन)
२	कार्यालय अधीक्षक	२००–१०–२५०	२२०–१०–२८०–द० रो०–१२–३४०।
३	लेखाकार ..	१५०–६–२१०–८–२५०	१७५–८–२१५–द० रो०–१०–२७५–द० रो०–१२ १/२–३५०
४	अनुभागीय प्रधान लिपिक	१५०–८–१६०	१७५–१०–२२५–द० रो०–१२१/२–२५०।
५	सहायक लेखाकार	१००–५–१५०–१७१/२–१६५	१२०–६–१५०–द० रो०–७–१८५–द० रो०–७–२२०–द० रो०–१०–२४०।
६	विभागीय या अनुभागीय लेखाकार ..	६०–५–१२०–६–१८०	१००–५–१२५–द० रो०–७–१६०–द० रो०–८–२००।
७	कोषाध्यक्ष ..	७५–४–६५–५–१५०	६०–५–११५–द० रो०–६–१४५ द० रो०–७–१८०।
८	लेखा लिपिक	७५–४–६५–५–१५०	६०–५–११५–द० रो०–६–१४५–द० रो०–७–१८०।
९	प्रथम श्रेणी लिपिक (टंकक सहित)	७५–४–६५–५–१५०	६०–५–११५–द० रो०–६–१४५–द० रो०–७–१८०।
१०	द्वितीय श्रेणी लिपिक (टंकक सहित)	६०–३–६०–५–१२०	७५–४–६५–द० रो०–५–१२० द० रो०–६–१५०।
११	स्टोर कीपर ..	७५–४–६५–५–१५० (१५ रु० विशेष वेतन सहित)	१००–५–१२५–द० रो०– ७–१६०–द० रो०–८–२०० (बिना विशेष वेतन।)
१२	आशु लिपिक	७५–४–६५–५–१५०	६०–५–११५–द० रो०–६–१४५–द० रो०–७–१८०।
१३	जीप तथा पिकप के शोफर या ड्राइवर	३०–११/२–४५–११/२–६०–५०–२–६०–द० रो०–३–७५–द० रो०–३–६०–द० रो०–५–१००।
१४	लारी, ट्रक या ट्रैक्टर ड्राइवर्स।	..
१५	दफ्तरी तथा जमादार	३०–१–३५	४०–१–४५–द० रो०–२–५५।

क्रम-संख्या	पद का नाम	वर्तमान वेतन-क्रम	पुनरीक्षित वेतन क्रम
		रु०	रु०
१६	चपरासी, अर्दली, रसोइया पूर्ण कालिक निम्न श्रेणी के कर्मचारी।	२०-१/२-२५ (जिला हेडक्वार्टर्स पर ५ रु० विशेष वेतन)	३०-१-३५-द० रो०-१-४०। (बिना विशेष वेतन)
१७	ट्रक, लारी ट्रेक्टर और रोड रोलर के क्लीनर।	२५-१-३०-१ १/२-३६	४०-२-५०-द० रो०-२-६०
१८	आरबोरी कल्चर सुपरवाइजर (प्रशिक्षित)	६०-४-८०-५-१२०	७५-४-९५-द०रो०-५-१२०-६-१५०।
१९	आरबोरी कल्चर सुपरवाइजर (अप्रशिक्षित)	४५-२-६५-२ १/२-९०	६०-२-७०-द०रो०-३-८५-द० रो०-३-१००-द० रो०-४-१२०।
२०	प्रधान माली	२५-१-३०-१-३५ (७.५० रु० विशेष वेतन सहित)	४०-१-४५-द० रो०-२-५५ (बिना विशेष वेतन)
२१	माली ..	२५-१-३०-१-३५	३५-१-४०-द० रो०-२-५०
२२	अभियन्ता ..	(१) २५०-२५-४००-३० -७००-५०-८५० विशेष वेतन-क्रम।	३००-२५-४००-द० रो०-३०-५५०-द० रो०-३०-७००-द० रो०-५०-९०० (३५० रु० से प्रारम्भ)।
		(२) ३००-२०-४००-२५ ६००। (क्वालीफाइड के लिये)	
		(३) २२०-२०-४००-२५-५०० (अन क्वालीफाइड के लिये)	२५०-२०-३५०-द० रो०-२५-४००--द० रो०-३०-६००।
२३	ओवरसियर (प्रशिक्षित)	१२०-५-१५०-७ १/२-२४०	१५०-७-१८५-द० रो०-८-२२५-द० रो०-९-२७०-द० रो०-१०-३००।
२४	ड्राफटसमैन (प्रशिक्षित)		
२५	कमप्यूटर		
२६	ओवरसियर (अप्रशिक्षित)	७५-४-९५-५-१५०	९०-५-११५-द० रो०-६-१४५-द० रो०-७-१८०।
२७	ड्राफट्समैन (अप्रलिक्षित)		
२८	ट्रेसर ..	५०-२-६०-४-१००	६०-३-७५-द० रो०-४-९५-द० रो०-५-१२०।
२९	वर्क ऐजेन्ट या सुपरवाइजर उच्च पद के लिये अधिकृत	४०-२-६०-२ १/२-८०	५०-२-६०-द० रो०-३-७५-द० रो०-५-१००।
३०	रोड रोलर ड्राइवर	५०-३-८० (१० रु० विशेष वेतन)	६५-३-८०-द० रो०-४-१००। (बिना विशेष वेतन)।

क्रम-संख्या	पद का नाम	वर्तमान वेतन-क्रम	पुनरीक्षित वेतन-क्रम
३१	कारपेन्टर, फिटर तथा लोहार	४५–२–६५–२ १/२–९०	६०–२–७०–द० रो०–३–८५–द० रो०–४–१२० ।
३२	चिकित्सा अधिकारी (एम०बी०बी० एस० या समकक्ष डिग्री युक्त)	२३५–१५–३१०–२०–४२०–२५–६०० ।	२५०–२५–४००–द०रो०–३०–५५०–द० रो०–३०–७००–द० रो०–५०–७५० ।
३३	चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद या यूनानी डिग्री प्राप्त ।	२२५–१५–३६०–२०–५००	२२५–१५–३००–द० रो०–१५–३६०–२०–३८०–द०रो०–२०–५०० (प्रेक्टिसिंग) ।
३४	चिकित्सा अधिकारी एल०एस०एम०ए० एफ० या एल० सी० पी० सी० डिप्लोमा प्राप्त ।	१२०–४–१६०–८–२००	१५०–६–१८०–द० रो०–१०–२२०–द० रो०–१०–२६० ।
३५	चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथ)	(१) १२०–४–१६०–८–२०० । (२) ७५–५–१२०–८–२०० (केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिये) ।	१५०–६–१८०–द० रो०–१०–२२०–द० रो०–१०–२६० । १००–६–१३०–द० रो०–८–१७०–द० रो०–१०–२२०–द० रो०–१०–२४० । (केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिये)
३६	वैद्य तथा हकीम (प्रशिक्षित)	१२०–४–१६०–८–२००	१५०–६–१८०–द० रो०–१०–२२०–द० रो०–१०–२६० ।
३७	वैद्य तथा हकीम (अप्रशिक्षित)	(१) ६०–४–१००–५–१२० (छूट प्राप्त कर्मचारियों के लिये) (२) ५०–२–८० (जिन्हें छूट दी गई) ।	(१) ७५–४–९५–द० रो०–५–१२०–द० रो०–६–१५० । (छूट प्रात कर्मचारियों के लिये जिन्हें छूट नहीं दी गई है) । (२) ५०–२–६०–द०रो०–३–७५–द० रो०–५–१०० (जिन्हें छूट नहीं दी गई) ।
३८	प्रशिक्षित ऐलोपैथिक कम्पाउन्डर ।	७५–५–१२०	१२०–६–१८०–द० रो०–८–२२० ।
३९	अप्रशिक्षित एलोपैथिक कम्पाउन्डर	४०–२–६०	५०–२–६०–द० रो०–३–७५ ।
४०	कम्पाउन्डर (होम्योपथिक) एवं देशी चिकित्सालय (प्रशिक्षित)	४५–२–६५–३–८०–४–१०० ।	१००–४–१२०–द० रो०–४–१६० ।
४१	कम्पाउन्डर (होम्योपैथिक) एवं देशी चिकित्सालय (प्रशिक्षित)	२५–१–३०–११/२–३९ या ३५–१ १/२–४४–२–६०	४५–२–५५–द० रो०–२–६५–द० रो०–२–७५

क्रम-संख्या		वर्तमान वेतन-क्रम	पुनरीक्षित वेतन-क्रम
४२	मेल, फीमेल नर्स ट्रेन्ड तीन वर्ष नर्सिंग एवं एक वर्ष मिड-वाइफरी	६५–५–६०–५–१२०	७५–५–१००–द० रो०–६–१३६–द० रो०–७१/२–१५०।
४३	अप्रशिक्षित मेल व फीमेल नर्स।	४०–२–५०–३–६५	५०–२–६० द० रो०–३–७५–३–६०–द० रो०–५–१००।
४४	मिडवाइफ	४५–२–६५–३–८०–४–१००।	६०–३–७५–द० रो०–३–६०––द० रो० –४–११०–द० रो०–५–१२०।
४५	दाई	३०–१/२–४५	४०–२–५०–द० रो०–२–६०।
४६	ड्रेसर		
४७	सैनिटरी इन्सपैक्टर	१२०–५–१५०–७ १/२–२१०	१५०–६–१८०–द० रो०–१०–२६०।
४८	सहायक अधीक्षक वैक्सीनेशन	६०–३–७५–५–६०	७५–५–१००–द० रो०–५–१२०।
४९	वैक्सीनेटर ..	३५–१/२–५०–२–७०	५०–२–६०–द० रो०–३–७५–द० रो०–३–६०–द० रो०–५–१००।
५०	कर अधिकारी	२००–१०–२५०–१५–४००	२२०–२०–३००–द० रो०–२०–४००–द० रो०–२५–५००।
५१	रेवेन्यू अधीक्षक	१२०–५–१५०–७ १/२–२४०	१५०–७–१८५–द० रो०–८–२२५–द० रो०–९–२७०–द० रो०–१०–३००।
५२	टैक्स इन्सपैक्टर तथा अन्य रेवेन्यू इन्सपेक्टर।	७५–४–९५–५–१५०	९०–५–११५–द० रो०–६–१४५–द० रो०–७–१८०।
५३	टैक्स अमीन		
५४	टैक्स कलेक्टर तथा टैक्स मोहर्रिर	४०–२–६०–२ १/२–८०	५०–२–६०–द० रो०–४–८०–द० रो०–४–१००।
५५	पौन्ड मुहर्रिर तथा तहबाजारी मुहर्रिर		
५६	पाउन्ड कीपर	३५–१/२–५०–२–७०	४५–२–५५–द०रो०–३–७०।
५७	वेटेरीनरी सहायक सर्जन ग्रेड १।	२००–१५–४५०	२००–१५–२७५–द० रो०––१५–३५०–द० रो०–२०–४५०।
५८	वेटेरिनरी सहायक सर्जन ग्रेड २।	१२०–६–२१०–१०–२५०	१६०–८–२००–द० रो०–१०–२५० द० रो०–१०–२८०।
५९	वेटेरीनरी कम्पाउन्डर (प्रशिक्षित)	७५–५–१२०	१००–४–१२०–द० रो०–५–१४५–द० रो०–५–१७०–द० रो०–५–१८०।

क्रम-संख्या	पद का नाम	वर्तमान वेतन-क्रम	पुनरोक्षित वेतन-क्रम
६०	वेटेरीनरी कम्पाउन्डर (अप्रशिक्षित)	४५–२–६५	७५–२–८५–२० रो०–३–१००–द० रो०–३–११५।
६१	स्टाकमैन	(१) ७५–५–१२०	(१) १२०–६–१५०–द० रो०–६–१८०–द० रो०–८–२२० (डेढ़ वर्ष प्रशिक्षण)
		(२) ४५–२–६५–३–८०	(२) ८०–३–९५–द० रो०–३–११०–द० रो०–३– १४० (एक वर्ष प्रशिक्षण)

अनुसूची

जिला परिषद् के कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के संबंध में नीचे लिखी तालिका देखी जाये

	वेतन	महंगाई भत्ता
(१) राजाज्ञा संख्या आर–५७ नौ–४६७–४९, दिनांक ११–६–१९४९	५० रु० तक	२० रु० प्रतिमाह
	५१ रु० से ४५० रु० तक	२५ रु० प्रतिमाह
	४५१ रु० से ४७४ रु० तक	मार्जिनल ऐडजेस्टमेन्ट
(२) राजाज्ञा संख्या २७४२ए/ ९ए–१(४४४)/१९५७, दिनांक १० दिसम्बर, १९५७ ।	जिनका मासिक वेतन महंगाई भत्ते के साथ ९५ रु० कुल मासिक उपलब्ध हो उन्हें ५ रु० मासिक महंगाई भत्ता और दिया जाय और जहां कुल उपलब्धियों ९५ रु० मासिक हो उन्हें सीमान्त समायोजन के रूप में दिया जा सकता है । शर्त यह है कि उसकी कुल उपलब्धियां १०० रु० से अधिक न हो ।	
(३) राजाज्ञा संख्या १५९०ए/ ९ए–१बी० २०४/५९, दिनांक २३ जुलाई, १९५९ ।	जिनकी कुल मासिक उपलब्धियां (अर्थात् वेतन वैयक्तिक वेतन यदि कोई हो) और महंगाई भत्ता जिसमें (उक्त क्रमांक २ पर दिखाई गई राजाज्ञा के अनुसार) ९७.५० प्रतिमास से अधिक न हो, पहले से मिलने वाले महंगाई भत्ते के अतिरिक्त २.५० रु० महंगाई भत्ते के रूप में और दिये जायें, तथा जिनकी कुल मासिक उपलब्धियां (वेतन, वैयक्तिक वेतन यदि कोई हो) और महंगाई भत्ता १०० रु० प्रतिमास से अधिक हो किन्तु २०० रु० प्रतिमास से अधिक न हो, पहले से मिलने वाले महंगाई भत्ते के अतिरिक्त ५ रु० और महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाये ।	

	वेतन	महंगाई भत्ता
(४) राजाज्ञा सं० ३६१ए/९ए-१-(२६७)/६०, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६०	१-४-१९६१ से लागू वेतन	महंगाई भत्ता
	५० रु० तक	३३ रु०
	५१ रु० से १०० रु० तक	३५ रु०
	१०१ रु० से १०४ रु० तक	१३५ रु० से जो कम हो
	१०५ रु० से १७५ रु० तक	३० रु०
	१७६ रु० से ४५० रु० तक	३० रु०
	४५१ रु० से ४७६ रु० तक	४८० रु० प्रतिमाह से जो कम हो।
(५) राजाज्ञा सं० ४९ए/३३-९४बी/१९६२, दिनांक ९ अप्रैल, १९६५।	२०० रु० तक के वेतन पर	५ रु० विवेक भत्ता १-४-६५ से
(६) राजाज्ञा संख्या १०३४क/३३-९४बी/१९६२, दिनांक २१-२-१९६६।	५ रु० से १० रु० तक	अतिरिक्त महंगाई भत्ता १-४-६५ से
(७) राजाज्ञा संख्या १७५क/३३-१९६७, दिनांक १२-१-१९६७	१० रु०	अंतरिम सहायता
(८) राजाज्ञा संख्या ६०६क/३३-दिनांक ८ फरवरी, १९६७	४५१ रु० से ८५० रु० तक	४० रु०
(९) राजाज्ञा संख्या २०८८क/३३-२२४/६५, दिनांक १२ जून, १९६८	५ रु०	१०० रु० तक के वेतन पर १-४-६८ से

वर्तमान समय में दिये जाने वाले महंगाई भत्ते का आर्डर

मासिक वेतन	महंगाई भत्ता
५० रु० तक	५८ रु०
५१ रु० से १०० रु० तक	६० रु०
१०१ रु० से १०४ रु० तक	५५ रु०
१०५ रु० से २०० रु० तक	५५ रु०
२०१ रु० से ४५० रु० तक	५० रु०
४५१ रु० से ८५० रु० तक	४० रु०

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७२ तथा ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

प्रश्न संख्या ७२

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर के अधीनस्थ श्रम सेवाओं के विभिन्न मंत्रियों के पदों की स्थिति निम्नलिखित है :—

वर्ग	वेतनक्रम	पदों की संख्या		योग	संरक्षित स्थानों की संख्या	अनुसूचित		योग
		स्थायी	अस्थायी			स्थायी	अस्थायी	
ग्रुप १	२२५–५००	१	..	१	..	..	..	..
,,	२००–४५०	..	१	१	.	..	..	..
ग्रुप २	२००–४००	१४७	१७	१६४	२६	४	३	७
,,	१७५–३००	३०	६	३६	६	..	..	..
ग्रुप ३	१६०–२८०	८६	१६	१०२	१८	३	५	८
ग्रुप ४	१२०–२५०	५८	६	६४	११	१	..	१
,,	१४०–२८०	१०	२	१२	२	..	..	..

अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के संरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति के लिये शासन के निर्देश शासनादेश संख्या ६५/३/६६–रा०ए०वी० (एम०आर०–१३) दिनांक ६ जून, १६६६ में हैं जिनके अनुसार ४५ प्रतिशत तक अनुसूचित जातियों से नियुक्तियां करने का प्रयत्न किया जाता है। अधीनस्थ श्रम सेवा के श्रेणी १, २ और ३ के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विभाग ने उक्त शासनादेश जारी होने के पश्चात् जो भी भर्तियों के अभियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे हैं उनमें आयोग से यह प्रार्थना की है कि ४५ प्रतिशत भर्ती अनुसूचित जातियों से की जाये। उदाहरणार्थ लोक सेवा आयोग को दो पद हितकारी अधीक्षकों और १५ पद श्रम निरीक्षकों की भर्ती हेतु जो अधियाचन भेजे गये हैं उनमें यह लिखा गया कि आयोग ४५ प्रतिशत अनुसूचित जाति की भर्ती की अनुशंसा करें। हितकारी अधीक्षकों की नियुक्ति के विषय में आयोग ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। श्रम निरीक्षकों की भर्ती के विषय में लोक सेवा आयोग ने अभी चयन नहीं किया है।

अधीनस्थ श्रम सेवा श्रेणी ४, जिनकी नियुक्तियां श्रमायुक्त ही करते हैं, में भी अनुसूचित जाति का निर्धारित संरक्षण पूर्ण नहीं है। इन भर्तियों के सम्बन्ध में भी उक्त वर्णित नीति ही अपनाई जा रही है। ६ जून, १६६६ के बाद से इस श्रेणी में रु० १२०–२५० के वेतन-क्रम में ८ व्यक्तियों की भर्तियां प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर हुई हैं। इस परीक्षा में कोई अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ अतएव उनकी भर्ती करना सम्भव नहीं हो सका।

प्रश्न संख्या ७३
उत्तर

अधीनस्थ श्रम सेवा के विभिन्न श्रेणियों में अभी कुछ स्थाई पद पड़े हैं जिन पर कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाना है उन सभी पदों का विवरण निम्नलिखित हैं :—

श्रेणी	वेतन-क्रम	स्थायी पदों की संख्या जिन पर स्थायीकरण किया जाना है	दिनांक जब से स्थायी घोषित हैं अथवा रिक्त हैं	स्थायी न किये जाने का कारण
१	२२५–५००	१	जुलाई ६९ से	इस पद के स्थायी कार्य करने वाले कर्मचारी की तारीख १७–६–६९ को मृत्यु हो गई है और आयोग को इस पद को भरने के हेतु अधियाचन भेजा जा रहा है ।
२	२००–४००	४१	२६ पद १–४–६८ से १३ पद १–४–६७ से २ पद १९६६ से	३८ पदों पर स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है । तीन पदों के कर्मचारियों को कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण स्थायीकरण करना स्थगित रखा गया है ।
३	१७५–३००	७	१ पद १९६६ २ पद १९६९ ४ पद १९६८	इन ७ पदों में से २ पद पर स्थायीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है और शेष ५ पदों के कर्मचारी अभी प्रोबेशन में कार्य कर रहे हैं अतः उनके स्थायीकरण का अभी प्रश्न नहीं उठता ।
४	१६०–२८०	३८	२१ पद १–४–६७ १७ पद १–४–६८	स्थायीकरण के मामले विचाराधीन हैं ।
५	१२०–२५०	१८	२ पद १–४–६४ ७ पद १–४–६७ ९ पद १–४–६८	स्थायीकरण का मामला विचाराधीन हैं ।
	१४०–२८०	१	१ पद १–४–६८	

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

जिला परिषद्, फैजाबाद के लेखाओं की विशेष समीक्षा में उल्लिखित अनियमिततायें

१—क्रय से सम्बन्धित कार्यवाही में अनियमिततायें—

(१) अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से ५ जनवरी, १९६७ को ४२ प्रकार की वस्तुओं के लिए निविदायें आमंत्रित की गई। निविदा सूचना में वस्तुओं में निर्दिष्टियां (specification) प्रकार, आवश्यक मात्रा अथवा संख्या एवं अन्य विवरण नहीं दिये गये थे।

(२) फाइल पर दिये गये एक नोट के अनुसार कुल ४७ टेन्डर प्राप्त हुये परन्तु तुलनात्मक तालिका में केवल ३८ निविदाओं का विवरण दर्ज था तथा समप्रीक्षा में प्रस्तुत फाइल में भी ३८ निविदायें पायी गई। इनमें से भी एक कम्पनी द्वारा दो बार भेजी गई निविदाओं को शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार ८ निविदाओं का कोई विवरण उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(३) ५ फर्मों की निविदायें निर्धारित टेन्डर फार्म में प्राप्त नहीं हुई थी। अधिकांश टेन्डरों में न तो नमूने देने का विवरण दिया गया न अर्नेस्ट मनी ही जमा करने का विवरण दिया गया था।

(४) कुछ ऐसी वस्तुओं को क्रय करने हेतु चयन किया गया था जिनका मूल्य निम्नतर दरों से अधिक था।

(५) क्रय किये जाने वाली वस्तुओं की तालिका मुख्य अधिकारी के स्थान पर लेखा नियम १९ के प्रतिकूल अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा उनके आदेश प्राप्त किये गये जो अनियमित था।

(६) स्कूलों के आवश्यकतानुसार चार्टों को क्रय नहीं किया गया था।

(७) अनावर्त्तक राजकीय अनुदानों से क्रय किये जाने वाले सामानों के लिये सम्बन्धित अनुदानों की शर्तों के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। बेसिक प्रासंगिक सामानों के क्रय हेतु चयन समिति की संस्तुति तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था जो प्राप्त नहीं किया गया।

२—निविदाओं से सम्बन्धित अनियमिततायें

(१) उप प्रति विद्यालय निरीक्षकों द्वारा संकलित सामानों की तालिका में निर्दिष्ट संख्या से कहीं अधिक सामाज जैसे जूट की दरी, हजारा तथा कई प्रकार के चार्ट आदि क्रय किये गये थे जिनका उल्लेख आवश्यकता की तालिका में नहीं था। टेन्डर फार्म भेजने हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। अधिकांश ठेकेदारों ने सम्भवतः मिल कर मूल्यों की दरों को अपने टेन्डरों में भरी थीं। चूंकि टेन्डर में निर्दिष्टियां (specification) और मात्रा नहीं दी गई थी। अतः टेन्डर देने वालों को बाध्य हो कर परिषद् कार्यालय में आकर अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना पड़ा और तत्पश्चात् उन्होंने अपने टेन्डर और दिये। निविदाओं में काट-पीट एवं पुनर्लेखन निविदा खोलने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किये गये अर्नेस्ट मनी भी कम ही लोगों ने जमा किया था। निविदा सूचना में अन्य दृष्टियों से कई त्रुटियां थीं जिनके कारण निविदा मांगने का काफी औचित्य एवं महत्व समाप्त हो गया था।

३—क्रय से सम्बद्ध अनियमिततायें

(१) क्रय योग्य वस्तुओं की संख्या का निर्धारण विद्यालयों की संकलित तालिका के अनुसार नहीं था। प्रायः सभी वस्तुयें आवश्यकता से अधिक क्रय की गईं जिनके पीछे धन को व्यय करने की भावना मात्र प्रतीत होती है जो अनुचित था।

(२) नवीन विद्यालय खोलने तथा पुराने विद्यालयों के सामानों की पूर्ति करने के लिये शासकीय योजनाओं पर ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया गया। आवर्तक व्यय को कम कर के अनावर्तक व्यय हेतु धन एकत्रित किया जाता रहा। इस प्रकार की बचत को शिक्षा निधि में परिवर्तित करने के लिये तथा बचत के उपयोग के लिये न तो शासन के आदेश प्राप्त किये गये और न बचत शासन को वापस ही की गई।

(३) किसी भी अभिलेख से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि क्रय किये गये साज-सज्जा एवं उपकरण नये विद्यालयों के लिये थे अथवा पुराने विद्यालयों के लिये।

(४) अनियमित तरीके से १०,००० रु० या इसके अधिक मूल्य की वस्तुयें बिना परिषद् की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये हुये क्रय कर लीं गईं।

४—विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के क्रय करने में अनियमितताये

(१) तिवारी फर्नीचर्स, फैजाबाद से ऊंची दरों पर ५०७ मेजें, , २२० बेत की सीटों वाली हत्थेदार कुर्सियां तथा ४०६ लकड़ी की सीटों वाली हत्थेदार कुर्सियां क्रमशः रु० ३२.७५, रु० २२.५० तथा रु० १८.९५ प्रति अदद क्रय की गई। कुछ मेजों के पाये शीशम के न हो कर सिरसा के थे। कुछ मेजों की लम्बाई व चौड़ाई नमूने के रूप न थी। बिल में बिक्री कर ८ प्रतिशत के स्थान पर १० प्रतिशत लगाया गया था।

(२) हनुमान जूट मिल्स, कलकत्ता से ५,००० टाटपट्टियों रु० १५.५० प्रति पट्टी के दर से क्रय की गई जब कि उन्होंने पट्टियों के हेतु १७ दरें रु० ७.८० से लेकर रु०१५.५० प्रति पट्टी तक थी।

हनुमान औद्योगिक संस्थान से ५,००० टाटपट्टियां रु० १५.९५ प्रति टाटपट्टी की दर से क्रय की गईं। केवल रु० १५.५० के स्थान पर रु० १५.९५ मूल्य की टाटपट्टी क्रय करने से परिषद् को २,४९५ रु० की हानि हो रही है।

मुख्य अधिकारी ने आपत्ति की थी कि हनुमान जूट मिल्स कलकत्ता ने जो टाटपट्टियां सप्लाई की हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिये जब तक टाट की पट्टियां सिलाई और डिजाइन स्वीकृत नमूनों के अनुरूप न हो। मुख्य अधिकारी की आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(३) सुरेन्द्र कुमार एन्ड ब्रदर्स, फैजाबाद से १,२०२ हजारे, ७०२ बड़ी बाल्टियां और ७०५ छोटी बाल्टियां ऊंची दरों पर क्रय की गई।

(४) भारत सेना शिक्षा स्टोर्स से ऊंची दरों पर मानचित्र आदि क्रय किये गये।

(५) श्री विंदेश्वरी ट्रेनिंग कारपोरेशन से ३,५०१ डस्टर रु० १.७० प्रति डस्टर से क्रय किये गये। यह दर अन्य फर्मों द्वारा दी गई दर से काफी ऊंची थी।

(६) राकेश सप्लाई स्टोर्स, कानपुर से १,४०८ ताले रु० ५.७५ प्रति ताले की दर से क्रय किये गये जब कि तालों के लिये रु० ३.१० से लेकर रु० ५.२३ तक की दरें और भी प्राप्त थी। ऊंची दर पर ताले क्रय करने का कोई कारण नहीं दिया गया था।

(७) सुधीर एन्ड कम्पनी, कानपुर को ६०३ लोहे के बक्से, १,००४ लोहे के श्यामपट तथा ६०० बाल फ्रेम क्रमशः रु० २६.१७ तथा १५ रु० प्रति अदद से सप्लाई करने का आदेश दिया गया। बाल फ्रेम तथा श्यामपट नमूने के अनुरूप नहीं पाये गये जिसके लिये विषयक फर्म से स्पष्टीकरण मांगने के आदेशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। लोहे के बक्से के लिये रु० २१.२५ तथा रु० २२.९० की दरें भी दो अन्य फर्मों से प्राप्त हुई थीं परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।

(८) बीनस ट्रेडिंग कारपोरेशन, सुल्तानपुर से ९०१ पीतल के लोटे ऊंची दर पर क्रय किये गय।

(६) अवध प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद को रजिस्टर एवं फार्मों की पूर्ति के आदेश दिये गये यद्यपि उनका टेन्डर ऊंची दरों वाला था ।

५—वर्ष १९६५-६६ में क्रय किये गये सामानों में बरती गई कुछ अनियमिततायें :—

(१) वर्ष १९६५-६६ में सामानों के क्रय करने में लगभग उसी प्रकार की सभी अनियमितितायें बरती गई थीं जो १९६६-६७ में बरती गईं । जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । कुछ वस्तुओं को क्रय करने में बरती गई अनियमितताओं का संक्षिप्त ब्योरा निम्नलिखित है

(२) टाटपट्टियां—निविदा सूचना में वांछित निर्दिष्टियों का विवरण नहीं दिया गया था जिसके कारण यह ज्ञात करना कठिन था कि एक ही प्रकार की टाटपट्टी के लिये तुलनात्मक निम्नतर किस संस्था की थी । निविदायें खुल जाने के पश्चात् छूट देकर दर को स्वीकृत किया गया जो नितान्त अनुचित था । उचित स्वीकृति के बगैर १,०८,००० रु० के स्वीकृत प्राविधान के स्थान पर १,२६,३०६ रु० की टाट पट्टियां क्रय की गईं जो अनियमित था । न्यून दरों को स्वीकार न करने का कोई कारण तथा औचित्य न था ।

(३) कानपुर औद्योगिक संस्थान, कानपुर से २८ रुपये प्रति बाक्स की दर से लोहे के बक्से खरीदे गये जिसके लिये ११ फर्मों से दरें प्राप्त थीं । सब से कम दर २२.५० रु० की थी । अधिक दर की संदूक क्रय करने के कारण २,८३२ रु० ५० पै० का अधिक भुगतान करना पड़ा ।

(४) लोहे की १९३ अस्तरी, विजय ग्रदर्स, कानपुर से १३ रुपये प्रति की दर से खरीदी गईं । निम्नतम दर ९.५० रु० प्रति अस्तरी से क्रय न करने के कारण ६७५ रु० ५० पै० का अधिक भुगतान करना पड़ा जिसके लिये कोई उचित कारण नहीं बताया जा सका ।

(५) १६ रु० प्रति कुर्सी की दर से २,००० कुर्सियां क्रय करने का प्राविधान था जिसके स्थान पर २१.५० रु० की दर से १,९९३ लोहे की कुर्सियां क्रय की गईं । ३० कुर्सियों को दोषयुक्त पाया गया तथा १४७ कुर्सियां verification के समय अनुपस्थित पाई गईं । इतने पर भी संस्था को पूर्ण भुगतान कर दिया गया जो अनुचित था ।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

फूलपुर प्रायोजना क्षेत्र में ५,००० रुपये या उससे अधिक ऋण प्राप्तकर्ताओं एवं सदुपयोग करने वालों की सूची

परिशिष्ट (क)

क्रम सं०	ऋण प्राप्त कर्ता का नाम		धनराशि	प्रयोजन
१	२		३	४
	फलपुर (१९६४-६५)		रु०	
१	श्री मकबूल अहमद	..	६,०००	स्टील ट्रंक
२	,, रामनाथ	..	१०,०००	आयल एक्सपेलर
३	,, महादेव प्रसाद	..	१३,०००	ईंट भट्ठा
४	,, राम सुमेर	..	१५,०००	,,
५	,, निहाल अहमद	..	५,०००	नट-बोल्ट
६	,, घनश्याम	..	१५,०००	ईंट भट्ठा
७	,, बाल गंगाधर तिवारी	..	१२,०००	कृषि यन्त्र
८	,, किशोरीलाल अग्रवाल	..	१५,०००	नेंफ्थलीन
	बहादुर पुर			
९	श्री राजबहादुर सिंह	..	७,०००	आटा, रुई व तैल पेरना
१०	,, रामखेलावन मौर्या	..	१५,०००	प्लास्टिक का सामान
११	,, मुहम्मद यूनुस	..	५,०००	जूता बनाना
१२	,, सीताराम	..	८,१००	टीन बाक्सेज
१३	,, त्रिभुवन नाथ दुबे	..	७,०००	चश्मे के फ़्रेम
१४	,, भगवान दीन	..	९,२००	ईंट भट्ठा
	प्रताप पुर			
१५	श्री छोटे लाल शर्मा	..	६,०००	बढ़ई का काम
१६	,, राजा राम सिंह	..	१५,०००	ईंट भट्टा
	फूलपुर (१९६५-६६)			
१	श्री रामनाथ यादव	..	१०,०००	इंजीनियरिंग वर्क्स
२	,, रमापति मिश्र	..	९,०००	आयल एक्सपेलर
३	मेसर्स चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०, फूलपुर		५,०००	चर्म उद्योग
४	श्री बृज राज सिंह	..	५,०००	आयल एक्सपेलर
५	,, राम चन्द्र गुप्त	..	१५,०००	रंगाई एवं छपाई
६	,, मुन्नी राम	..	५,०००	आयल एक्सपेलर
७	,, मुहम्मद इलियास	..	१५,०००	लोहे की अलमारी
८	,, हरीशचन्द्र गुप्त	..	१०,०००	रेडी मेड गारमेंट

१	२	३	४
	बहादुर पुर	रु०	
९	श्री मुहम्मद सफी ..	७,०००	आटा व तैल चक्की
१०	,, मनी राम ..	५,०००	आयल एक्सपेलर
११	,, राम नारायन ..	५,०००	प्लास्टिक का सामान
१२	,, भोला सिंह ..	९,०००	चर्म उद्योग
१३	,, बंसराज सिंह ..	८,०००	आयल एक्सपेलर
१४	,, मुहम्मद रफी ..	७,०००	आटा चक्की
१५	,, मुहम्मद याकूब ..	५,०००	चर्म शोधन
१६	,, रुद्र प्रताप सिंह ..	५,०००	आयल एक्सपेलर
१७	,, शिवराम गुप्त ..	१०,०००	मशीन (स्क्रू बनाने वाली)
	प्रताप पुर (१९६५-६६)		
१८	,, श्री केवल प्रसाद पांडे ..	१०,०००	नेवाड़ मेकिंग
१९	,, राम नाथ ..	५,०००	कंबल बुनाई
२०	,, राज नारायण पांडे ..	८,०००	,,
२१	,, विश्वनाथ सिंह ..	५,०००	होजरी उद्योग
२२	,, राम नायायण (फुलपुर ब्लाक) ..	५,०००	प्लास्टिक फाउन्टेन पेन
	फुलपुर (१९६६-६७)		
१	श्री अकबर हुसैन उर्फ अच्छे ..	१०,०००	परशियन व्हील
२	श्रीमती काफिया बेगम ..	५,०००	लकड़ी का बिजली का सामान
३	श्रीमती अख्तर फातिमा ..	२५,०००	बोनमील
४	श्री रामचन्द्र गुप्त ..	२५,०००	रंगाई एवं छपाई
५	,, शतीश चन्द्र ..	२०,०००	नेफ्थलीन पाउडर
६	,, मुहम्मद रशीद ..	१०,०००	रिविट मेकिंग
७	,, राजाराम ..	१०,०००	आयल एक्सपेलर
८	,, सीताराम ..	१०,०००	,,
९	,, बीड़ी उद्योग सहकारी समिति लि०	१०,०००	बीड़ी उद्योग
	बहादुर पुर		
१०	श्री शिवआत्मा राम ..	५,०००	मधु-मक्खी पालन उद्योग
११	,, राधेश्याम ..	५,०००	,, ,,
१२	,, राम कृपाल सिंह ..	८,०००	ईंट भट्ठा
	फुलपुर (१९६७-६८)		
१	श्री घनश्याम दुबे ..	८,०००	पावर लूम
२	,, माता प्रसाद ..	६,०००	,,
३	,, नरसिंह राम शुक्ल ..	५,०००	छपाई का कारखाना
	बहादुर पुर		
४	श्री अशोक कुमार ..	५,०००	होलडाल एवं सिले-सिलाये वस्त्र ।

१	२	३	४
	प्रतापपुर	रु०	
५	श्री राम नरेश गुप्त ..	५,०००	बढ़ई गीरी
६	,, शंकर जैसवाल ..	६,०००	,,
७	,, सियाराम ..	७,०००	चर्म उद्योग
	फुलपुर ब्लाक (१९६८-६९)		
१	श्री मुहम्मद अली ..	१०,०००	इंजीनियरिंग
२	,, भगवान प्रसाद गुप्त ..	८,०००	बढ़ईगीरी
३	,, लक्ष्मी नारायण ..	८,०००	चश्मे के फ्रेम
४	,, जोखू राम ..	५,५००	आइसक्रीम बनाना
५	,, रामानन्द ..	५,०००	साबुन उद्योग
	बहादुर पुर		
६	श्री नसीम ..	५,०००	स्टील फर्नीचर
७	,, सुरेन्द्र प्रताप सिंह ..	६,०००	चन सुर्खी
८	,, राज कुमार .	७ ०००	होजरी उद्योग
	प्रताप पुर		
९	श्री यदुनाथ सिंह ..	६,०००	आइस कैंडी
१०	,, मकसूदन लाल ..	५,०००	वेल्डिंग इंडस्ट्री
११	,, जगन्नाथ ..	६,०००	जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स
	कुल योग ..	५,८७,५००	

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

फूलपुर प्रायोजना क्षेत्र में ५.००० रुपये या उससे अधिक ऋण प्राप्तकर्ताओं एवं दुरुपयोग करने वालों की सूची

परिशिष्ट (ख)

क्रम संख्या	ऋण प्राप्त कर्ता का नाम	धनराशि	प्रायोजन	वसूली के लिए की गई कार्यवाही	प्रगति — वसूली की गई धनराशि	बाकाया धनराशि के लिये की गई वसूली की कार्यवाही	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
	फूलपुर (१९६४–६५)	रु०			रु०		
१	श्री बद्री प्रसाद ..	५,०००	लकड़ी का सामान	समस्त मामलों में कलेक्टर, इलाहाबाद को वसूली करने के लिये वसूली प्रमाण-पत्र भेज दिये गये हैं।	५,१६२.०९	संबंधित तहसीलदारों के लिये समय समय पर स्मरण कराया जाता रहा है और शीघ्र वसूली के लिये कलेक्टर, इलाहाबाद से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किये गये।	
२	,, मुहम्मद सिद्दीक	१०,०००	बढ़ईगीरी	,,	१०,९९६.१४	,,	
३	,, सहदेव ..	६,०००	फर्नीचर	,,	१,६००.००	,,	
४	,, राम प्रताप ..	१५,०००	कृषि यन्त्र	,,	१६,४५०.४१	,,	
५	,, सीताराम ..	६,०००	लकड़ी का फर्नीचर	,,	..	,,	दिवालिया घोषित होने के लिये न्यायालय में विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८
							न्यायालय द्वारा वसूली के स्थगन आदेश जारी किये गये ।
६	श्री अब्दुल मजीद ..	७,०००	चलना	,,	..	,,	
७	,, गुरु प्रसाद ..	५,०००	टिन स्लेट		५,०००		जाली जमानत ज्ञात होने पर धनराशि तुरन्त वसूल कर ली गई ।
	बहादुर पुर						
८	श्री धनराज सिंह ..	५,०००	फल संरक्षण	,,	४,२२७.०४	,,	
९	,, राम नरेश सिंह	५,८००	टिन के बक्स	,,	१७४.००	,,	
१०	,, कुंजन सिंह ..	७,०००	बढ़ाई गीरी	,,	२१०.००	,,	
	प्रतापपुर						
११	श्री पन्ना लाल ..	५,०००	तराजू बनाना	,,	१५०.००	,,	
१२	,, द्वारिका ..	८,०००	तेल घानी	,,	--	,,	
	फुलपुर (१९६५-६६)						
१	श्री अब्दुल सत्तार ..	८,०००	सीमेंट की जाली ।	,,	१,०००.००	,,	हाई कोर्ट में हैं ।
२	,, मुस्ताक अहमद ..	१०,०००	इंजीनियरिंग जाब ।	,,	९,०६६.७०	,,	मध्यस्थता में है ।
३	,, तिलक बहादुर सिंह	५,०००	आरा मशीन	,,	५,७४८.९१	,,	
४	,, कमला कांत मिश्र	१०,०००	बढ़ईगीरी	,,	७,०००.००	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५	,, हाजी फरीदुद्दीन	१५,०००	वायर पिन्स	,,	..		दिवालिया घोषित होने के लिये न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा वसूली के स्थगन आदेश जारी किये गये।
६	,, वासुदेव शुक्ला	१५,०००	नेल एवं पिन्स	,,	..	,,	
७	,, सुरेश चन्द्र ..	१५,०००	लकड़ी के केसेस	,,	..	,,	
८	,, चन्द्र बलि तिवारी	७,०००	निवाड़ मेकिंग	,,	७,५७९.२७	,,	
९	,, मुहम्मद हारुन ..	१०,०००	परफ्यूमरी	,,	..	,,	मध्यस्थता में है।
१०	,, मुहम्मद सुबेरुल्लाह	५,०००	चर्म उद्योग	,,	१,०००.००	,,	हाईकोर्ट में है।
११	,, लल्लू उर्फ मिराज अहमद	५,०००	लकड़ी की पैकिंग	,,	५,४३०.४३	,,	
१२	,, मुहम्मद कलीम सिद्दीकी बहादुर पुर	५,०००	बढ़ईगीरी	,,	१,५००.००	,,	
१३	श्री काजी मुम्मद हुसैन	५,०००	लकड़ी के केसेस	,,	५,२९९.०६	,,	
१४	श्री शिव शंकर सिंह	१३,०००	ईंट भट्ठा	,,	..	,,	
१५	,, अब्दुल सत्तार	५, ००	चाक स्टिक	,,	..	,,	
१६	,, अब्दुल रज्जाक..	१०,०००	कृषि यंत्र	,,	..	,,	
१७	,, राजा राम शुक्ल	८,०००	चश्मे के फ्रेम	,,	५००.००	,,	
१८	,, सैयद हुसेन अन्सारी	५,०००	सीमेंट जाली	,,	..	,,	
१९	,, जमीरुल हक अन्सारी	१०,०००	पी०आर०ए० आई० टाइप शौचालय	,,	७,३८०.६६	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८
	प्रताप पुर (१९६५–६६)	रु०			रु०		
२०	श्री कन्हैया लाल ..	७,०००	चूना सुर्खी	समस्त मामलों में कलेक्टर, इलाहाबाद को वसूली प्रमाण–पत्र वसूली के लिये भेज दिये गये ।	३,८३४.३४	सम्बन्धित तहसीलदारों को समय-समय पर स्मरण कराया जाता रहा है । और शीघ्र वसूली के लिये कलेक्टर, इलाहाबाद से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किये गये ।	
२१	,, बैज नाथ ..	७,०००	कम्बल बुनाई	,,	..	,,	
२२	,, दरगाही शाह ..	७,०००	बैग बनाना	,,	१,२४५.३७	,,	
२३	,, मुजफ्फर इस्लाम अन्सारी	१५,०००	रिबिट मेकिंग	,,	..	,,	
	फुलपुर ब्लाक						
	फुलपुर (१९६६–६७)						
	बहादुरपुर (१९६६–६७)						
१	श्री लाल बहादुर सिंह	५,०००	मधु मक्खी पालन	,,	१,०००.००	,,	
२	,, श्याम लाल ..	५,०००	,,	,,	..	,,	
३	,, मानिक चन्द्र ..	७,०००	लकड़ी का सामान	,,	२१४.२०	,,	
४	,, काजी मुहम्मद हुसैन	५,०००	लकड़ी के बक्से	,,	३२३.७४	,,	
५	,, प्रमेश्वर दयाल ..	५,०००	मधु मक्खी पालन	,,	२,०००.००	,,	

६	,, मुहम्मद फारुक..	५,०००	मधु मक्खी पालन	,,	५,३२०.५४	,,	
७	,, जहूर अहमद ..	५,०००	,,	,,	५,३२०.५४	,,	
८	,, मुहम्मद फुजैल	१५,०००	हास्पिटल फर्नीचर	,,	..	,,	
९	,, गुलाब ..	१५,०००	टायल्स मेंकिंग	,,	..	,,	
१०	,, मकबूल अहमद..	५,०००	मधु मक्खी	,,	..		
११	,, नजीर अहमद ..	८,०००	चर्म उद्योग	,,	४९४.५८	,,	
१२	,, अब्दुल खालिक..	१०,०००	कृषि यंत्र	,,	..	,,	
१३	,, श्रीधर दुबे ..	६,५००	प्लास्टिक का सामान	,,	..	,,	
१४	,, मुहम्मद साबिर..	७,०००	बेकरी प्रोडक्ट	,,	..	,,	
१५	,, अभय राज सिंह	१५,०००	इंट भट्टा	,,	..	,,	
	प्रतापपुर ब्लाक (१९६६–६७)						
१६	श्री श्रीपत सिंह ..	१०,०००	गुड़ खांडसारी	,,	६१६.५४	,,	
१७	,, राजा राम ..	१५,०००	अल्यूमिनियम का सामान	,,	..	,,	
१८	,, बसंत लाल ..	६,०००	तेल घानी एवं सुतली	,,	..	,,	
	बहादुर पुर (१९६७–६८)						
१	श्री सुखदेव सिंह ..	१०,०००	रेडियो ट्रांजिस्टर	,,	..	,,	
				कुल योग ..	१,२१,८४४.५६		

नत्थी 'ङ

(देखिये पीछे पृष्ठ २७९ पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका संशोधन विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २, १९६९ की धारा २०८ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २०८ में, शब्द "निर्धारण सूची तैयार हो जाने पर," के स्थान पर शब्द "जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी कक्ष के लिए निर्धारण सूची, जिसमें धारा २०७ के खंड (क) से (ङ) तक के ब्योरे दिये हों, तैयार हो जायं तब," रख दिये जायें, और जहां-जहां पर शब्द "सूची" या शब्द "ऐसी सूची" आये हों उनके स्थान पर शब्द "उक्त सूची" रख दिये जायें ।

धारा २०९ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २०९ की उपधारा (१) में, शब्द "सूची में दर्ज" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २०८ में उल्लिखित सूची में दर्ज" रख दिये जायें ।

धारा २१० का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा २१० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"२१०—(१) नगर या उसके किसी कक्ष के लिए, जैसी भी दशा हो, सूची से संबंधित आपत्तियों का निबटारा हो जाने के पश्चात्, समिति या संबंधित उप-समिति, यदि कोई हो, का सभापति उक्त सूची को और धारा २०९ की उपधारा (३) के अधीन उसमें किये गये सभी संशोधनों को भी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत करेगा ।

(२) इस प्रकार प्रमाणीकृत प्रत्येक सूची महापालिका के कार्यालय में जमा कर दी जायेगी ।

(३) जब सम्पूर्ण नगर की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाय तब वह सार्वजनिक नोटिस द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध घोषित कर दी जायगी ।"

धारा २११ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा २११ में उपधारा (२) में, शब्द "नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात् पड़ने वाली पहली अप्रैल तक" के स्थान पर शब्द "नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात् पड़ने वाली पहली अप्रैल अथवा पहली अक्टूबर, जो भी पहले हो, तक" रख दिये जायें ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ४, १९६६ का संशोधन

६—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ में धारा २ के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "तीन वर्ष ग्यारह महीने" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष और ग्यारह महीने" रख दिये जायें ।

उ० प्र० अध्यादेश सं० १०, १९६९ का निरसन ।

७—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उद्देश्य और कारण

चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व इलाहाबाद में भूमि तथा भवनों के पंचवर्षीय कर निर्धारण को अंतिम रूप देने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा २०८, २०९ और २१० में कतिपय संशोधन करना आवश्यक समझा गया था। इससे अन्य महापालिकाओं को भी अपने पंचवर्षीय कर निर्धारण को अधिक शीघ्रता से अंतिम रूप देने में सहायता मिलेगी ।

२—नगर महापालिका, इलाहाबाद के प्रशासक का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९६९ को समाप्त होने वाला था और उक्त समय के भीतर महापालिका का सामान्य निर्वाचन कराना संभव न था, इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि प्रशासक का कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाय ।

३—चूंकि विधान मंडल सत्र में नहीं था और तात्कालिक कार्यवाही करना अपेक्षित था, इसलिये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ प्रख्यापित किया गया था। यह विधेयक उक्त अध्यादेश को उक्त अधिनियम की धारा २११ में भी एक संशोधन के साथ प्रतिस्थापित करता है ।

४—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

अनवार अहमद,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

ज्ञापन-पत्र उन रूप-भेदों का जो विधेयक में अध्यादेश के उपबन्धों से किये गये हैं ।

चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व इलाहाबाद में भूमि तथा भवनों के पंचवर्षीय कर निर्धारण को अंतिम रूप देने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा २०८, २०९ और २१० में कतिपय संशोधन करना आवश्यक समझा गया था । हाल में इलाहाबाद में कर निर्धारण की कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई है और शासन ने भी कुछ कारणवश आदेश द्वारा उन्हें आगे निर्णय होने तक रोक दिया है। ऐसी दशा में अब यह संभव नहीं प्रतीत होता है कि इलाहाबाद में पंचवर्षीय कर निर्धारण की कार्यवाही को चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व अंतिम रूप दिया जा सके और नया कर निर्धारण १ अप्रैल, १९७० से लागू किया जा सके । इस कारण अब उक्त अधिनियम की धारा २११ में भी संशोधन आवश्यक समझा गया है जिससे कि यदि किसी नगर महापालिका का पंचवर्षीय कर निर्धारण ३१ मार्च के बाद पूरा होता है तो उसको अगली पहली अक्टूबर से, और यदि यह कार्यवाही ३० सितम्बर के बाद पूरी होती है तो उसको अगली पहली अप्रैल से लागू किया जा सके। इस उद्देश्य से यथावश्यक संशोधन विधेयक में जोड़ दिया गया है ।

अनवार अहमद,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

इस विधेयक द्वारा संशोधित होने वाले अधिनियमों की संगत धाराओं का उद्धरण ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा २०८, २०९, २१० तथा २११ का उद्धरण ।

सूची का प्रकाशन

२०८—निर्धारण सूची तैयार हो जाने पर, मुख्य नगराधिकारी उस स्थान के संबंध में सार्वजनिक नोटिस देगा जहां पर उक्त सूची अथवा उसकी प्रतिलिपि का निरीक्षण किया जा सकेगा और सूची में उल्लिखित सम्पत्ति का स्वामी अथवा अध्यासी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, और उसका अभिकर्ता ऐसी सूची का निरीक्षण कर सकेगा और बिना कोई शुल्क दिये उससे अवतरण (Extract) भी ले सकेगा ।

सूची की प्रविष्टियों पर आपत्तियां

२०९—(१) साथ ही मुख्य नगराधिकारी इसके कम से कम एक मास पश्चात् ऐसे दिनांक का सार्वजनिक नोटिस देगा जब कि कार्यकारिणी समिति सूची में दर्ज मूल्यांकनों तथा निर्धारणों (Valuations and assessments) पर विचार प्रारम्भ करेगी और उसे सभी मामलों में, जिनमें किसी सम्पत्ति पर प्रथम बार निर्धारण किया गया हो अथवा उसके निर्धारण में वृद्धि की गई हो, वह ऐसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी को भी, यदि ज्ञात हो, उसका नोटिस देगी ।

(२) मूल्यांकन (Valuation) तथा निर्धारण के संबंध में सभी आपत्तियां नोटिस में निश्चित किये गये दिनांक से पूर्व, मुख्य नगराधिकारी के पास लिखित प्रार्थना-पत्र के रूप में की जायेंगी जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायेगा जिनके आधार पर मूल्यांकन तथा निर्धारण पर आपत्ति की गयी हो और इस प्रकार दिये गये समस्त प्रार्थना-पत्रों का पंजीयन (registration) मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई पंजी (Book) में किया जायगा ।

(३) कार्यकारिणी समिति, अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा एतदर्थ नियुक्त की गयी उपसमिति प्रार्थी को स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्—

(क) आपत्तियों का अनुसंधान और निबटारा करेगी,

(ख) उपधारा (२) के अधीन रखी गई पंजी में उपर्युक्त जांच का परिणाम लिखवायेगी, और

(ग) ऐसे परिणाम के अनुसार निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन करायेगी ।

सूची का प्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा

२१०—(१) जब धारा २०९ के अधीन की गई सभी आपत्तियों का निबटारा हो गया हो तथा उक्त धारा की उपधारा (३) द्वारा अपेक्षित सभी संशोधन समिति के सभापति के हस्ताक्षर अथवा धारा २०९ के अधीन किसी उप-समिति के सभापति के हस्ताक्षर अथवा धारा २०९ के अधीन किसी उप-समिति को अधिकारों के प्रतिनिधान (delegation) की दशा में, ऐसी उपसमिति के सभापति के, हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत हो गये हों (authenticated), तो इस सूची को प्रमाणीकृत करने वाला व्यक्ति यह प्रमाणित (certify) करेगा कि यथावत् की गई सभी आपत्तियों पर विचार किया जा चुका है और ऐसी आपत्तियों पर किये गये निर्णयों के अनुसार सूची को संशोधित किया जा चुका है ।

(२) इस प्रकार प्रमाणीकृत सूची महापालिका के कार्यालय में जमा कर दी जायगी, और तदुपरान्त वह सार्वजनिक नोटिस द्वारा सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध घोषित कर दी जायेगी ।

सूची का पुनरीक्षण तथा उसकी अवधि

२११—(१) प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार धारा २०७ से २१० तक में विहित रीति के अनुसार साधारणतया एक नयी निर्धारण सूची तैयार की जायेगी ।

(२) धारा २१३ के अधीन किये गये किसी परिवर्तन अथवा संशोधन तथा धारा ४७२ के अधीन की गयी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए मूल्यांकन सूची में दर्ज प्रत्येक मूल्यांकन (Valuation) तथा निर्धारण, नगर में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात् पड़ने वाली पहली अप्रैल तक वैध रहेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विधि न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के परिणामस्वरूप नयी निर्धारण सूची या उसका कोई भाग प्रभाव न हो सकता हो तो ऐसे आदेश या निर्णय के अधीन रहते हुए पुरानी निर्धारण सूची या उसका तदनुरूप भाग प्रभाव बना रहा समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६८ की धारा २ का उद्धरण ।

महापालिकाओं के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थाई उपबन्ध

३१ जनवरी, १९६६ को कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ महापालिकाओं के कार्यकाल की बढ़ायी गयी अवधि की समाप्ति पर उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (जिसे....उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध १ फरवरी, १९६६ को और उसी दिनांक से, दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा ६ के अधीन उक्त महापालिकाओं का पुनः संगठन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हों, प्रत्येक उक्त महापालिका के संबंध, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, महापालिका के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य या मुख्य नगराधिकारी अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे ।

(ख) महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, उसकी कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा अन्य समितियों के और मुख्य नगराधिकारी के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रशासक में निहित हो जायेंगे और प्रशासक द्वारा ही उसका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायगा और ऐसा प्रशासक विधि की दृष्टि में महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समिति अथवा मुख्य नगराधिकारी समझा जायगा, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो ।

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसा प्रशासक पिछले अंतिम खंड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के संबंध में :—

(१) इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अधिकारों द्वारा प्रतिनिहित कर सकता है, या

(२) ऐसे निकाय या समिति से परामर्श पर सकता है जो उसके द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट रीति से संगठित की जाय ।

(घ) प्रशासक का वेतन तथा भत्ते जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा तदर्थ निश्चित किये जायें, महापालिका निधि में से दिए जायेंगे ।

(ङ) राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे प्रासंगिक, आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुमूलन, परिवर्तन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन की पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी है, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती तथा सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५ एल० ए०—१९७०—८४५ ।